खण्ड-144, अंक-1
सोमवार, 26 आश्विन, शक संवत् 1876
(18 अक्टूबर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 144 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १८ अक्तूबर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफअली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाजरसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री

किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी,श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नार्थसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय,श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री

बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी०बी०
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजालीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री

रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम,श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान

सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पशु-पालन विभाग, लखनऊ में पांच साल की अवधि से पूर्व नियुक्त डिप्टी डाइरेक्टर्स तथा कुछ कर्मचारियों के त्याग-पत्र

**१—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पशुपालन विभाग के कितने डिप्टी डाइरेक्टर्स लखनऊ में पांच साल से अधिक से नियुक्त हैं ?

माल मंत्री–(श्री चरण सिंह)—कोई नहीं ।

**२—श्री भगवान सहाय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पशु-पालन विभाग के Headquarters के किन्हीं कर्मचारियों ने साल भर के अन्दर इस्तीफे दिये हैं ? यदि हाँ, तो कितनों ने व उसके कारण क्या हैं ?

श्री चरणसिंह—जी हां । तीन कर्मचारियों ने । एक ने विद्याध्ययन की सुविधा के लिये, दूसरे ने अपनी पत्नी की बीमारी के कारण तथा तीसरे ने अपने साले की बीमारी में समुचित प्रबन्ध करने की आवश्यकता के कारण त्याग-पत्र दिये हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस समय पशुपालन विभाग में कितने डिप्टी डाइरेक्टर्स कितने काल से नियुक्त हैं ?

श्री चरणसिंह—लखनऊ में २ डिप्टी डाइरेक्टर्स इस वक्त हैं । उनमें से एक तो हेडक्वार्टर्स से अटैच रहते हैं । वह तो अभी अगस्त में मुकर्रर किये गये हैं इस पद पर और दूसरे लखनऊ में लखनऊ के सरकिल इन्चार्ज हैं वह अप्रैल सन् १९५० से डिप्टी डाइरेक्टर हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन तीन कर्मचारियों ने अपने इस्तीफे दिये हैं उनके नाम और डेजिग्नेशंस क्या हैं ?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—१. श्री दिलीपकुमार राय, यह एक साधारण क्लर्क थे और उन्होंने २०–७–५४ को अपना इस्तीफा दिया ,

---

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ व २ श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछे ।

२--श्री भगवानप्रसाद वर्मा--यह भी एक साधारण क्लर्क के पद पर काम करते थे और इन्होंने ५-८-५४ को अपना इस्तीफा दिया, और

३--श्री बी० एन० चांद--यह नोटर और ड्राफ्टर के पद पर काम करते थे और उन्हें अनुशासन भंग करने की कार्यवाही पर नौकरी से अलहदा कर दिया गया।

तारांकित प्रश्न

तहसील बांसडीह, जिला बलिया में बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में सहायता

*१--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बांसडीह, जिला बलिया के अन्तर्गत जो बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के गांव हैं उनमें गत खरीफ की मालगुजारी में छूट दी गयी थी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--तहसील बांसडीह, जिला बलिया के खरीफ १३६१ फसली में बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र के गांव में मालगुजारी की छूट देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मगर १,२५,४५६ रुपया ५ आना मालगुजारी मुल्तवी कर दी गयी है।

*२--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--यदि हां, तो वे कौन-कौन ग्राम हैं तथा उनमें कुल कितने की छूट दी गयी है एवं मुफ्त सहायता और टेस्ट वर्क में कितना व्यय किया गया है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--उपरोक्त गांवों की संख्या ३६४ है और इनकी सूची कार्यालय में देखी जा सकती है। इन गांवों में जो सहायता दी गयी या दी जायेगी उसका ब्योरा इस प्रकार है :

	रु०	आ०	पा०
मालगुजारी में छूट	१,२५,४५६	५	०
मुफ्त सहायता	१७,३४१	०	०
खरीफ के लिये बीज और खाद आदि के लिये तकावी	१,२५,०००	०	०

इसके अतिरिक्त मुफ्त राशन के पर्चे और गल्ले की सस्ती दूकानें पूरी तहसील में खोली गयीं। नियत दर पर मजदूर न मिलने और भूमि गीली होने के कारण टेस्ट वर्क चालू नहीं किये जा सके।

*३--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माल मंत्री को ज्ञात है कि डूहा, विरला, भीमतर, जमई आदि गांवों में छूट नहीं दी गयी है और वहां से पूरी मालगुजारी वसूल की गयी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जी नहीं। इन तीनों गांवों की खरीफ की मालगुजारी १६३८१रु० १० आ० ९पा० थी जिसमें ६३५१ रु० ७ आ० ९ पा० की वसूली मुलतवी कर दी गयी है और इसी रकम की छूट का प्रश्न विचाराधीन है। बाकी १००३० रु० ३ आ० में से ८४९४ रु० ६ आ० ९ पा० वसूल हो गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि १७,३४१ रुपये की जो मुफ्त सहायता दी जाने वाली है उसमें से काफी रकम दी नहीं गयी है और शेष बची हुयी है ?

श्री चरणसिंह--दी जाने वाली है इससे मतलब है मालगुजारी, जिसकी वसूली मुल्तवी हो गयी है और कतई छूट नहीं हुई है इसके लिये दी जाने वाली है। मुफ्त सहायता पिछले साल दी जा चुकी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह छूट दी जाने वाली समस्या विचाराधीन है, निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री चरणसिंह—यह बात ठीक है कि छूट देने में देर हुई है, मुझे भी असंतोष है और उचित कार्यवाही की जा रही है लेकिन गांव वालों को कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि जिस वक्त मालगुजारी वाजिब थी उसी वक्त वह मुल्तवी कर दी गयी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि यह वही क्षेत्र या गांव हैं जहां पर प्रति वर्ष चार साल से बाढ़ आ रही है ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि जब किस्त वसूल होने का वक्त आयगा उसके पहले सरकार छूट देने के प्रश्न का फैसला कर देगी ?

श्री चरणसिंह—मैं क्या बतलाऊं । मैं तो जवाब दे चुका हूं कि वसूली ही नहीं गयी है । इसकी वसूलयाबी ससपेंड शुरू से ही है । सिर्फ क्वेश्चन आफ रेमीशन का है और कलेक्टर के यहां से दस महीने बाद रिपोर्ट आयी है लेकिन उन्होंने शुरू में ही ससपेंड कर दिया ।

ग्राम भूवरा व इन्दावाला, तहसील स्वार, जिला रामपुर के निवासियों का जिला नैनीताल में रहने के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास ग्राम भूवरा व ग्राम इन्दावाला, तहसील स्वार, जिरा रामपुर के अनेक आवेदन-पत्र आये हैं कि उन्हें नैनीताल जिले में ही रहने दिया जाय ? अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—ग्राम भूवरा व ग्राम इन्दावाला के निवासियों के कुछ आवेदन-पत्र सरकार के पास आये थे कि यह दोनों ग्राम नैनीताल जिले में रहने दिये जायें, परन्तु सरकार ने पुनः विचार करके उनकी भौगोलिक स्थिति, यातायात साधनों तथा जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया कि यह दोनों ग्राम जिला रामपुर में ही रहने चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में ग्राम भूवरा तथा ग्राम इन्दावाला में वहां की जनता की राय जानने के लिये कौन कर्मचारी भेजे गये थे ?

श्री चरणसिंह—गालिबन तहसीलदार गये थे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि उक्त दोनों ग्रामों का ९० फीसदी व्यापार रेलवे स्टेशन और फैक्ट्री काशीपुर से ही है ?

श्री चरणसिंह—इस व्यापार का प्रतिशत तो गवर्नमेंट को नहीं मालूम है, लेकिन गवर्नमेंट को इतना मालूम है कि इनमें से एक गांव काशीपुर से १५ मील पड़ता है और जिस तहसील में अब मिलाया गया है उससे ३ मील पड़ता है और दूसरा गांव काशीपुर से १२ मील पड़ता है और जिसमें अब मिलाया गया है उससे ५ मील पड़ता है । और बीच में एक बड़ी भारी नदी पड़ती है जोकि पार करनी पड़ती है काशीपुर जाने में ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी एक बार फिर कृपा करके इस सम्बन्ध में विचार करेंगे और जांच भी करायेंगे ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूं कि कल ही मेरे माननीय मित्र अपने दो साथियों के साथ जोकि वहां के गांव के रहने वाले थे मुझसे मिलने आये थे। उनसे मुझे मालूम हुआ कि वहां के कुल ४–५ आदमियों ने अब तक नैनीताल देखा है और गांव के सैकड़ों आदमियों ने रामपुर देखा है। रामपुर २१ मील है और नैनीताल १०० मील होगा तो जो रेप्रेजेन्टेशन्स आये हैं उन पर विचार हो चुका और अब दोबारा कोई वजह नहीं है कि इन प्रश्नों को खोला जाय। ये गांव तीनों तरफ रामपुर से मिले हुये हैं।

*५—श्री नारायणदत्त तिवारी—[स्थगित किया गया।]

उपनिवेशन विभाग के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में तोड़ी गयी जमीन का विवरण

*६—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या यह सही है कि सरकार ने विभिन्न कालोनाइजेशन क्षेत्रों में शरणार्थियों, राजनीतिक पीड़ितों और भूतपूर्व फौजी कर्मचारियों को जमीन एलाट करने से पूर्व उस जमीन को तोड़ने का भी प्रबन्ध किया ? अगर हां, तो इस प्रकार कितनी जमीन अब तक अलग-अलग क्षेत्रों में तोड़ी गई है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां, उपनिवेशन विभाग के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में तोड़ी गयी जमीन का विवरण निम्नप्रकार है :—

तराई	..	५४,४२०	एकड़
गंगाखादर	..	१९,८६१	,,
काशीपुर	..	२०,०५६	,,
मनूनगर	..	२,७०००	,,
अफजलगढ़	..	१,६२१	,,
दुनागरी	..	९१५	,,

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने इस तोड़ी गयी जमीन के हेतु कोई वसूली भी उन राजनीतिक पीड़ितों, शरणार्थियों अथवा फौजी कर्मचारियों से की ? अगर हां, तो कितनी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो नया सवाल है। अगर माननीय मंत्री जी तैयार हों तो जवाब दें नहीं तो मैं उनको बाध्य नहीं करता।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, इसके लिये मुझे कुछ सूचना इकट्ठी करनी पड़ेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलायेगी कि शरणार्थियों तथा भूतपूर्व फौजी कर्मचारियों या राजनीतिक पीड़ितों को दी गई सारी जमीन सरकार ने तोड़ी या कुछ जमीन सरकार द्वारा बिना तोड़ी भी दी गयी ?

श्री चरणसिंह—सारी जमीन सरकार ने तोड़ी लेकिन एलाट करते समय कोई दो हजार एकड़ जमीन ऐसी थी कि जो बिना तोड़ी हुई लोगों को दी गयी लेकिन उसमें से अधिकतर भूमि बाद में तोड़ दी गयी थी और बहुत थोड़ा रकबा १००–२०० एकड़ रह गया होगा जो नहीं तोड़ा गया और वह उन लोगों की रजामंदी से नहीं तोड़ा गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास गंगा खादर के श्री एन० एस० भंडारी और उनके साथियों के पास से शिकायत आयी थी कि उनको बिना तोड़ी हुई जमीन एलाट की गयी जिससे उनको बड़ी असुविधा हुई ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह——क्या सरकार को ऐसी शिकायत भी मिली है कि जमीन तोड़ी नहीं गयी और तोड़े जाने का खर्चा लोगों से वसूल किया गया ?

श्री चरणसिंह——तोड़े जाने का खर्चा तो किसी से वसूल नहीं किया गया, कंट्रीब्यूशन कुछ वसूल हुआ था। उसकी तफसील में मैं जा नहीं सकता, क्योंकि पूरी सूचना मेरे पास इस समय है नहीं, लेकिन कोई शिकायत इस प्रकार की नहीं आयी है जिसका कि माननीय गेंदा सिंह जी ने जिक्र किया।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)——माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि अफजलगढ़ में कितनी जमीन और तोड़नी शेष है ?

श्री चरणसिंह——कुछ जमीन और है सैकड़ों एकड़। लेकिन उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

*७——श्री नारायणदत्त तिवारी——क्या सरकार के पास बहुत सी कोलोनाइजेशन सोसाइटियों के पत्र आये हैं कि उनके सदस्यों की भूमि अभी एक बार भी नहीं तोड़ी गई ? यदि हां, तो किन-किन से और इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी——क्या सरकार के पास प्रेमनगर सोसाइटी, हल्का गदरपुर, जिला नैनीताल का कोई पत्र आया है कि उनकी सोसाइटी को दी गयी जमीन अभी एक बार भी नहीं तोड़ी गयी ?

श्री चरणसिंह——गवर्नमेंट के पास अभी हंचा नहीं, मुमकिन है कि नीचे के कर्मचारियों के पास हो। इसलिये जो जवाब दिया है "नहीं", वह जवाब सही।

*८——श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)——[१ अक्टूबर, १९५४ को प्रश्न संख्या ५७ के अन्तर्गत दिया गया]

*९–१०——श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)——[स्थगित किये गये।]

*११–१२——श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)——[स्थगित किये गये।]

*१३–१५——श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)——[स्थगित किये गये।]

बन्दरों को प्रदेश के बाहर भेजने की योजना

*१६——श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)——क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि ३० अप्रैल, सन् १९५४ ई० तक प्रान्तीय सरकार की तरफ से प्रांत भर से कितने बन्दर पकड़ कर बाहर भेजे गये ? उपर्युक्त बन्दर कहां को भेजे गये और उनसे सरकार को क्या आमदनी हुई ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——सरकार ने अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है जिसके अन्तर्गत बन्दरों को पकड़ कर प्रदेश के बाहर भेजा जाय। अतएव यह सब प्रश्न ही नहीं उठते।

*१७——श्री बद्रीनारायण मिश्र (अनुपस्थित)——क्या बन्दरों को बाहर भेजने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई आदेश है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*१८—श्री बद्रीनारायण मिश्र (अनुपस्थित)—जो बन्दर बाहर भेजे जाते हैं मार्ग में उनके खाने का क्या प्रबन्ध रहता है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सरकार के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह समझती है कि बन्दरों से कृषि को बहुत हानि पहुंचती है और उनको पकड़वाने की किसी योजना पर क्या वह विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह—एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बेंडरी स्टैंडिंग कमेटी में यह प्रश्न पेश हुआ था और उन्होंने गवर्नमेंट से सिफारिश की है कि इन बन्दरों को पकड़ने की या इनको दूर करने की या और कोई ऐसी योजना बनायी जाय कि जिससे फस्लों को हानि न पहुंचे। गवर्नमेंट ने अभी इस प्रश्न पर विचार नहीं किया।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि हमारे प्रांत में बन्दरों की संख्या क्या है ?

श्री चरणसिंह—पूरी संख्या कितनी है यह नहीं मालूम लेकिन इतना मालूम है कि यह पहाड़ की तरफ ज्यादा होते हैं और कुछ ज्यादा होते हैं देवरिया की तरफ।

*१९—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[स्थगित किया गया।]

*२०—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[स्थगित किया गया।]

*२१—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—[स्थानान्तरित किया गया।]

*२२-२३—श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—[स्थगित किये गये।]

*२४—श्री रामचन्द्र विकल—[स्थानान्तरित किया गया।]

*२५-२६—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—[स्थगित किये गये।]

*२७-२८—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[स्थगित किये गये।]

*२९-३१—श्री रामरतन प्रसाद (जिला बलिया)—[स्थगित किये गये।]

*३२-३३—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—[स्थगित किये गये।]

*३४—श्री बाबूनन्दन—[स्थगित किया गया।]

*३५—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—[स्थगित किया गया।]

*३६-३८—श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—[स्थगित किये गये।]

*३९—श्री श्रीचन्द्र—[स्थगित किया गया।]

खरीफ और रबी १३५९ फसली में लगान और मालगुजारी में छूट

*४०—श्री श्रीचन्द्र—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १३५९ फसली में प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी छूट दी गई ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—खरीफ और रबी १३५९ फसली में लगान और मालगुजारी की जो छूट प्रत्येक जिले में दी गई, या जो स्थगित की गई, उसका ब्यौरा संलग्न सूची में दिया हुआ है

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६६-६७ पर)

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लगान और मालगुजारी स्थगित की गयी है वह किस प्रकार से उन किसानों से वसूल की जायगी ?

श्री चरणसिंह---अगर बाद में इस रकम को वसूल करने का निश्चय किया गया, और रेमिट न किया गया तो जिस तरह से और मालगुजारी मौजूदा फसल को वसूल की जाती है वैसे की जायगी ।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्थगित की हुई मालगुजारी और लगान में से अब तक कितना वसूल हो चुका है ?

श्री चरणसिंह---स्थगित में से एक पाई भी वसूल नहीं हुई ।

*४१---श्री श्रीचन्द्र---[स्थगित किया गया।]

*४२-४४---श्रीव्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---[स्थगित किये गये।]

*४५-४७---श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---[स्थगित किये गये।]

*४८-४९---श्री अवधेशचन्द्र सिंह (जिला फर्रुखाबाद)---[स्थानान्तरित किये गये।]

*५०---श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---[स्थगित किया गया।]

*५१---श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)---[स्थगित किया गया ।]

पनवाड़ी से हरपालपुर और महोबा से नौगांव, जिला हमीरपुर तक सरकारी रोडवेज

*५२---श्री जोरावर वर्मा---क्या परिवहन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि पनवाड़ी से हरपालपुर और महोबा से नौगांव, जिला हमीरपुर तक सरकारी रोडवेज चलाने का वे विचार कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---इस संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदस्य महोदय को भेज दी जायगी ।

बेतवाघाट, हमीरपुर में बस स्टैन्ड पर मुसाफिरों के ठहरने का प्रबन्ध

*५३---श्री जोरावर वर्मा---क्या परिवहन मंत्री को मालूम है कि बेतवाघाट, हमीरपुर पर मुसाफिरों के ठहरने का बस स्टैन्ड पर कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब तक यह प्रबन्ध कर देगी ?

श्री हुकुमसिंह---जी हां, इसी वित्तीय वर्ष में बेतवाघाट पर एक छोटा बस स्टेशन व मुसाफिरों के ठहरने के लिये शेड बनाने का विचार है ।

बस स्टेशन, महोबा के कर्मचारियों की कटेगरियां और उनमें हरिजन

*५४---श्री जोरावर वर्मा---क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस स्टेशन, महोबा में कुल कितने कर्मचारी किस-किस कैटेगरी के काम कर रहे हैं और उनमें हरिजनों की क्या संख्या है ?

श्री हुकुमसिंह---महोबा बस स्टेशन पर विभिन्न पदों पर काम करने वाले कर्मचारी तथा उनमें हरिजनों की संख्या निम्नप्रकार है:---

क्रम संख्या	पद	सम्पूर्ण कर्मचारियों की संख्या	हरिजन कर्मचारियों की संख्या
१	सीनियर स्टेशन इंचार्ज	१	..
२	जूनियर क्लर्क	२	..
३	असिस्टेंट बुकिंग क्लर्क	६	..
४	कंडक्टर	१५	..
५	ड्राइवर	१५	१
६	चपरासी	१	..
७	चौकीदार	२	..
८	वाटर ब्वाय	१	..
९	मेहतर	२	२
१०	जूनियर फोरमैन	१	..
११	इलेक्ट्रीशियन	१	..
१२	मेकेनिक	१	..
१३	असिस्टेंट स्टोरकीपर	१	..
१४	टिन स्मिथ	१	..
१५	सहायक इलेक्ट्रीशियन	४	..
१६	वेल्डर	१	..
१७	लोहार	१	..
१८	फिटर	४	..
१९	पेन्टर	१	..
२०	अपहोलस्टर	१	..
२१	बढ़ई	१	..
२२	क्लीनर	३	..
२३	मजदूर	९	१
		७५	४

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी इसमें जो मेहतरों की संख्या दी हुई है, उनकी कम्पलसरी सर्विसेज होते हुये क्या उनको रिजर्वेशन में गिनते हैं ?

श्री हुकुमसिंह---जहां सूटेबिल आदमी मिलते हैं जरूर किया जाता है।

तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर के ग्रामों में मालगुजारी में छूट

*५५---श्री शिवपूजन राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुहम्मदाबाद तहसील, जिला गाजीपुर में सन् १९५३ ई० में मालगुजारी की कितनी रकम वसूल करनी थी और कितनी वसूल करने से बकाया रह गई ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मुहम्मदाबाद तहसील, जिला गाजीपुर में सन् १९५२-५३ में ६,३२,१८६ रु० १३ आ० मालगुजारी वसूल करनी थी। ५८,१८४ रु० ८ आ० की रकम वसूल करने से बकाया रह गई।

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह बकाया मालगुजारी रह जाने का कारण सूखा है ?

श्री चरणसिंह—इसकी कोई इत्तिला हमारे पास नहीं है।

*५६—**श्री शिवपूजन राय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर के कितने ग्रामों में सन् १९५३ ई० में सूखा के कारण मालगुजारी में छूट दी गई थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—गाजीपुर जिले की तहसील मुहम्मदाबाद के ४३ ग्रामों में खरीफ १३६० फ० की फसल को सूखे से हानि पहुंचने के कारण २,७४३ रु० ४ आने की मालगुजारी की छूट की मंजूरी सन् १९५३ में दी गई।

*५७—**श्री शिवपूजन राय**—क्या यह सही है कि अमिरहा और अजोजपुर ग्रामों को छूट सन् १९५३ ई० में नहीं दी गई तथा १९५४ में भी मिनहाई नहीं दी गई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—केवल कुछ व्यक्तियों से छूट की रकम की वसूली करली गई थी परन्तु उसकी मिनहाई उन्हें आगामी १३६१ फ० में दे दी गई।

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह ४३ गांवों को जो छूट दी गई है उन गांवों के नाम क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप दफ्तर से फेहरिस्त ले सकते हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रही है जिन्होंने मुल्तवीशुदा मालगुजारी वसूल की और अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—लेखपालों की गलती से ऐसा हो गया था। ऊपर के राज कर्मचारियों की कोई गल्ती नहीं थी। लेखपाल नये थे इसलिये गल्ती हो गई, लिहाजा अगली फसल में मुजरा दे दिया गया।

श्री गेंदासिंह—सरकार द्वारा किस वक्त आखिरी आदेश मालगुजारी माफी के दिये गये थे ?

श्री चरणसिंह—तारीख मालूम करने में देर लगेगी, मिस्ल में होगी लेकिन इससे कोई मतलब हल नहीं होता।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि आखिरी आदेश मालगुजारी माफी के इतनी देर में दिये गये जिसकी वजह से मुल्तवीशुदा मालगुजारी वसूल की गई ?

श्री चरणसिंह—यह बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि जैसा मैं कई बार पहले कह चुका हूं कि जिलाधीश को यह अधिकार है कि वह मालगुजारी वसूलयाबी को फौरन स्थगित कर दे। चाहे जितनी देर से मालगुजारी माफी के आर्डर्स जायं, इसलिये वसूलयाबी हो जाय कि देर से आर्डर्स गये यह कोई जरूरी नहीं है।

नयी दिल्ली बस स्टेशन पर ड्राइवरों और कन्डक्टरों के ठहरने के लिए कमरे

*५८—**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि सरकारी रोडवेज के नयी दिल्ली के स्टेशन पर जो कमरे ड्राइवरों और कन्डक्टरों के ठहरने के लिए बनाये गये थे वे उनके उपयोग में नहीं आते ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)— नई दिल्ली बस स्टेशन पर ड्राइवरों और कन्डक्टरों के ठहरने के लिये कमरे अभी तक नहीं बन पाये हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह कमरे बन कर कब तक तैयार हो जायंगे ?

श्री हुकुम सिंह—सन् १९५५-५६ के बजट में रखने का विचार है।

सरकार द्वारा घोषित बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के जिले और उनको सहायता

*५९—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा घोषित बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कौन-कौन जिले शामिल हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य— जिन जिलों में करीब-करीब हर साल बाढ़ आती है और काफी हानि होती है उन जिलों को बाढ़ग्रस्त जिला समझा जाता है ऐसे जिले हैं —

बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, इलाहाबाद, बनारस, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, हमीरपुर, सीतापुर और फर्रुखाबाद।

*६०—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जिले का सम्पूर्ण भिटौली परगना एवं मोहम्मदपुर, रामनगर, बदोसराय, दरियाबाद तथा रुदौली परगनों के अधिकांश भाग हर बाढ़ में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बाराबंकी जिले के परगना भिटौली का अधिकांश भाग तथा प्रश्न में उल्लिखित अन्य परगनों के वे गांव जो तराई में अब स्थित हैं प्रायः हर बाढ़ में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं।

*६१—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन उपर्युक्त परगनों में बाढ़ के कारण सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई हैं ? यदि हां, तो सरकार यहां के निवासियों को मालगुजारी में क्या छूट देने का विचार रखती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इस वर्ष इन परगनों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फसल को काफी हानि हुई है। खरीफ परताल के उपरान्त मालगुजारी में छूट अथवा वसूली का स्थगन जैसा भी नियमानुसार उचित होगा स्वीकृत किया जायगा। फिलहाल सरकारी मतालबों की वसूली बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रोक दी गई है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—क्या माननीय मंत्री जी बाराबंकी जिले को भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये कोई कायदा ऐसा नहीं है कि फलां बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को यह रियायत मिलती है और फलां को नहीं मिलती है। सरकार केवल इतना करती है कि जहां पर आम तौर पर बाढ़ आ जाती है वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ५ हजार रुपया भेज देती है ताकि वह फौरन कार्यवाही कर सकें। इस वर्ष गवर्नमेंट ने यह किया कि १० हजार उस रकम को कर दिया और उनके पास भेज दिया। तो उन १४ जिलों के अलावा अन्य किसी भी जिले में बाढ़ आवे तो सरकार वही कार्यवाही करती है, इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति जो बिहार में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने आये हैं सरकार उनसे यू० पी० के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिये प्रार्थना करेगी ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है कि राष्ट्रपति को इस बात के लिये तकलीफ दी जाय।

पीलाखार, कोसी तथा रामगंगा नदियों की बाढ़ से रामपुर जिले के शाहाबाद तथा मिलक तहसीलों के ग्रामों को क्षति तथा उनको सहायता

*६२---श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष पीलाखार, कोसी तथा रामगंगा नदियों में बाढ़ के कारण रामपुर जिले की शाहाबाद तथा मिलक तहसीलों के ग्रामों में फसल को क्षति पहुंची है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कितनी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इस वर्ष पीलाखार, कोसी तथा रामगंगा नदियों में बाढ़ के कारण रामपुर जिले की तहसील शाहाबाद के कुछ ग्रामों को क्षति पहुंची है जिसका विवरण इस प्रकार है :---

प्रभावित क्षेत्रफल		फसल की अनुमानित हानि	
कुल	कृषि के अन्तर्गत		
२४६७ एकड़	६६५ एकड़	मक्का तथा ज्वार में	प्रति एकड़ ३ मन
		तथा धान में	प्रति एकड़ ५ मन।

मिलक तहसील में बाढ़ नाम मात्र को ही आई थी और फसल की क्षति नगण्य है।

*६३---श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त क्षतिपूर्ति के लिए सरकार की ओर से क्या क्या सहायता दी गई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सरकार क्षतिपूर्ति के लिये कोई सहायता नहीं देती प्रभावित कृषकों को मालगुजारी में छूट आदि नियमानुसार दी जायगी। शाहाबाद तहसील में कुछ बाढ़ से कट गये गांवों को फिर से बसाने के लिये ऊंची जगह का इन्तजाम कर दिया गया है तथा शुद्ध जल के लिये हैंड पम्प लगा दिये गये हैं।

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील शाहाबाद के कितने गांव बाढ़ से कट गये जिनको बसाने का प्रयत्न किया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि मालगुजारी में जो छूट देने का सरकार का विचार है वह कितना है तथा सरकारी लगान की वसूलयाबी रोकी जायगी अथवा नहीं ?

श्री चरणसिंह---लैंड रिफार्म्स मैन्नुअल के अनुसार छूट दी जायगी और रोकी जायगी।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गांव कटने की सूचना किन लोगों ने दी और क्या उन्होंने उनके पास फेहरिस्त नहीं भेजी कि कौन कौन से गांव कटे ?

श्री चरणसिंह---अफसरों से सूचना मंगाई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कोसी नदी की बाढ़ से स्वार तहसील के गांवों को नुकसान हुआ है ?

श्री चरणसिंह— तहसील शाहाबाद में नुकसान हुआ है, स्वार तहसील में कोई नुकसान नहीं हुआ इसलिये उसकी तफसील की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो गांव इस वर्ष बाढ़ से कटे हैं वे प्रतिवर्ष ही कटते जाया करते हैं और उनके लिये कोई उचित प्रबन्ध नहीं किया गया ?

श्री चरणसिंह—कटने के मानी यदि वाकई कटने के होते तो दूसरी बार कैसे कटते। सिर्फ ९९५ एकड़ जमीन है जिसमें फसल को नुकसान पहुंचा है, इसका जवाब दिया जा चुका है।

टिड्डियों के आक्रमण से रामपुर जिले की तहसील शाहाबाद को क्षति और उसको सहायता

*६४—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष टिड्डियों के आक्रमण के कारण रामपुर जिले की तहसील शाहाबाद में फसल को क्षति पहुंची है ? यदि हां, तो सरकार ने क्षतिग्रस्त कृषकों को क्या सहायता दी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—रामपुर जिले की शाहाबाद तहसील में इस वर्ष टिड्डियों के आक्रमण के कारण किसी भी फसल को क्षति नहीं पहुंची, अतएव सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील शाहाबाद में टिड्डी का आक्रमण हुआ था या नहीं ?

श्री चरणसिंह—जी हां, टिड्डियां आयीं थीं लेकिन नुकसान नहीं हुआ, अब उसको टिड्डियों का आक्रमण कहा जाय या न कहा जाय यह एक विचारणीय प्रश्न है।

प्रान्त के जिलाधीशों के सरकारी निवास स्थान

*६५—श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के किन-किन जिलों के जिलाधीशों का निवास स्थान सरकारी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्रान्त के २६ जिलों में जिलाधीशों के लिये सरकारी निवासस्थान हैं और ४ जिलों में निवासस्थान सरकार की तरफ से पट्टे पर लिये गये हैं। इन ३० जिलों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८ पर।)

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में जिलाधीशों के लिये सरकारी मकान दिये गये हैं उनसे कुछ किराया लिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री चरणसिंह—जो स्टैंडर्ड रेट है, वह गवर्नमेंट के कुछ नियम हैं उनके मुताबिक तय होता है हर सरकारी इमारत का। अपर राजकर्मचारी की तनख्वाह का १०

परसेंट से ज्यादा स्टैंडर्ड रेट है तो वह अपनी तनख्वाह का १० परसेंट ही किराया देता है और अगर १० परसेंट से स्टैंडर्ड रेट ज्यादा बैठता है तो जो सरकारी किराया आंका गया है उतना ही वह देता है, ज्यादा नहीं देता।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिलाधीशों के निवास स्थान से सम्बन्धित जो भूमि कम्पाउंड्स की हैं उनकी आमदनी सरकार में जमा होती है ?

श्री अध्यक्ष—यह स्पष्ट नहीं हुआ, आप तेज बोलते हैं, जरा आहिस्ता बोलें।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिलाधीशों को जो निवास स्थान दिये गये हैं उनसे सम्बन्धित जो कम्पाउन्ड की भूमि है उनकी आमदनी सरकारी खजाने में जमा हो जाती है या सीधे कलेक्टरों के पास चली जाती है ?

श्री चरणसिंह—सवाल किराये का था जिसके लिये मैं तैयार होकर आया था। यह मुझे नहीं मालूम था कि कोई भाई फसल के बारे में भी सवाल पूछेंगे। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि उसके पास ऐसी कोई प्रायरिटी लिस्ट है कि तमाम सूबे के हर जिलाधीश या हर बड़े अधिकारी के लिये जो जिले का है मकान बनाने की कोई बाकायदा स्कीम है और उसके मातहत साल बसाल मकान बनाये जायेंगे ?

श्री चरणसिंह—मकान बनाने की एक स्कीम गवर्नमेंट ने तय की है लेकिन उसमें किन किन तरह के राज कर्मचारियों की बाबत है उसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता होगी। यहां तो केवल कलेक्टरों की इमारतों का सवाल है और उसके लिये मैं तैयार होकर आया था।

श्री बसन्त लाल शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में जिलाधीशों के रहने के लिये सरकारी मकान नहीं हैं उन जिलों में जिलाधीशों के लिये सरकार मकान बनवाने का विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, फिलहाल नहीं।

श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र (जिला हरदोई)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार जो निवास स्थान जिलाधीशों को किराये पर देती है तो उसका स्टैन्डर्ड रेंट तय करते वक्त वह बिल्डिंग की प्लिथ एरिया का हिसाब ही रखती है या जो बिल्डिंग के साथ कम्पाउन्ड एरिया है उसका भी हिसाब रखती है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, जमीन की हैसियत नहीं ली जाती, जो इमारत है उसकी हैसियत पर इंटरेस्ट लगा कर स्टैंडर्ड रेट मुकर्रर किया जाता है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन मकानों में जिलाधीश रहते हैं उनको बगैर सरकारी इजाजत के उन मकानों का नकशा बदलने, मरम्मत कराने या तोड़ने का अधिकार है ?

श्री चरणसिंह—ऐसा कोई मेटिरियल आलट्रेशन नहीं करा सकते, अगर कराते हैं तो गवर्नमेंट से दरयाफ्त करके।

श्री राम सुभग वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन जिलों में जिलाधीश के रहने के लिये सरकारी मकान नहीं हैं उनको दूसरे मकान में रखने पर क्या किराया दिया जाता है ?

श्री चरण सिंह—जो किराया मालिक मकान से तय होता है वही दिया जाता है, ऐसे २१ जिले हैं।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी इमारतें हैं उनके साथ उनको फर्निचर भी इस्तेमाल के लिये दिया जाता है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन से जिले हैं जहां जिलाधीशों के लिये सरकारी मकान बने हुये हैं ?

श्री चरणसिंह—सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, जालौन, हमीरपुर, बांदा, मिर्जापुर, गोरखपुर, टेहरी गढ़वाल, खीरी और गोंडा ये २१ जिले हैं और इनके अलावा ५ जिले और हैं जिनके नाम इस वक्त मेरे पास नहीं है । यह २६ जिले ऐसे हैं कि जहां जिलाधीशों के लिये सरकारी इमारतें हैं।

झांसी जिले के ग्रामों में बाढ़-पीड़ितों के लिए निवास एवं खाद्य की व्यवस्था

*६६—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के अन्तर्गत किन तहसीलों में कितने गांवों में बाढ़ का प्रकोप हुआ तथा वहां के कितने जन-पीड़ित हुये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अपेक्षित सूचना निम्नांकित है:—

नाम तहसील	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जन संख्या
मऊ	४४	८३२१
गरोठा	२९	२४१०
मोठ	४	१६६
योग	७७	१०८९७

*६७—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इन बाढ़ पीड़ितों के लिये आवास एवं खाद्य सामग्री की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ के समय स्कूलों, धर्मशालाओं और अस्थायी टीन के शेडों में आवासित किया गया। इनमें से असहाय लोगों को राशन कार्ड पर मुफ्त भोजन, वस्त्र, मिट्टी का तेल व नमक आदि भी दिया गया।

*६८—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो मकान नदी तट पर बसने के कारण इन गांवों में नष्ट हो गये हैं उनके लिये सरकार अन्यत्र जमीन दिलाने की क्या व्यवस्था करेगी तथा उनको क्या आर्थिक सहायता देगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बाढ़ से कट गये गांवों को पुनः बसाने के लिये जिन गांवों में खाली जमीन गांव समाज के अधीन है उन्हें दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। कुछ लोग आपसी समझौते से भी इस समस्या को हल कर रहे हैं। जहां आवश्यकता होगी, सरकार भूमि हस्तगत करने की भी कार्यवाही करेगी।

लोगों को इस संबंध में आर्थिक सहायता भी तकावी तथा ऋण के रूप में दी जा रही है। कुछ भूमि हीन लोगों को मुफ्त सहायता भी दी जायेगी। इस कार्य के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि निम्नलिखित है:—

		रु०
कृषकों को मकान बनाने के लिये तकावी	..	२०,०००
अकृषकों को मकान बनाने के लिये ऋण	..	५०,०००
अहैतुक सहायता	..	११,०००

श्री गज्जूराम—क्या सरकार यह कृपा करके बतलायेगी कि जिला झांसी के मऊ तहसील में बाढ़ के कारण फसल को कितनी हानि हुई है ?

श्री चरणसिंह—अभी हमारे पास इसकी कोई इत्तिला नहीं है कि कितनी हानि हुई है, वह तो बाद में मालूम होगी।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ग्रस्त भूमि के खेतिहर मजदूरों को कुछ उद्योग धंधे देने की सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री चरणसिंह—कलेक्टर से कहा गया है कि जितनी जिस प्रकार सहायता कर सकते हो वह करो। जहां तक रुपये का सवाल था वह तो इतना दिया है कि जिले के किसी दूसरी जगह नहीं दिया गया है।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बाढ़ क्षेत्र में मकानों की कुल कितनी संख्या है ?

श्री चरणसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कृषि का कितना नुकसान हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने पहले ही बतला दिया है कि सूचना नहीं है, बाद में मालूम कर ली जायगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस बाढ़ क्षेत्र में कोई कस्बा भी शामिल है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, एक कस्बा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह कौन सा कस्बा है और उसकी कितनी आबादी है ?

श्री चरणसिंह—नोटिस की आवश्यकता है कि आबादी कितनी है और क्या है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले खेतिहर मजदूरों को जिनके घर कटाव में गिर गये हैं मुफ्त सहायता घर बनाने के लिये दी जायगी ?

श्री चरणसिंह—मुफ्त सहायता के लिये ही ११ हजार रुपये दिये गये हैं।

*६९–७१—श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—[स्थानान्तरित किये गये ।]
*७२–७४—श्री चुन्नीलाल सगर (जिला बदायूं)—[स्थगित गिये गये ।]
*७५–७६—श्री जगतनारायण (जिला बाराबंकी)—[स्थानान्तरित किये गये ।]
*७७—श्री नारायण दत्त तिवारी—[स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—[स्थगित किया गया ।]

विधान सभा प्रक्रिया नियमावली में संशोधनार्थ समिति का निर्माण

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना सदन को दे देना चाहता हूं । सदन ने यह निश्चय किया था कि प्रक्रिया नियमों में संशोधन के लिये एक समिति मैं बना दूं । यह समिति नियम २०१ के अनुसार जो सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) होती है उस तरह की नहीं है बल्कि चूंकि नियमों के विषय में माननीय सदस्य बहुत अनुभव रखते हैं और हर एक के पास कुछ न कुछ संशोधनों की तजवीज है, इसलिये ऐसी एक सदन की समिति बनाने का निश्चय हुआ था जिसके सामने जो सुझाव माननीय सदस्य देना चाहें वह भेज दें और समिति सदन के नियमों में क्या परिवर्तन होने चाहिये वे सुझाव के रूप में सदन के सामने लावे । तब नियम के अनुसार फिर प्रवर समिति बना दी जायगी । चाहे यही समिति जो अभी मैं घोषित कर रहा हूं प्रवर समिति के रूप में सदन बना दे । इस संबंध में निश्चय करने का सदन को पूर्ण अधिकार होगा । जो नाम मैंने समिति में निश्चित किये हैं उनको सुना देना चाहता हूं ।

१—श्री उपाध्यक्ष (सभापति)
२—श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम
३—श्री सम्पूर्णानन्द
४—श्री चरण सिंह
५—श्री मंगला प्रसाद
६—श्री राम प्रसाद देशमुख
७—श्री लक्ष्मी शंकर यादव
८—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)
९—श्री रामसुमेर
१०—श्री मुहम्मद अदील अब्बासी
११—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी
१२—श्री लीलाधर अष्ठाना
१३—श्री सुल्तान आलम खां
१४—श्री केशव गुप्त
१५—श्री लक्ष्मी रमण आचार्य
१६—श्री रामनारायण त्रिपाठी
१७—श्री नारायणदत्त तिवारी
१८—श्री महाराजकुमार बालेन्दुशाह, और
१९—श्री जोरावर वर्मा

१९ सदस्यों की यह समिति रहेगी और इसके लिये कोई नियत समय तो नहीं है लेकिन शीघ्र से शीघ्र यह बैठकर अपने सुझाव सदन के सामने रखेगी । उसके बाद जो नियमों के अनुसार कार्यवाही होगी वह की जायगी ।

*इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

†खंड ८ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन कह रहा था कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के चुनाव का प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जिस प्रकार कि मनुष्य के शरीर के लिये हृदय आवश्यक है। और जिस तरह से किसी मनुष्य का हृदय अच्छा होता है उसी तरह का उसके शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार वाइस चांसलर की पोजीशन का भी प्रभाव यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा पड़ता है। मैंने उस दिन अध्यक्ष महोदय एक शब्द आटोक्रेटिक कहा तो उस आटोक्रेटिक शब्द पर हमारे इधर के मित्र भी और उधर के मित्र भी जो डेमाक्रेसी में बहुत विश्वास करते हैं उन्हें कुछ भ्रम पैदा हुआ कि यह आटोक्रेसी की बात यहां पर कैसे आ गई? अध्यक्ष महोदय, जब हम इस बात को मान लेते हैं, कि वाइस चांसलर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिये जो कि सर्वश्रेष्ठ हो, जिसको विद्यार्थी इज्जत करें, टीचर्स उसकी इज्जत करें या जिसकी सारे देश के रहने वाले इज्जत करें। अगर उसकी नियुक्ति वाइस चांसलर के लिये की जाय और उसमें अगर ऐसा तरीका भी हो तो मैंने यह कहा था कि इस पर कभी किसी साधारण आदमी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। मसलन बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की बात आयी। अध्यक्ष महोदय, वहां की हालत बहुत खराब थी और उसको सारा देश चाहता था कि उस यूनिवर्सिटी की तरक्की की जाय, वहां जो गड़बड़ है उसे दूर करने की कोशिश की जाय। तो हमारे भारतवर्ष के एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद ने यह सुझाव रखा आचार्य नरेन्द्र देव के लिये कि वह अगर वाइस चांसलर के पद को स्वीकार कर लें तो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की हालत शायद सुधर जाय। तो दिल्ली की गवर्नमेंट से यह सुझाव आया मौलाना आजाद साहब का और हमारे आचार्य नरेन्द्र देव जी ने उसको स्वीकार किया। वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो थे ही लेकिन उन्होंने आजाद साहब की प्रार्थना पर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होना स्वीकार कर लिया। यह बात दूसरी है कि उस पर वहां की सिंडीकेट की और कोर्ट की मुहर लगवा ली, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से पास करवा लिया लेकिन यह उस समय आवश्यक समझा गया था कि वहां की हालत तभी सुधर सकती है जब कि वहां कोई योग्य वाइस चांसलर भेजा जाय। मैं जानता हूं अध्यक्ष महोदय हिन्दुस्तान में बहुत बड़े बड़े योग्य व्यक्ति हैं जो कि युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर शोभा दे सकते हैं और ऐसे योग्य व्यक्ति अगर उस पद पर हों तो कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी हिम्मत नहीं पड़ सकती है कि वह युनिवर्सिटी के अन्दर जरा भी दखल दे। हमारे माननीय राधाकृष्णन जी हैं, वह बनारस हिन्दी युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, आचार्य जी हैं, मालवीय जी थे, ऐसे ऐसे व्यक्ति युनिर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि हमारे उपराष्ट्रपति न होकर राधाकृष्णन जी युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते तो वह एक ज्यादा अच्छी चीज होती हमारे देश के लिये। इस तरह की जो हस्तियां हैं उनको किसी तरह से भी वाइस चांसलर बनाया जाय और मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी जो डेमोक्रेटिक तरीकों में विश्वास करता है वह भी इस पर एतराज नहीं कर सकता। जहां तक युनिवर्सिटी आटोनामी का सवाल है यह तो मैंने पहले ही कह दिया कि आटोनामी अवश्य होनी चाहिये। लेकिन उस पर कुछ तो रोक होनी ही चाहिये। लोग कहते हैं कि साहब डेमोक्रेटिक तरीके से वाइस चांसलर का चुनाव होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। डेमोक्रेसी जहां रहती है, प्रजातंत्र जहां होता है, वहां माइनारिटीज का भी ख्याल होता है और डेमोक्रेसी पर भी चेक रखने के लिये आज हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर ही हमारा विधान पड़ा हुआ है। अगर बहुमत से छंटे हुये लोग हिन्दुस्तान की हुकूमत में

---

* प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्य-वाही में छपा है।

† १५ अक्तूबर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

जब वह आ जाते हैं तो वह भी अपने उस बहुमत के बल पर कुछ ऐसे काम नहीं कर सकते हैं जो कि विधान के जरिये से सुरक्षित हैं। एक कानून अभी इसी प्रदेश में इस सरकार ने बनाया, दो तीन और ऐसे कानून ऐसे बने, उन्होंने स्वतंत्रता हरण करने की कोशिश की जो कि विधान के अन्दर सुरक्षित थी। अदालत के सामने जब वह मामला गया तो वहां पर उस डेमोक्रेसी के मानने वालों ने जो कानून बनाया था उनके उस कानून को रद्द कर दिया गया और जनता के जो हक सुरक्षित थे उनको कायम रखा गया। तो इसलिये डेमोक्रेसी में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस की आवश्यकता होती है। इसलिये मैं समझता हूं कि चुनाव किस प्रकार से डेमोक्रेटिक भी हो सके, अच्छा आदमी भी चुना जा सके और वह आदमी काबिल भी हो, ऐसी चीज होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता हूं कि वाइस चांसलर कौन आदमी हो, किस प्रकार का आदमी हो, इसके बारे में भी हमारे इस बिल में कुछ न कुछ होना चाहिये, उसकी क्वालीफिकेशंस कुछ न कुछ अवश्य इस बिल में आनी चाहिये थीं कि कौन आदमी वाइस चांसलर हो युनिवर्सिटी का। मैं समझता हूं कि यह भी बहुत आवश्यकीय है कि अगर हिन्दुस्तान के अन्दर वह समझते हैं कि अच्छे वाइस चांसलर रखे जायं तो यह निश्चय पहले कर लेना होगा कि यह क्वालिफिकेशंस उस वाइस चाँसलर की अवश्य होनी चाहिये। मूथम कमेटी के सामने जिसके बयान हुये उन लोगों ने भी इस बात पर कहा कि उसको प्रोफेसर होना बहुत आवश्यकीय है जो कि वाइस चांसलर हो। बिना प्रोफेसर हुये तो कोई वाइस चांसलर ठीक हो ही नहीं सकता है।

तो मूथम कमेटी ने भी इत्तिफाक नहीं किया। जो विचाराधारा माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने यहां रखी कि जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी वोटों से हुकूमत यहां छूट कर आयी है तो पढ़े लिखे लोगों की अकल पर उनको विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष——माननीय नारायणदत्त तिवारी जी का संशोधन है, तेज प्रताप सिंह जी का नहीं है। वह खत्म हो गया है। उस पर टीका नहीं हो सकती।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——मैं डेमोक्रेटिक तरीके के वाइस चांसलर के चुनाव की बात कह रहा हूं। हमें दुख इस बात का है कि जिन लोगों को हमारे प्रदेश की गरीब जनता से टैक्स लेकर पढ़ाया जाता है तो जब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के चुनाव का मामला आया तो उन्हीं लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऐसी दशा कर दी कि सरकार को यह बिल लाना पड़ा। यह हम मानते हैं कि यूनिवर्सिटी में स्वतंत्रता होनी चाहिये। आज क्लास्टज्म और सारी चीजें यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। वहां कोई पोलीटिकल पारटीज भी नहीं है, अगर कोई कायस्थ है तो वह कायस्थों को ही चाहता है और अगर कोई ब्राह्मण या वैश्य है तो वह उसी को चाहता है।

श्री अध्यक्ष——मैं यह जानना चाहूंगा कि आप इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं या समर्थन?

श्री मदनमोहन उपाध्याय——मैं संशोधन का समर्थन कर रहा हूं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष——लेकिन आप उसके विपरीत बात कर रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——मैं नारायणदत्त जी से कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं। मुझे यह कुछ ज्यादा डेमोक्रेटिक सा मालूम नहीं हुआ। इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इसमें कुछ संशोधन करें। यह प्रपोजल गवर्नमेंट के प्रपोजल से कोई ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है। एक सजेशन मूथम कमेटी का था जो अच्छा मालूम होता है। हिन्दुस्तान की जितनी

यूनिवर्सिटियां हैं उनके वाइसचांसलर्स की एक कमेटी बना दी जाय जो किसी यूनिवर्सिटी के लिये जहां वाइसचांसलर की जगह खाली हो ३ आदमियों के नाम भेज दे। यदि वह यूनानिमस होकर एक ही नाम भेजती है तो वह तो वाइसचांसलर हो ही जायगा लेकिन यदि वह ३ नाम भेजती है तो उनमें से चांसलर किसी को भी वाइसचांसलर बना दे। एक तरीका सबसे अच्छा यह है कि वाइसचांसलर की क्वालीफिकेशंस रखी जावें, उसके बाद एक्जीक्यूटिव कौंसिल ३ नाम उन्हीं क्वालीफिकेशंस के भेज दे। अगर वह एक नाम पर यूनानीमस होती है तो वह वाइसचांसलर हो जाय। झगड़ा तो तब होता है जब कि माइनारिटी का एक नाम भी नहीं होता।

तीन नामों का सेलेक्शन करके जो क्वालीफिकेशंस में आते हों एक्जीक्यूटिव कौंसिल वाइसचांसलर के चुनाव के लिये पेश कर दे और उनका चुनाव यूनिवर्सिटी के हर एक व्यक्ति द्वारा होना चाहिये चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे स्वीपर हो चाहे प्रोफेसर हो चपरासी हो और चाहे कुक हो यानी जो भी हो यूनिवर्सिटी के इम्प्लाइज हों उनके द्वारा चुनाव होना चाहिये। यह सब वायस चांसलर को छांट लेंगे और वही वायस चांसलर माना जायगा। यह डेमोक्रेसी है, यह आटोनोमी है। हमें तो सिर्फ टीचर्स का ही इंट्रेस्ट नहीं देखना है हमें तो सबका इंट्रेस्ट देखना है जैसे कि माननीय बहुगुना जी और शुक्ला जी वगैरह ने कहा था कि टीचर्स के लिये ही सब कुछ होना चाहिये। मैं कोई इलाहाबाद एक्जीक्यूटिव कौंसिल के लिये कैंडीडेट नहीं हूं बल्कि मैं तो पूरी आटोनोमी चाहता हूं और यह तभी हो सकती है जब कि पूरी-पूरी आजादी हो। हमें अपने बच्चों को भेड़िये के सामने नहीं छोड़ना है। आज लोग चाहते हैं कि वायस-चांसलर उनकी पार्टी का हो जिससे वह ४–६ सब्जैक्ट्स के एक्जामिनर्स हो जायं और बहुत सी कापीज मिल जायं।

अध्यक्ष महोदय, जब बिल आयगा उस समय मैं आपके सामने मिसालें रखूंगा कि किस तरह से यूनिवरसिटी के प्रोफेसर्स पैसे के लिये, एक्जामिनर होने के लिये सारी पोलिटिक्स के अन्दर शरीक होते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मैंने सुझाव दिये उसमें माननीय नारायण दत्त जी तिवारी पुनः विचार करके संशोधन को लायें। आज क्या कारण है कि मैं समझ नहीं सका कि माननीय शिव नारायण जी बड़ी-बड़ी किताबें लेकर आये हैं। मुझे तो अध्यक्ष महोदय उनसे डर लगने लगा है कि आखिर वह क्या चाहते हैं। एक किताब तो वही दिखाई दे रही है जो अभी हमें लाइब्रेरी का कैटेलौग मिला है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं उपाध्याय जी को बतलाना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—(श्री मदन मोहन उपाध्यक्ष से) क्या आप बैठ गये ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी नहीं। मैं तो माननीय शिवनारायण जी के खड़े होने पर बैठ गया था। इसलिये कि शायद वे कुछ कहना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष—(श्री शिवनारायण जी से) आप कृपा कर बीच में न उठें जब तक वे बैठ न जायं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं समझता हूं कि तीन आदमियों के नाम हों जो यूनिवर्सिटी के बाहर के हों। एक तो यह बाइबिल है जिसमें से बहुत कुछ कोट किया गया है। मैं भी इसमें से दो चार शब्द पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि पहली बात यानी कमेटी वाली इसलिये महत्व रखती है। वे कहते हैं कि—

"Above all the Vice-Chancellor has failed in our judgment, which we express with diffidence, to give that lead in creative educational thought which we believe to be the distinctive task of the holder of that office."

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

आगे फिर एक जगह कहते हैं कि:—

"The Vice-Chancellor be a person who is deeply interested in and concerned with educational thinking. The Vice Chancellor is the principal university administrator, and the indispensable characteristic of a good Vice-Chancellor has, in our opinion, been well stated by one of our witnesses when he says that he must be—

> a person who has thought and who thinks deeply about the function of a university, who has creative ideas about how the needs of India can best be served by her universities, who is articulate in expressing his ideas on university education and who is adapt in placing the financial needs of the university before those agencies of Government who must appropriate the necessity funds.

We hold the view that the distinctive task of the Vice-Chancellor is to lead in educational thinking, and to inspire and cultivate an atmosphere of creative academic thought in the university."

इसलिये ऐसा हो रहा है कि हम यूनीवर्सिटी के वायस चांसलर के चुनाव में अगर पोलिटिक्स को डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ओटोनोमी में कायम रख सकें लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति हिन्दुस्तान में मिल सकें जिससे हम यूनिवर्सिटी की आटोनोमी को बनाने के लिये वायसचांसलर चुन सकें तो अध्यक्ष महोदय, उस तरीके को इस्तेमाल करना चाहिये। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को मैं इसलिये सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि उनकी पोजीशन बहुत ऊंची है। हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी के अन्दर ग़लत तरीके से वह चुने गये हों लेकिन सारे हिन्दुस्तान के अन्दर सारे वाइस चांसलर ग़लत तरीके से चुने गये हों, ऐसा नहीं है। इसलिये अगर वाइस चांसलर को छांटने के लिये ऐसे आदमियों की एक कमेटी बना दी जाय तो वह सब से उपयोगी रहेगी। इन सुझावों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायण दत्त जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को थोड़ा सा बदल दें।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, विधेयक का यह अंग बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। यदि इस सम्बन्ध में यह भी कहा जाय कि सम्पूर्ण विधेयक की यही धारा जान है तब भी मेरी समझ में गलत नहीं होगा। जितनी कमेटियां और कमीशन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में आज तक बने सभी ने इस पर बड़ा जोर दिया है कि उपकुलपति की नियुक्ति किस प्रकार से हो। यह तो ठीक है कि कुछ समय पहले इस प्रान्त में और इस प्रान्त के बाहर जितने विश्वविद्यालय थे उनमें उपकुलपति की नियुक्ति कोर्ट के द्वारा होती थी लेकिन सन् १९४९ के बाद जितने बिल बने इस सूबे में या इस सूबे के बाहर उन सब में यही रखा गया कि कोर्ट से यह अधिकार निकाल करके एक्जीक्यूटिव कौंसिल में दिया गया। हमारे प्रान्त की यूनिवर्सिटीज कमेटी जो बहुत पहले बनी थी उसने भी यही सिफारिश की थी कि उपकुलपति एक्जीक्यूटिव कौंसिल द्वारा मनोनीत हो बशर्ते कि चांसलर उसको स्वीकार कर लें। यह शायद भवन को याद ही होगा कि आचार्य नरेन्द्र देव जी भी इस कमेटी के एक सदस्य थे। उसके पश्चात् राधाकृष्णन् कमीशन की जो रिपोर्ट हुई उसमें भी उन्होंने कोर्ट से यह अधिकार निकालने की सिफारिश की। मूथम कमेटी ने भी एक प्रकार से यही सिफारिश की कि कोर्ट से उसकी नियुक्ति न हो। उन्होंने यह रखा कि जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल की सिफारिश हो वह कोर्ट में भेजी जाय, कोर्ट के कुछ प्रतिशत लोग उसको मंजूर करें तो उसकी नियुक्ति हो। तो इस प्रकार से, श्रीमन, आप देखेंगे कि

जहां तक उपकुलपति का सम्बन्ध है अधिकतर राय यही है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल से ही यह चुनाव हो और कोर्ट को यह अधिकार न दिया जाय। इसके कारण भी हैं एक कारण तो सभी जानते हैं और अभी माननीय मदनमोहन जी ने बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी का उदारहण दिया था। इसमें कोई सन्देह नहीं और यह सभी को स्वीकार है और सभी को इसका गर्व भी है कि आचार्य जी का जो स्तर, उनकी विद्वता, हर माने में उनका बड़प्पन इतना बड़ा है कि हमारे सारे देश को इसका गर्व हो सकता है। लेकिन ऐसा उपकुलपति होते हुये भी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के कोर्ट की वह प्रोसीडिंग अगर पढ़ी जाय जिससे मजबूर होकर के ही शायद, मैं इसको बहुत निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकता, उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। वह प्रोसीडिंग जो मैंने देखी तो मुझे बड़ा धक्का लगा। मैं समझता हूं कि इस कारण उपकुलपति को कोर्ट से सम्बन्धित रखना इस माने में कि वह उनको चुन सके या उन पर अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सके या अविश्वास का प्रस्ताव ले आ सके उपकुलपति के स्थान के लिये ठीक नहीं होगा और इसीलिये इस विधेयक में कोर्ट से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रखा गया। एक बात और कही गयी कि वाइस चांसलर की योग्यता भी निर्धारित होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि वाइस चांसलर के महत्वपूर्ण पद को देखते हुए किसी विधेयक में उसकी योग्यता रखी जाय कि वह ग्रेजुएट हो, एम० ए० हो, या डाक्टोरेट की डिग्री हो, वह कुलपति के लिए ठीक नहीं समझा जायगा। उसमें एक प्रश्न तो यही होगा कि कौन इसका निश्चय करेगा कि वह उन योग्यताओं को रखते हैं या नहीं। उसके सूटेबिल हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि यह एक ऐसा ऊंचा पद है कि एक विधेयक में योग्यता निर्धारित करना उस ऊंचे पद का आदर करना नहीं होगा। इसी कारण हम सभी जानते हैं कि किसी विश्वविद्यालय के उपकुलपति का स्थान क्या है और उसके लिये किस योग्यता के व्यक्ति की आवश्यकता है। तो ऐसी हालत में यह नहीं कि मैं या सरकार चाहती है या भवन का कोई सदस्य यह चाहता है कि उपकुल-पति कोई "हियर देयर, ऐंड एवरी व्हेयर टाइप" का कोई आदमी हो जाय, उसका अर्थ यह नहीं। उसका अभिप्राय केवल यही है कि हम सभी जानते हैं कि जिन लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी छोड़ी जा रही है कि उपकुलपति का चुनाव करें वे सभी जानते हैं और उनसे अवश्य आशा की जाती है कि वह जानते हैं कि उपकुलपति का स्थान क्या है और इसके लिये कौन व्यक्ति योग्य होगा और इसी कारण इस विधेयक में उनकी योग्यता निर्धारित नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मूल अधिनियम में उप-कुलपति के चुनाव का जहां जिक्र है इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, वह इस प्रकार है —

"The Vice-Chancellor shall be elected by the Court from amongst the persons recommended by the Executive Council subject to the confirmation of the Chancellor."

स्पष्ट शब्दों में एक्जीक्यूटिव कौंसिल कुछ व्यक्तियों का, उसमें शब्द "पर्सन्स" रखा गया है, इससे यह अर्थ लगाया जा सकता है कि एक आदमी का नाम न हो, बल्कि कई व्यक्तियों का नाम हो सकता है। एक से अधिक एक्जिक्यूटिव काउन्सिल उन आदमियों की सिफारिश कोर्ट को करेगी और कोर्ट उसमें से चुनेगी बशर्ते कि चांसलर उसको मंजूर कर लें। यदि चांसलर कोर्ट की सिफारिश को मंजूर नहीं करता है तो कोर्ट से चुना हुआ वाइस चांसलर नियुक्त नहीं होगा। इसका ठीक अर्थ यही होता है और इस कारण यह कहना कि मूल अधिनियम में जो धारा थी वह प्रजातन्त्र की दृष्टि से अधिक प्रजातन्त्रवादी थी, मैं समझता हूं कि गलत है, क्योंकि उसमें चांसलर को यह अधिकार था कि बावजूद इसके कि कोर्ट किसी को चुने चांसलर को यह अख्तियार था कि वह उसको न मंजूर करे और इस कारण कोर्ट के द्वारा मनोनीत व्यक्ति यह आवश्यक नहीं था कि उस विश्वविद्यालय का वाइस

[श्री हरगोविन्द सिंह]

चांसलर जरूर ही बन जाय। इस यूनिवर्सिटी में तो नहीं । लेकिन पहले जिन कई यूनिवर्सिटीज के अधिनियम में इस प्रकार की धारा थी, वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है । जिस समय कि चांसलर ने मनोनीत वाइस चांसलर को नियुक्ति करने से इन्कार किया। मैं समझता हूं कि मूल अधिनियम में जो धारा है वह चांसलर के हाथ में उपकुलपति के चुनाव के सम्बन्ध में अधिक अधिकार देती है । चांसलर को यह अधिकार उसके द्वारा होता है कि कोर्ट किसी को चुना करे और चांसलर उसे इंकार करे । इसमें कोई ऐसी बात का प्रतिबन्ध नहीं है कि चांसलर के ऊपर कोई मजबूरी होती है कि वह कोर्ट द्वारा मनोनीत वाइस चांसलर को अवश्य ही नियुक्त कर दे । तो इस पृष्ठ भूमि में श्रीमन्, विधेयक में जो धारा इस सम्बन्ध में है उसका विश्लेषण करें। उसमें एक्जिक्यूटिव कौंसिल अगर किसी एक आदमी पर सहमत हो तो चांसलर को उसके बाद यह अधिकार नहीं है कि चांसलर उसको इंकार कर सके। चांसलर के लिये मजबूरी होगी कि वह उसी व्यक्ति को वाइस चांसलर नियुक्त करे। यही नहीं यदि पहली मीटिंग में एक्जिक्यूटिव कौंसिल के सभी सदस्य सहमत न हों तो १० रोज के अन्दर एक दूसरी मीटिंग करनी होगी। उसमें भी सब को मिलकर यह प्रयत्न करना पड़ेगा कि एक मत के हो जायं और अगर दूसरी मीटिंग में भी असफल रहे तो उस अवस्था में वे तीन आदमियों के नाम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से चांसलर के पास भेजेंगे। चांसलर यदि चाहे तो उन तीन आदमियों में से ही किसी चौथे आदमी को नहीं, एक की नियुक्ति करेगा और यदि वह चाहे तो फिर एक्जिक्यूटिव कौंसिल को भेज देगा और एक्जीक्यूटिव कौंसिल को यह तीसरा अवसर होगा कि एक मत से किसी एक व्यक्ति का नाम चांसलर के पास भेजे और उस समय चांसलर मजबूर होगा कि उसी एक व्यक्ति को विश्वविद्यालय का उपकुलपति बनावे। अब आप देखें कि यूनिवर्सिटी को या यूनीवर्सिटी की बाडीज को किसमें अधिक अधिकार है मूल अधिनियम में जिसमें चांसलर के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और वह यदि चाहे तो विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक डेडलाक क्रियेट कर सकता है, यह नहीं है कि जिन आदमियों के नाम कोर्ट से आये है उनमें से किसी एक को मंजूर ही कर ले । यदि मंजूर नहीं करता है तो यह डेडलाक चलता रहेगा और किस प्रकार से यह डेडलाक टूट सकता है इसके लिये कोई धारा मूल अधिनियम में नहीं है । एक ओर आप यह देखें और दूसरी ओर जो विधेयक की धारा है उसमें आप यह देखें कि हम चांसलर को इस बात के लिये मजबूर करते हैं, उसको इस बात का कोई अधिकार नहीं देते हैं कि यूनिवर्सिटी की एक्जिक्यूटिव द्वारा एक मत से चुना हुआ व्यक्ति चांसलर द्वारा इन्कार किया जा सके कि वह वाइस चांसलर नहीं होगा। इन दोनों की यदि तुलना की जाय मैं समझता हूं कि इसमें यूनीवर्सिटी की और उसकी बाडीज की इज्जत कहीं ऊपर रक्खी गई है बनिस्बत उस धारा के जो कि मूल अधिनियम में थी। जब मैंने श्री नारायणदत्त तिवारी जी का संशोधन पढ़ा इससे पहले श्रीमन्, सामान्य विवाद के समय उन्होंने दो घंटे का एक लम्बा भाषण इस भवन पर थोपा और जिसमें उन्होंने आद्योपान्त इस विधेयक का विश्लेषण किया, निरीक्षण किया और आखिर में एक फैसला दिया और यह कहा कि यह तो बड़ा प्रतिक्रियावादी है। इसमें तो यूनिवर्सिटी की आटोनामी का अपहरण है। इसमें तो उन सब अधिकारों को छीन लिया गया है तो उस समय तो मेरा ध्यान इस संशोधन की ओर नहीं गया था जो कि उनके नाम में है। लेकिन इसे देख कर मुझे इतना कहने का अवसर तो आज मिल ही गया कि बावजूद उस भाषण के यदि प्रजा समाजवादी गवर्नमेंट हो जाय और उसके नेता हमारे नारायणदत्त जी हो जायं तो वे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या अधिकार देना चाहते हैं उसका प्रतीक यह संशोधन है। वह संशोधन क्या है ? वह संशोधन यह है कि कोर्ट के द्वारा

वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि दो व्यक्ति तो एक्जिक्यूटिव कौंसिल के हों और एक व्यक्ति एकेडेमिक कौंसिल का हो और इन तीनों व्यक्तियों को यह अधिकार होगा कि वह तीन आदमियों का चुनाव करें और फिर अपनी सिफारिश के साथ उनको एक्जिक्यूटिव कौंसिल के पास भेज दें। जो वायस चांसलर का चुनाव होगा उसके लिये एक्जिक्यूटिव कौंसिल क्या करेगी, वह कुछ नहीं करेगी। जिस तरीके पर लेटर बाक्स होता है कि निश्चित समय पर उससे लेटर निकाल लिये जाते हैं और वह निश्चित समय पर अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से एक्जिक्यूटिव कौंसिल अपनी सिफारिश चांसलर के पास भेज देगी और चांसलर को यह अधिकार होगा कि वह मनोनीत व्यक्तियों में से चाहे वह कितने भी हों उनमें से किसी एक व्यक्ति को वायस चांसलर बना दे। सचमुच मैंने यह भी समझा कि उनके भाषण देते समय शायद गैलरी में कुछ लोग रहे होंगे या और कहीं रहे होंगे और इसी कारण से इस बात का ढिंढोरा पीटा गया कि इस विधेयक द्वारा यूनिवर्सिटी के हित की रक्षा नहीं हो रही है उसकी अटानामी का अपहरण हो रहा है लेकिन वायस चांसलर की इस प्रकार से नियुक्ति हो जो उस संशोधन में बतलायी गयी है जो कि उनके तथा कथित एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा होता है। उस संशोधन को देख कर मुझे मालूम हुआ कि वह कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं। एक्जिक्यूटिव कौंसिल को नहीं अधिकार होगा यह बात समझ में आयी। एक्जिक्यूटिव कौंसिल में २५ आदमी के करीब होंगे तो उनको केवल दो आदमी रिप्रेजेन्ट करेंगे और ५०, ६० आदमी एकेडेमिक कौंसिल में होंगे उनको एक आदमी रिप्रेजेन्ट करेगा। तीनों आदमियों का यह अधिकार होगा कि वह तीनों उस सूची में आयें। उन तीनों आदमियों में से निश्चय ही एक आदमी जरूर वायस चांसलर बना दिया जायगा यह मूल संशोधन में है। यदि इसका मुकाबला किया जाय जो कि इस विधेयक में रखा गया है तो उसमें एक्जिक्यूटिव कौंसिल के दो आदमियों को अख्तयार नहीं दिया गया है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल में २१ या २५ आदमी होंगे। उन सब को अधिकार है और यही नहीं बल्कि यह भी उनको अधिकार है कि वह एकमत होकर जिसको चुन देंगे चान्सलर मजबूर हो जायगा कि उसका चुनाव करे। चांसलर इस बात के लिये मजबूर हो जायगा कि उसमें से एक आदमी को मनोनीत कर दे। आज सब जगह वायस चांसलर की नियुक्ति किस प्रकार से होती है वह मैंने आज देखा है तब समझ में आया कि नारायणदत्त जी यह चाहते हैं कि वायस चांसलर वही व्यक्ति नियुक्त हो जिसको चांसलर मुकर्रर कर दे और भले ही वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल की राय ले ले। मूल सिद्धान्त उनका यह है कि चांसलर को पूर्णतः अधिकार इस बात का होना चाहिये कि एक व्यक्ति को आफ्टर कंसल्टेशन विद दी कोर्ट या आफ्टर कंसलटेशन विद दी एक्जीक्यूटिव कौंसिल मुकर्रर करे। लेकिन वह अधिकार देने में डरते थे क्योंकि वह उनके उस लम्बे भाषण से असंगत हो जाता था। अगर हम उसको अधिकार देते हैं तो भले ही वह कोर्ट या एक्जीक्यूटिव कौंसिल किसी से भी राय क्यों न ले नियुक्ति के पूर्ण अधिकार तो चांसलर को ही हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा वे करते हैं तो लोग यह कहेंगे कि यूनिवर्सिटी की ओटोनामी के सब से बड़े दुश्मन हम ही नहीं हैं, वे भी हैं। इस चीज को छिपाने के लिये यह संशोधन भवन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मूलतः यही बात है। इसलिये श्रीमन्, मैं आपके ऊपर तथा आपके द्वारा इस सदन के ऊपर इस बात को छोड़ना चाहता हूं कि वे स्वयं देखें कि यूनिवर्सिटी की स्वतन्त्रता की रक्षा किस के द्वारा हो रही है और यूनिवर्सिटी को किस के द्वारा अधिकार दिये जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वाइस चांसलर का स्थान बहुत उच्च स्थान है लेकिन अगर कोई यह समझे कि वाइस चांसलर के अच्छा व्यक्ति नियुक्त हो जाने से यूनिवर्सिटी के सब दुःख दूर हो जायंगे, यह ग़लत धारणा होगी। यदि ऐसा हुआ होता तो निस्संदेह कम से कम बनारस यूनिवर्सिटी में तो कोई झगड़ा संभव

[श्री हरगोविन्द सिंह]

न होता। लेकिन जैसा मैंने कहा अगर आप उसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को पढ़ें तो आपको दुःख होगा। मैं यह समझता हूं कि केवल अधिकारों के अपहरण करने से, किसी को अधिकारों से वंचित करने से, सारे दोष दूर नहीं किये जा सकते। प्रयत्न केवल इस बात का होना चाहिये कि अधिकार केवल उतने ही हों जिनका दुरुपयोग न हो सके। इसलिये हमें उतने ही अधिकार देना चाहिये तथा वह अधिकार उन्हीं को देना चाहिये जिनको देने से यूनिवर्सिटी का लाभ होने वाला है। जो वहां पठन-पाठन करते हैं उन्हीं के ऊपर यूनिवर्सिटी का भविष्य निर्भर है। अगर वहां के अध्यापकों को कोई अधिकार नहीं दिये जायेंगे तो चाहे यह विधेयक कितना ही अच्छा हो, चाहे हमारी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों न हो लेकिन यह मानना स्वप्नवत् होगा कि यूनिवर्सिटी में पूर्णतः सुधार हो जायगा। आज तक विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के चुनाव में त्रुटियां थीं, जिनके कारण दलबन्दी का आकार बढ़ता जाता था, जिसके कारण आज से पहले ऐसे लोग उपकुलपति हुए जिनको सचमुच में वह पद सुशोभित नहीं करना चाहिये था। लेकिन कुछ कारणों से उनको वहां वह स्थान मिल गया लेकिन उनकी वजह से उस स्थान की मर्यादा सुरक्षित न रह सकी। इसलिये हमनें इस विधेयक में यह रक्खा है कि जो भी उपकुलपति हो वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल के द्वारा चुना हुआ हो और इस बात का भी प्रयत्न किया है कि वे एकमत होकर चुन लें। अगर तीन से अधिक नाम होंगे तो सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट के द्वारा ३ नाम चुन लेंगे। उन नामों को चांसलर के पास भेज दिया जायगा। इस प्रकार ऐक्जीक्यूटिव से जो नाम जायेंगे उसमें से प्रत्येक के साथ कम से कम ७ सदस्य तो अवश्य होंगे। ७ इस बात को कहने वाले होंगे कि उसको वाइस चांसलर होना चाहिये। और दूसरी बात श्रीमन्, इसमें यह है कि अभी तक यह होता था कि एक व्यक्ति तो अच्छा भेज दिया जाता था और दो व्यक्तियों का नाम ऐसे आता था जिसको कोई नहीं जानता था और जिनको वे जानते थे कि चांसलर इनको कभी चुनेगा ही नहीं। इसलिये इस प्रकार से चांसलर के लिये केवल दो ही रास्ते होते थे। एक तो यह कि चांसलर मजबूर हो जाय उसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिये या यह कि तीनों में से किसी को न रखे और कह दे कि फिर से तीन नाम भेजे जायं। उसके सामने यही रास्ते थे कि उन तीन आदमियों में एक जो वास्तव में वाइस चांसलरी के लिये उपयुक्त उम्मीदवार होता था और दो डमी उम्मीदवार होते थे तो या तो उनमें से एक को नियुक्त करे या यह कि पूर्णतया इनकार कर दे। लेकिन इस विधेयक में जब यह रखा गया है कि अगर आप एक मत से किसी वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिये नाम नहीं भेज सकते तो आप तीन नाम भेज दें, तो इसमें श्रीमन्, इस बात की गुंजायश नहीं है कि एक तो सचमुच में अच्छा नाम हो और दो डमी नाम हों। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई ग्रुप हो लेकिन अगर वे किसी प्रकार से एक मत नहीं हो सकें और ग्रुप रहे ही तब भी उनके लिये यह सम्भव नहीं है कि एक नाम तो ठीक हो और दो डमीज के नाम भेज दें। इसमें तो हर ग्रुप की कोशिश यही रहेगी कि हमारे उम्मीदवार का नाम सबसे अच्छा रहे जिसमें चांसलर उन्हीं तीन में से ही तो एक को करेगा और अगर हमारा दिया हुआ नाम सब से अच्छा रहा तो हमारे दिये हुये नाम का व्यक्ति ही उपकुलपति बनाया जायगा। दूसरी बात यह कि इस बात की सम्भावना अब बिलकुल ही नहीं रह गयी है कि एक अच्छा और दो डमीज के नाम आवेंगे। इस तरह से मैंने जो तुलना विधेयक की धाराओं का और जो संशोधन है उसकी आप के सम्मुख की उससे मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यदि आप प्रतिक्रियावादी की संज्ञा इस संशोधन के साथ लगावें तो वह ग़लत नहीं होगा। इसमें यूनिवर्सिटी को एक्जीक्यूटिव को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। एक्जीक्यूटिव में जो दो व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है वे दो व्यक्ति जो चाहें कर देंगे। क्योंकि तीन जो होंगे उसमें एक्जीक्यूटिव के दो मेम्बर होंगे तो मैं नारायणदत्त जी से पूछना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि एक्जीक्यूटिव के दो मेम्बर उसमें नहीं होंगे बल्कि एक्जीक्यूटिव की तरफ से दो बाहरी मेम्बर होंगे।

श्री हरगोविंद सिंह—एक्जीक्यूटिव द्वारा नामिनेटेड दो मेम्बर होंगे।

श्री अध्यक्ष—यह इस तरह से है "A Committee of three persons, not concerned with the University or the Associated Colleges, two of whom shall be elected by the Executive Council."

श्री हरगोविंद सिंह—इसमें श्रीमन्, इतना ही है कि वे यूनिवर्सिटी या एसोसिएटेड कालेज के न हों। "not connected with the University or the Associated Colleges" इसका अर्थ श्रीमन् यह कहते हैं कि वे एक्जीक्यूटिव के मेम्बर नहीं होंगे, लेकिन मेरी समझ से वे एक्जीक्यूटिव के मेम्बर हो सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन् आपका जो अर्थ है वह ठीक है, माननीय मंत्री जी ठीक से समझ नहीं सके।

श्री हरगोविंद सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो कहा है वह तो ठीक है लेकिन आपके समझने में ग़लती हो गयी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—तो क्या यूनिवर्सिटी में एक्जीक्यूटिव कमेटी नहीं है?

श्री हरगोविंद सिंह—आप काहे घबड़ा रहे हैं? श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता कि जहां यह कहा गया है "A Committee of three persons not connected with the University or the Associated Colleges, two of whom shall be elected by the Executive Council".

जब श्रीमन् यह कहा जाता है कि वे एक्जीक्यूटिव कौंसिल में नहीं होंगे तो मैं तो यही आक्षेप कर रहा हूं कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल आदि चाहे तो उसके लिये प्रतिबन्ध केवल इतना ही है कि यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित मेम्बर न हो, एसोसिएटेड कालेज से सम्बन्धित न हो। लेकिन एक्जीक्यूटिव कौंसिल का वह मेम्बर रह सकता है और इसलिये दो व्यक्तियों द्वारा उपकुलपति का चुनाव हो तो इस चुनाव का सारा श्रेय वह अपने हाथ में ले सकता है। तो मैं समझता हूं कि यह इतना संकीर्ण दायरा है कि जो लोग इस बिल के हामी नहीं हैं यदि वह श्री नारायण दत्त जी की पहली २ घंटे वाली स्पीच को भूल जायं और केवल उन के संशोधन ही सामने रहे और यदि वह उसका विश्लेषण करें तो उन को मालूम हो जायगा कि भविष्य में यदि कभी उस दल का मंत्रिमंडल बनने का अवसर आया तो यूनिवर्सिटी की क्या हालत होगी वह इससे बिलकुल स्पष्ट हो जाता है क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का सम्बन्ध है वहीं युनिवर्सिटी का केन्द्रविन्दु है और उसी के चारों ओर यूनिवर्सिटी का कुल वातावरण पैदा होता है और वह तो एक आटोक्रेट होगा जो २ व्यक्तियों का चुना हुआ और जिस से युनिवर्सिटी का या और किसी का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता तो मैं समझता हूं कि बिल में जो धारा इस सम्बन्ध में रखी गयी है वही ठीक है, उसी में युनिवर्सिटी की भावनाओं की रक्षा है और उसी में उनकी इज्जत भी रखी गयी है और जो संशोधन है वह तो मैं समझता हूं कि ऐसा ही है कि जिसको वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देना चाहिये और मैं समझता हूं कि यह सदन उसको अवश्य फेंक देगा।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से इस प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस सम्बन्धित संशोधन के औचित्य के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा जो तर्क

[श्री अमरेश चन्द्र पांडेय]

प्रस्तुत किये गये हैं उनको मैंने समझने का प्रयत्न किया परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन तर्कों में कोई तत्व नहीं दिखाई पड़ा। मैं समझता था कि इस विधान सभा के पिछले ३ वर्षों के लगातार अनुभव के पश्चात् माननीय विरोधी दल के सदस्यों का स्तर कुछ ऊंचा हो गया होगा परन्तु बुद्धिभ्रम के कारण उनकी ओर से औचित्यपूर्ण वस्तुओं को भी अनौचित्यता का जामा पहनाया जाता है केवल विरोध करने के लिये। इस सम्बन्ध में मुझे एक उक्ति का स्मरण हो आया है। बृटिश पार्लियामेंट की बात है कि वहां सरकार की ओर से एक जनोपयोगी विधेयक पेश किया गया था.....

श्री अध्यक्ष—इस तरह का आमतौर से हमला नहीं होना चाहिये, इस तरह की हैबिट बताना ठीक नहीं है, इससे यहां गर्मी पैदा हो जायगी।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय—तो वहां पर एक जनोपयोगी विधेयक उपस्थित किया गया था परन्तु इसके बावजूद भी उस विधेयक का विरोधी पक्ष की ओर से प्रबल विरोध किया गया। उस समय सर विन्सटन चर्चिल ने वहां एक वर्स पढ़ा था कि जिसे मैं आपकी आज्ञा से यहां पढ़ देना चाहता हूं और वह वर्स यह था कि

"Here sit the unbalanced members of the opposition whose words none relies on,

Who neither utter a solid thing nor cintillate a wise one."

श्रीमन्, इस प्रस्तुत विधेयक में मेरी सम्मति से वाइस चांसलर के चुनने की प्रणाली की धारा ही सब से औचित्यपूर्ण है और मैं तो समझता था कि इस पर विरोधी पक्ष की ओर से माननीय मंत्री जी को बधाई दी जायगी। मैं यह अवश्य चाहता था कि इस विधेयक की महत्वपूर्ण धाराओं के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करता लेकिन इस धारा में जो प्रगतिशीलता दिखाई पड़ती है वह अन्य धाराओं में नहीं दिखाई पड़ती। मैं इस धारा के लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। श्रीमन्, जैसा कि हमारे मित्र माननीय नारायण दत्त तिवारी ने भवन के समक्ष निवेदन किया है कि वाइस चांसलर का स्थान यूनिवर्सिटी में एक केन्द्रविन्दु होता है और किसी युनिवर्सिटी का सर्वतोन्मुखी विकास यहां के वाइसचांसलर की योग्यता पर ही निर्भर रहता है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं मूथम कमेटी के विचार आप की आज्ञा से सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

"We hold the view that the distinctive task of the Vice-Chancellor is to lead in educational thinking, and to inspire and cultivate an atmosphere of creative academic thought in the University. It is clear, we think, that the Vice-Chancellor must be a man with exceptional qualifications."

एक महानुभाव ने राधाकृष्णन् कमीशन के सामने अपना बयान देते हुये इन विचारों को प्रकट किया था :—

"The Vice-Chancellor have been appointed mostly due to other conside rations than the academic ones and they have mostly been laymen or Judges of the High Court. The Vice-Chancellor should be those who have been actively engaged in teaching or administration in connection with University education."

डाक्टर जोशी जो इस देश के बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री रह चुके हैं उनके शब्दों में:—

"It is growingly felt that Vice-Chancellorship should be the crowning reward of a long academic life and shoud not become a subject of mere political loyalties."

श्रीमन्, वास्तव में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का कान्सेन्स कीपर होता है और किसी भी विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिये यह अपेक्षित होता है कि उस University का वाइस चांसलर अलौकिक प्रतिभाशाली, अद्वितीय शिक्षाशास्त्री और सुयोग्य शासक हो। इसलिये प्रश्न यह उपस्थित होता है कि कौन सी पद्धति अपनायी जाय जिससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अच्छी योग्यता का वाइस चांसलर हो सके। इसी दृष्टि को रखते हुये मूथम कमेटी ने बहुत विचार विनिमय किया है और उस कमेटी के काफी विचार इस पर प्रकट किये हैं और उन्होंने सर्वसम्मति से राय प्रकट की है कि कोई पेचीदगी उत्पन्न करने वाली प्रणाली वाइस चांसलर के चुनाव में नहीं अपनायी जानी चाहिये। श्रीमन्, आज जो प्रणाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के चुनाव के लिये प्रचलित है उसमें बहुत खामियां हैं और मूथम कमेटी ने सर्वसम्मति से उसके विरुद्ध अपना मत वैभिन्य प्रकट किया है। मूथम कमेटी की राय में उसमें तीन त्रुटियां हैं। पहली त्रुटि तो उसमें यह है कि बहुमत दल वाले ही वाइस चांसलर बन सकते हैं। दूसरी त्रुटि यह है कि वहां के वाइस चांसलर की वहां के शिक्षकों और प्रशासकों को प्रसन्न ही करना पड़ेगा क्योंकि वह उन्हीं के द्वारा चुना जाता है और तीसरी त्रुटि मूथम कमेटी ने यह बतायी है कि वाइस चांसलर के चुनाव के समय निम्नस्तर की अखाड़े बाजियां पैदा हो जाती हैं और जो इस पद की मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल होती हैं। श्रीमन्, जो प्रस्तावित धारा इस विधेयक में रखी गयी है वह बहुत सुन्दर है और मूथम कमेटी की काफी शिफारिशें उसमें आ गयी हैं और मैं समझता हूं कि अगर इस धारा के अनुसार वाइस चांसलर का चुनाव होगा तो हमारे विश्वविद्यालय में जो अखाड़ेबाजी होती है वह बन्द हो जायगी। इसके पूर्व कि मैं इस धारा के औचित्य के सम्बन्ध में निवेदन करूं मैं यह आवश्यक समझता हूं कि हमें उन प्रणालियों को भी दृष्टि में रखना चाहिये जो अन्य विश्वविद्यालयों में प्रचलित हैं। आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का चुनाव चांसलर करता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का चुनाव सिनेट करता है और ब्रिटेन के अन्य विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर का चुनाव क्राउन करता है। हमारे यहां की विभिन्न विश्वविद्यालयों में अन्यान्य प्रणालियां प्रचलित हैं। राजस्थान और दिल्ली में यह प्रणाली प्रचलित है जो कि मैं आप की आज्ञा से उपस्थित करता हूं, वहां एक कमेटी होती है :—

"A committee of three persons, two of whom shall be persons not connected with the University or any college, nominated by the Executive Council and one person nominated by the Chancellor, who shall also appoint one of the three as Chairman of the Committee, shall select not less than three persons and shall report its selection to the Executive Council. The Executive Council shall make its recommendations on the persons so selected to the Chancellor, who shall appoint one of such persons as Vice-Chancellor."

विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर के चुनाव की जितनी भी प्रणालियां इस समय प्रचलित हैं अगर उनको हम देखें तो हमें पता चलेगा कि विधेयक की जो प्रणाली इस धारा में रखी गयी है वह सर्वोत्तम है। डाक्टर अमरनाथ झा जिनकी छत्रछाया में प्रयाग विश्वविद्यालय इतने दिनों फूला और फला उनकी खुद की राय इस सम्बन्ध में इस प्रकार थी:

"Personally I would prefer the appointment of Vice-Chancellor on the recommendation of the Executive Council. The Executive Council will nominate these persons one of whom should be appointed by the Chancelollr."

डाक्टर अमरनाथ झा की राय के अनुसार वाइस चांसलर के चुनाव से और कोर्ट से कोई मतलब ही न होना चाहिये।

"I don't wish the Court to have anything to do with the appointment of the Vice-Chancellor."

[श्री अमरेशचंद्र पांडेय]

इसलिये श्रीमन्, जो धारा वाइस चांसलर के चुनाव के सम्बन्ध इस विधेयक में रखी गयी है वह सर्वोत्तम है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस धारा के अनुसार जो वाइस चांसलर का चुनाव होगा उसमें हमारा प्रयाग विश्वविद्यालय उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकेगा।

श्री वीरेन्द्र नाथ मिश्र (जिला हरदोई)—श्री नारायण दत्त जी ने जो संशोधन रक्खा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जितने भी कमीशंस यूनिवर्सिटियों के सम्बन्ध में आये उन सब की राय तथा देश के सारे शिक्षाशास्त्रियों की राय इसमें एक है कि वाइस चांसलर का चुनाव कोर्ट से न होना चाहिये, इसकी नियुक्ति चुनाव के द्वारा न होनी चाहिये। जब नियुक्ति चुनाव के द्वारा न हो तब कौन सा दूसरा तरीका अपनाया जाय? इसमें कोई शक नहीं कि श्री नारायण दत्त जी ने जो संशोधन रक्खा है वह मूथम कमेटी की सिफारिशों पर रक्खा है। उसका दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया है लेकिन हमको देखना है कि क्या उस तरीके पर भी कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है या नहीं। इससे भी अच्छा तरीका निकल सकता है या नहीं और इसके लिये हमको जो प्रस्तावित संशोधन है और इस विधेयक को जो प्रस्तावित धारा है उसकी तुलना करनी पड़ेगी। तिवारी जी ने जो संशोधन रक्खा है उसमें एक्जिक्यूटिव कौंसिल दो एक्सपर्ट्स चुनेगी। एक एक्सपर्ट एकेडेमिक कौंसिल चुनेगी। यह तीन एक्सपर्ट एक पेनेल आफ नेम्स बनायेंगे। जिनमें संख्या ३,४,५,६,८,१० भी हो सकती है। इन नामों को एक्सपर्ट चुन कर एक्जिक्यूटिव कौंसिल में भेजेंगे। कौंसिल फिर मिलेगी और जो पेनेल आफ नेम्स उनके पास आयेगा उसमें से कम से कम तीन नाम छांट कर वह चांसलर के पास भेजेगी। तो चुनाव के दो मौके एक्जिक्यूटिव कौंसिल में आयेंगे। एक एक्सपर्ट्स का चुनाव करेंगे, फिर एक्जिक्यूटिव कौंसिल चांसलर के पास नाम भेजने के लिये। वह इस तरह से चांसलर को बहुत ज्यादा अधिकार दे रहे हैं और इसके विरोध में जो विधेयक में प्रस्तावित धारा है उसमें यह किया गया है कि अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल का एक मत हो तो चांसलर बाध्य होगा इस बात के लिये कि वह उसी व्यक्ति को जिसके नाम के लिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक मत है, वाइस चांसलरी के लिये नामजद करे अगर एक मत न हो तो तीन नाम भेज देगी। प्रस्तावित धारा में एक विशेषाधिकार चांसलर को दिया गया है कि अगर वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल के द्वारा सिफारिश किये गये नामों से सहमत नहीं है तो एक्जीक्यूटिव काउन्सिल को फिर वापस भेज सकता है। इस पर एतराज हो सकता है कि यह चांसलर को एक विशेषाधिकार दे दिया गया कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल द्वारा नाम चुन कर के भेजे जाने के बाद भी वह वापस कर सके। लेकिन अगर इसमें देखा जाय तो उसके बाद एक्जीक्यूटिव कौंसिल को फिर एक मौका दिया जाता है कि अगर वह एक मत हो जाय तो दुबारा ही चांसलर को बाध्य होना पड़ेगा उसी व्यक्ति को नामजद करने के लिये और अगर एक्जीक्यूटिव काउन्सिल फिर भी एक मत नहीं होती तो वह तीन नाम भेजेगी चांसलर के पास और उनमें से किसी एक को वह वाइस-चांसलर नामजद कर देगा। तो वही नियम आ गया और दूसरा चुनाव एक्जीक्यूटिव कौंसिल का बच जाता है। एक ही मेम्बर का एक्जीक्यूटव कौंसिल नाम चुन कर के भेज देगी और चांसलर चुन देगा। तो मेरी राय में इस विधेयक में प्रस्तावित धारा जो है, तिवारी जी का जो संशोधन है वह जो मूथम कमेटी की मूल सिफ़ारिश थी वाइस चांसलर के बारे में उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ही है और मैं आशा करता हूं कि तिवारी जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे और जो प्रस्तावित मूल धारा है उसको पसन्द करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं तिवारी जी अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, वाइस-चांसलर के चुनाव के सम्बन्ध में जो सरकारी मसविदा है और उस पर जो इस सदन में संशोधन प्रस्तुत हुये हैं उन पर माननीय शिक्षा मंत्री जी की राय जानी गई और इस सदन के माननीय सदस्यों में बहुतों की राय जानी गई। एक पक्ष दूसरे पक्ष को इस समय प्रतिक्रियावादी संज्ञा से सम्बो-

धित कर के ही आत्म-तुष्टि करना चाहता हूँ। मगर मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जरा व्यापक दृष्टि-कोण अपनायें और जो सरकारी पक्ष का मसविदा है और जो संशोधन आया है उन दोनों की खूबियों को और दोनों के दोषों को देखें। श्रीमन्, यह हम पहले ही आप से निवेदन कर देना चाहते हैं कि जिस तरह का मसविदा पेश है और उस मसविदे को इम्प्रूव (अच्छा बनाने के लिये) करने के लिये जिस तरह का संशोधन पेश है अगर इन दोनों को सामने रख कर देखा जायगा तो एक नतीजा निकलेगा और यदि वर्तमान शिक्षा पद्धति का और वर्तमान जो हमारी युनिवर्सिटियों की दशा है उसको सुधारने की बात को ही सामने रख कर के देखा जायगा और उस हालत में वाइस-चांसलर की नियुक्ति कैसे हो उसे देखा जायगा तो दूसरा नतीजा निकाला जा सकता है। मैं यह सफ़ाई के साथ कह देना चाहता हूं कि अगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी तो ऐसा बिधेयक यूनिवर्सिटी की शिक्षा को संचालित करने के लिये लाने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ सकती है और जब ऐसा विधेयक नहीं आयेगा तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का जो संशोधन उस चर्मावस्था के लिये आता, उससे वह पीछे ही रह जाता है। माननीय मंत्री जी सरकारी मसविदे को देखें और उस सरकारी मसविदे में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की, कुछ उन्नति करने की जो माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन से एक सुझाव के रूप में बातें आयी हैं उस पर ख्याल करें तो मैं समझता हूं कि इस समय जो वस्तुस्थिति है, उस पर अच्छा प्रकाश पड़ सकता है। श्रीमन्, समय पन्द्रह ही मिनट रह गया है मैं चाहता हूं कि आपकी ही उपस्थिति में भाषण खत्म करूं मगर १५ मिनट बड़ा थोड़ा समय है तो मैं यह चाहूंगा कि इस समय हमारे बहुत से मित्र जो इस सदन में कभी-कभी बोला करते हैं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने सुझाव को रखा और जब माननीय मंत्री जी ने सामान्य वादविवाद का अवसर इस बिल पर दिया था तो उन्होंने खुद इस विधेयक को प्रतिक्रियावादी बतलाया था और मीडिआकर शब्द का भी शिक्षा मंत्री के लिये सांकेतिक ढंग पर इस्तेमाल किया था जो कि मैं करना नहीं चाहता। मगर आज भी उन लोगों के दृष्टिकोण में नारायण दत्त जी का संशोधन प्रतिक्रियावादी मालूम पड़ता है ठीक है। एक दृष्टि से अगर वह देखते हैं तो श्रीमन्, आते हुए जहाज के थोड़े मुंड को देख कर ही कोई भ्रम कर ले तो उसमें हमारा दोष नहीं है और न तो नारायण दत्त जी का दोष है। क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी का मसविदा प्रतिक्रियावादी है, पहले मैं इसी को निवेदन करना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी इस सदन में एक समां बांध रहे हैं कि हम तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल के जरिये से वाइसचांसलर के चुनाव की पद्धति रखना चाहते हैं कि होल (पूरी) एक्जीक्यूटिव कौंसिल बैठे। होल एक्जीक्यूटिव कौंसिल यूनानिमस होकर एक न हो तो तीन नाम तक चांसलर महोदय के पास भेजे और उनमें से चांसलर महोदय एक की नियुक्ति कर दें। श्रीमन्, सुनने में बात तो अच्छी मालूम होती है मगर वस्तुस्थिति का यदि विश्लेषण किया जाय तो हमें यहां तक जाना पड़ेगा कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल का निर्माण कैसे होता है, एग्जीक्यूटिव कौंसिल में कौन से लोग हैं? क्या सरकार यदि चाहे तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल में सर्वसम्मति रहने दे सकती है? हरगिज नहीं श्रीमन्, एक्जीक्यूटिव कौंसल में जिस तरह से सरकारी मेम्बरों का बोलबाला है, जिस तरह से चांसलर महोदय के नामिनेट परसंस (मनोनीत सदस्य) का बोलबाला है उनके जरिये से सरकार एक्जीक्यूटिव कौंसिल में कभी भी अगर चाहे तो सर्वसम्मति नहीं रहने दे सकती है। फिर यह कहना कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल को बड़ा पावर दे दिया है सरकार ने और माननीय नारायण दत्त जी उसको कम कर रहे हैं, यह कोई तर्कसंगत, युक्तिसंगत और न्याय की बात नहीं है। एक पक्ष को हल्का करने के लिये शायद ऐसे तर्क दिये जा सकते हैं मगर शिक्षा का जब विधेयक हो और शिक्षा मंत्री जब बोलने खड़े हों तो इस तरह के तर्क वितर्क से किसी पक्ष को हल्का करने की उम्मीद मैं नहीं करता था और मैं तो समझता था कि एक अच्छे तरीके से विवाद होगा। इसमें अनुचित तरीके से नाम नहीं घसीटे जायेंगे। यहां पर आचार्य नरेन्द्रदेव जी के इस्तीफे से सम्बन्ध जुटाते हुए अपने मसविदे को प्रबल बनाने की कोशिश की गयी। मैं इस पर बाद में आऊंगा।

श्री हरगोविंद सिंह—एक्जीक्यूटिव कौंसिल पर उनका कोई संशोधन नहीं है।

श्री राजनारायण—ठीक है श्रीमन्, अब माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं फिर निवेदन आपसे करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय के जरिये कि शिक्षा मंत्री के स्तर पर जाइये और जिस तरह के आंकड़े आया करते हैं कभी-कभी उस तरफ से उस तरह से स्वयं कोशिश मत करिये। माननीय नारायणदत्त जी ने श्रीमन्, कई पेज का अपना नोट आफ डिसेंट दिया है और उस नोट आफ डिसेंट को माननीय शिक्षा मंत्री जी को पढ़ना चाहिये था। अगर वह उसे पढ़ते तो वह पाते कि माननीय नारायणदत्त जी ने कौंसिल के कांस्ट्रक्शन संगठन पर आपत्ति की है और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से एक्जीक्यूटिव कौंसिल बन रही है, उस तरीके से एक्जीक्यूटिव कौंसिल का बनना उचित नहीं है, वह युनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्रणाली के विकास में बाधक है, साधक नहीं। उस असहमति की टिप्पणी के बाद भी माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि संशोधन नहीं आया। संशोधन नहीं आ सकता हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े काम हैं। हम थोड़े से लोग हैं इस सदन में और सरकार की ओर से श्रीमन्, जिस तरीके जल्दबाजी में तमाम विधेयक लाये जाते हैं उसमें हम जरूर इस बात को महसूस करते हैं कि हम अपने कर्तव्य को कभी भी नहीं निभा पाते हैं। इसलिये हम कभी कभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते रहते हैं कि हम अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों से वंचित हो गये हैं इस सदन में क्योंकि सरकार डिक्टेटोरियल तानाशाही तरीके से चल रही है।

श्री हरगोविंद सिंह—श्रीमन्, आपने कहा कि हम अपने अधिकारों से इस सदन में वंचित हो गये हैं। मैं समझता हूं कि यह चेयर पर रिफलैक्शन है।

श्री अध्यक्ष—वह तो यह कहते हैं कि अध्यक्ष से हम मदद ले लेते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अब मैं आपसे एक और सहारा चाहता हूं कि जरा माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने सन्तुलन को कायम रखें, आप इसमें हमारी और मदद करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—मैं गुरु और शिष्य के संवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं।

श्री राजनारायण—मैं यह कह रहा था कि यदि सही मानों में हम लोग इसे देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पूरा का पूरा मामला चाहे वह चांसलर का, वाइसचांसलर का, या एक्जीक्यूटिव काउंसिल का, या रेफ्रेंस कमेटी का या एकेडेमिक काउन्सिल का हो सारा का सारा विधेयक एक आदमी के हाथ में है और उसके हाथ में सारा विधेयक देकर माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि तुम इसमें संशोधन करो और वह संशोधन करो जो सामान्य वादविवाद के समय माननीय नारायण दत्त जी चाहते थे। नारायण दत्त जी के इस संशोधन के पहले उनका संशोधन आ चुका था चांसलर की नियुक्ति के बारे में और नारायणदत्त जी ने सफाई से कहा था कि हाई कोर्ट के चीफ जज को रख दिया जाय। नारायणदत्त जी समझते थे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी व्यापक दृष्टिकोण अपनावेंगे और गवर्नर को, जो कि सरकार के मश्विरे से काम करता है, उसे न रखकर सम्मानित चीफ जस्टिस को चांसलर के पद पर सुशोभित करने की कृपा करेंगे। अगर ऐसा होता तो तिवारी जी का यह संशोधन और भी अच्छा होता। मगर वहां रखा गया माननीय गवर्नर को ही विराजमान। सरकार अपनी बात पर हठपूर्वक अड़ी रही और इसीलिये उन्होंने जज को नहीं रखा। तो फिर नारायण दत्त जी के संशोधन में कोई दोष नहीं है, दोष है विधेयक में। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं अंग्रेजी भाषा के बारे में, हमारे देश की राष्ट्रभाषा मातृभाषा, तो हिन्दी हिन्दोस्तानी है। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी परवश अंग्रेजी भाषा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी छत्रछाया में इस सदन में कई बार अंग्रेजी शब्दों का अच्छा मजाक उड़ चुका है। आपको याद होगा एक स्थान पर कैजुअल्टी शब्द का प्रयोग किया गया था और जबकि रानी एलिजबेथ के उत्सव पर वहां कुछ लोग मूर्छित हो गये थे, कुछ को खरोंच लगी थी तो वहां के लोगों की संख्या को

लेकर कुम्भ के लोगों की संख्या से तुलना की गयी थी। इसलिये मैं कह देता हूं प्रसंगवश कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी अंग्रेजी शब्दों की बातें अपनाने की कोशिश न करें। वहां वह धोखा खावेंगे।

बार बार आदरणीय अध्यक्ष के संकेत करने पर भी यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने दोष को नहीं परख पा रहे हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर है और नारायण दत्त जी का क्या कसूर है ? यह सारा सदन जानता है माननीय अध्यक्ष महोदय ने संकेत किया कि 'नाट कनेक्टेड विद दि यूनिवर्सिटी' उसका क्या मतलब होगा ? क्या एक्जीक्यूटिव काउन्सिल जो वहां की तमाम बातों को कार्यान्वित करती है, वह यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड संबंधित मानी जायगी या नहीं ? यह तो यूनिवर्सिटी अथारिटी के रूप में, एक तरह प्रमुख गवर्निंग बाडी सी माननीय शिक्षा मंत्री जी के विधेयक द्वारा बन गयी है। मगर अब उस एग्जीक्यूटिव काउन्सिल को माननीय शिक्षा मंत्री जी इस सदन में इस प्रकार से रखने की कोशिश करना चाहते हैं कि वह यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड नहीं मानी जायगी। अजीब हालत है। मैं अब चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अपनी गल्ती की ओर ध्यान दें और बरबस .....

श्री हरगोविंद सिंह--यदि आप जैसे गुरु मिल जायं।

श्री राजनारायण--हमें आशा है कि श्रीमन्, कि हम उनको सुधार के रास्ते पर ले जा रहे हैं यदि हमारे जैसे लोग इस सदन में और आजायेंगे तब तो वह और भी जल्दी सुधर जायेंगे।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन में केवल एक बात रखकर सरकारी मसविदे को अच्छा बताने की कोशिश की है। सदन इस बात को अपने दिमाग से हटा दे क्योंकि एक्जीक्यूटिव कौंसिल से तो जिस तरह से सरकार चाहेगी नामांकित प्रणाली को रख सकती है और उन्हीं लोगों के नाम पेश करा सकती है जिनके नाम सरकार चाहती है और ट्रांसफरेबिल वोट होने पर जिस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन है उससे सरकार जैसे चाहे वैसे अपने आदमी को रख सकती है। इसलिये हमारे सामने कोई महत्व की चीज नहीं है कि पूरी एक्जीक्यूटिव कौंसिल चुनती है या अधूरी बैठकर चुनती है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात बार-बार इस सदन में दोहराई जाती है मैं जरा दुख के साथ और उसी के साथ-साथ साहस के साथ इस सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग यहां पर इस बात को मान कर चलें कि कहीं कहीं कोई ऐक्सेप्शन होता है तो वह आर्डिनरी रूल का स्थान नहीं ले सकता है, जो अपवाद होता है वह साधारण नियम नहीं बन सकता है और साधारण नियम अपवाद नहीं बन सकता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं कि जो अपवाद है उसको साधारण नियम बना दिया जाय। इस विधेयक में माननीय नारायणदत्त जी का संशोधन अपवाद के रूप में है। माननीय नारायणदत्त जी का साधारण नियम जिसके अन्दर उच्च कोटि के विश्वविद्यालय के वायस चांसलर की नियुक्ति हो वह यहां नहीं के बराबर है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री समझने में न जाने भ्रम क्यों करते हैं। उनको भ्रम नहीं करना चाहिये। यदि इसको मान लें तो उनके संशोधन में क्या क्या खूबी है। मैं उनको संक्षेप में रखना चाहता हूं। वह खूबी यह है कि:--

"A committee of three persons, not connected with the University or the Associated Colleges, two of whom shall be elected by the Executive Council and one by the Academic Council according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote".

क्या हुआ ? इसमें दोनों को अधिकार होता है। श्रीमन्, एक तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल को और वह यह संतोष करेगी कि हमने ऐसे लोगों की समिति को चुना है जो वाइस चांसलर के पद पर जाने वाले व्यक्तियों को तलाश करेगी। इसमें एक्जीक्यूटिव कौंसिल के अधिकारों का

[श्री राजनारायण]

अपहरण कहां हुआ। उसको अधिकार है कि इस तरीके से वाइस चांसलर के पद पर नियुक्ति के लिये तीन नाम चुने।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हम चाहते हैं कि आप भी उस समय आने का कष्ट करें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार की ओर से वाइस चांसलर के चुनाव की जो पद्धति विधेयक में रखी गयी है वह बहुत ही दोषपूर्ण है और उसमें सरकार का हाथ पूरे तरीके से रहेगा। सरकार यदि चाहे तो कौंसिल से यूनानिमस नाम आ सकता है और यदि सरकार न चाहे तो कौंसिल में जो सरकार के द्वारा नियुक्त किये हुए लोग हैं उनके जरिये सरकार सर्वसम्मति को बदलवा दे सकती है, एक तरह से वीटो पावर के रूप में वे इस्तेमाल हो सकते हैं और तीन नाम भेजने की परिस्थिति पैदा की जा सकती है। फिर यह मानी हुयी बात है कि चांसलर महोदय जो गवर्नर होंगे उन्हीं तीन नामों में से नामिनेट करेंगे और उन्हीं को नामिनेट करेंगे जो सरकारी सदस्यों द्वारा उस पैनेल में भेजे गये हों। तो यह बार-बार शिक्षा मंत्री की ओर से तर्क प्रस्तुत करना कि कौंसिल पूरे रूप में बैठ कर चुनती और माननीय नारायण दत्त जी का जो संशोधन है वह कौंसिल को इस अधिकार से वंचित करता है इसमें कोई तथ्य नहीं है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब सदन का समय भी हो गया और माननीय शिक्षा मंत्री इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर भी वाद-विवाद के समय सदन से अनुपस्थित.....

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—मैं हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, डाक्टर साहब हैं, ठीक है। मगर डाक्टर साहब की जो सीमायें हैं उनको भी मैं समझता हूं और वह भी अपनी सीमा समझते होंगे। वह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी मंत्री नहीं हो सकता, वह कैबिनट में बैठते भी नहीं होंगे।

श्री शिवनारायण—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या माननीय मंत्री के ऊपर इस किस्म से अटैक करना ठीक नहीं है। मंत्री न हों तो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रेप्रेजेन्ट करते हैं और इस तरीके से डाइरेक्ट हिट करना मुनासिब नहीं है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि माननीय राजनारायण अपने शब्दों को वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष—हो सकता है कि किसी को शिक्षा मंत्री से विशेष प्रेम हो। माननीय राजनारायण जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि जब शिक्षा का विधेयक प्रस्तुत हो तो आवश्यकता तो यह थी कि सदन में माननीय मुख्य मंत्री भी विराजमान होते, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री भी रहते क्योंकि मुख्य मंत्री जी ही सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन थे और वह उस समय सेलेक्ट कमेटी के अन्दर जो तर्क-वितर्क होते थे, जिन अनुभूतियों से, जिन भावों से प्रभावित हो कर सेलेक्ट कमेटी के सम्मानित सदस्य वहां पर अपने मत को प्रकाशित करते रहें होंगे उसको अच्छी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर समझते। हमारे संशोधन की जो गुरुता है, हमारे संशोधन की जो उच्चता है, जिस आदर्शवादिता से ओतप्रोत और प्रभावित है उसको समझ सकते थे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय नारायणदत्त द्वारा

प्रस्तुत संशोधन का विरोध करते हुए जिस दृष्टिकोण को अपनाया था वह दृष्टिकोण, मुझे इसके कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण था और शिक्षा के विधेयक पर वैसा दृष्टिकोण कायम रखना शिक्षा की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित कर सकता है। एक महान् तर्क जो माननीय शिक्षामंत्री जी की ओर से उपस्थित किया गया वह यही था, उस कड़ी, उस लड़ी को जोड़ने के लिये ही मैं उसको थोड़े में दोहरा देना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री का कथन था कि एग्जिक्यूटिव काउन्सिल के अधिकार को नारायणदत्त जी का संशोधन संकुचित करता है। मेरा तर्क यह है कि एग्जिक्यूटिव काउन्सिल के अधिकार को नारायणदत्त जी का संशोधन तनिक भी संकुचित नहीं करता। सरकार का जो मसौदा है, उस सरकारी मसौदे के मुताबिक एक बार एग्जिक्यूटिव काउन्सिल बैठ कर या तो एक नाम चुने या तीन नाम देने की सिफारिश कर सकती है चांसलर महोदय के सामने, यह अधिकार एक बार था उनको, क्या नारायणदत्त जी के संशोधन में यह बात नहीं है? नारायणदत्त जी के संशोधन में यही बात है कि एक्जिक्यूटिव काउन्सिल तीन आदमियों के नामों को रखेगी। तीन आदमियों का पैनेल होगा जिसमें दो चुने जायेंगे एग्जिक्यूटिव काउन्सिल द्वारा और एक अकेडेमिक काउन्सिल के जरिये। क्या अकेडेमिक काउन्सिल और एग्जिक्यूटिव काउन्सिल में माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ फर्क समझते हैं? अकेडेमिक काउन्सिल हम लोग सब समझते हैं कि अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करती है। अकेडेमिक काउन्सिल एग्जिक्यूटिव काउन्सिल का स्थान नहीं ले सकती है। इसलिये माननीय नारायणदत्त जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ अध्यापकों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिये अकेडेमिक काउन्सिल के एक प्रतिनिधि को उन तीन नामों में से रखने की सिफारिश की है। कितना सुन्दर और कितना अध्यापकों को अपने अधिकारों के ज्ञान से संबोधित करने के लिये नारायण दत्त जी का यह संशोधन है और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से इस सम्बन्ध में यह अवश्य निवेदन करूंगा कि वह पुनः नारायणदत्त जी के संशोधन को अच्छी तरह से पढ़ें और यदि अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो वह हमारे साथ होंगे, इस बात को मानने में। श्रीमन्, हमारे मित्र मिर्जापुर के सम्मानित सदस्य अमरेशचन्द्र जी पांडेय ने सामान्य वादविवाद के अवसर पर इस विधेयक को बहुत ही प्रतिक्रियावादी विधेयक बताया। मैं उनकी भावों की कद्र करता हूं और उसी की कद्र करते हुए मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज किस दृष्टिकोण, किस ऐंगिल आफ विजन से उन्होंने नारायण दत्त जी के संशोधन को सरकारी मसविदे से ज्यादा संकुचित पाया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह इस सदन में नहीं हैं लेकिन मैं उनकी अनुपस्थिति में भी इसको सफाई के साथ रखना चाहता हूं ताकि वह हमारे संशोधन के मतलब को अच्छी तरह से समझें, सबके दिल में एक डर है कि गवर्नर के जरिये सारी ताकत, सारे अधिकार सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। चाहे वह एक्जिक्यूटिव कौंसिल के रूप में हो, चाहे ऐकेडेमिक कौंसिल के रूप में हो, चाहे रिफरेंस कमेटी के रूप में हो, चाहे ट्रेजरर की नियुक्ति हो, चाहे ट्रांजीटरी पावर के रूप में हो, हर जगह सरकार अपने हाथ को मजबूती के साथ इस विधेयक के अन्दर रखना चाहती है। श्रीमन्, जिस तरह की साइकोलोजी है, जिस तरह का मनोविज्ञान अपने मुल्क में बना हुआ है हम उस वस्तु स्थिति से दूर जाकर किसी विधेयक को ही देख सकते। नारायणदत्त जी के संशोधन में एक और भी बड़ी अच्छी सूची है और यह है कि यदि सरकार एक्जिक्यूटिव कौंसिल के अन्दर जो सरकार के मनोनीत सदस्य हैं उन सदस्यों के जरिये किसी व्यक्ति विशेष को वाइसचांसलर के पद पर रखने के लिये उनसे उस नाम को भिजवाने की बात कहे तो इससे वे बच सकते हैं। नारायणदत्त जी का संशोधन माना जाता है तो वे कह सकते हैं कि सीधे सीधे हमको नहीं चुनना था, इसलिये हमारा उसमें हाथ नहीं। हमने तो उन तीन आदमियों को चुना और अगर हमारे वे चुने हुए आदमी सरकारी इच्छित वस्तु को नहीं चुनते तो हम क्या करें। यह वे बड़ी सफाई के साथ कह सकते हैं और ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं। श्रीमन्, कभी कभी सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य सरकार की इच्छा के ही हमेशा प्रतिनिधि नहीं हुए हैं, कभी कभी सरकारी इच्छा का विरोध भी उन्होंने प्रदर्शित किया है और सरकारी इच्छा का विरोध करते समय जो सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं उनका हृदय कांप उठता है, वे अपने

[श्री राजनारायण]

मस्तिष्क का संतुलन खो बैठते हैं और वे बहुत परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी से नारायण दत्त जी का संशोधन अच्छी तरह से बचा देता है और इस डर और लांछन से भी सरकार बच जायगी कि डायरेक्ट सरकार अपने सदस्यों के जरिये एक्जिक्यूटिव कौंसिल में उन लोगों के नाम सिफारिश करायेगी जिनको कि सरकार खुद चाहती है कि वे वाइस चांसलर के पद पर हों। अब जब तीन आदमियों के चुनने की बात आयेगी और ऐसे आदमियों के चुनने की बात जो वाइस चांसलर के पद के लिये चुनाव करते हों तो वे तीन आदमी कौन होंगे? मैं श्रीमन्, नारायण दत्त जी के संशोधन में कुछ बात की कमी जरूरत पाता हूं और जिसको कि संशोधन के रूप में आपकी सेवा में उपस्थित करूंगा। माननीय नारायणदत्त जी ने यद्यपि भाषा और भाव में इस बात को साफ किया है और सामान्य वादविवाद के अवसर पर और नोट आफ डिसेंट में भी संकेत किया था कि उन प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों के द्वारा वाइस चांसलर चुने जायं जिन पर किसी का उंगली उठाना आसान न हो। अब मैं समझता हूं कि इतने वादविवाद के बाद और एक घंटा पूर्व कार्य संलग्न मस्तिष्क को स्वस्थ होने के लिये अवकाश के बाद माननीय मंत्री जी हमारे साथ होंगे कि नाट कनेक्टेड विद दी युनिवर्सिटी का मतलब यही है कि वही लोग चुने जायेंगे जो न एक्जिक्यूटिव कौंसिल में होंगे, न और किसी युनिवर्सिटी की कमेटी में होंगे वही लोग चुने जायेंगे। अब वे कौन लोग हो सकते हैं? वे लोग हो सकते हैं श्रीमन्, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वे हो सकते हैं आचार्य नरेन्द्र देव, वे हो सकते हैं डाक्टर भगवानदास, ऐसे-ऐसे प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति। मैं नारायणदत्त जी से जरूर निवेदन करूंगा कि यह हमारा आखिर में संशोधन आयेगा जिससे कि जो ऐसे एमिनेन्ट, ऐसे आउटस्टैन्डिग और ऐसी रेप्यूट के पर्सन हों वही चुने जायं, इन तीन आदमियों की कमेटी में इसका भी संकेत अच्छी तरह इस संशोधन में आना चाहिये। इसीलिये श्रीमन्, हमने श्री नारायणदत्त तिवारी जी के संशोधन में संशोधन प्रस्तुत करने की बात सोची है और मैं, इसको लिखकर सेवा में भेज दूंगा। श्रीमन्, वह यह है कि श्रीनारायण दत्त तिवारी द्वारा प्रस्तावित खंड की उपधारा (१) में शब्द "three persons" के आगे शब्द "C. consisting of eminent educationist and persons of outstanding repute and integrity." जोड़ दिये जायं। इसको भी नारायण दत्त जी तिवारी को अपने संशोधन में जोड़ देना चाहिये और हमारा जो संशोधन है उसको उनको कबूल कर लेना चाहिये क्योंकि पारसाल भी जब आगरा युनिवर्सिटी विधेयक पर इस सदन में चर्चा चल रही थी तो हमने इस बात पर जोर दिया था। जबकि शिक्षा मंत्री महोदय ने इस सदन में कहा था कि सारी युनिवर्सिटी की आकांक्षाओं का वाइस चांसलर मूर्तिमान प्रतीक है और युनिवर्सिटी का रूप उसमें देखा जा सकता है। तो वाइस चांसलर ऐसा होना चाहिये जो कि अपने अन्दर वहां की व्यवस्था कायम रखने की सारी जिम्मेदारी सम्हाल सकें। इसके साथ-साथ उसके अन्दर ऐसी भी क्षमता होनी चाहिये कि जो वहां की सारी परिस्थिति को समझ सके और जो यह भी समझ सके कि इस वर्तमान युग की क्या शैक्षिक आवश्यकता है और उसमें किन किन नवीनताओं की आवश्यकता है और किस प्रकार से वर्तमान युग के साथ चल सकने वाले छात्र निकल सकते हैं। यह सब योग्यता उसके अन्दर होनी चाहिये। उसके अन्दर यह क्षमता भी होनी चाहिये कि वायस चांसलर के पद पर आकर वह आपसी मतभेद को संस्था के मतभेद के रूप में परिणत न करे। अगर किसी जगह पर व्यक्तिगत मतभेद हो तो स्वयं उस मतभेद का आदर करे और उसको स्वस्थ मतभेद समझे। ऐसा व्यक्ति वाइस चांसलर के पद पर होना चाहिये। यह बात नारायण दत्त जी के संशोधन में साफ होनी चाहिये। इसलिये मैं इस चीज को उनके संशोधन में रख देना चाहता हूं और साथ ही सदन से यह निवेदन भी कर देना चाहता हूं श्रीमन्, कि इस सदन में हम युनिवर्सिटी के जिस विधेयक पर बोल रहे हैं उसका सम्बन्ध उतने लोगों से ही नहीं है जो यहां पर विराजमान है। इसका सम्बन्ध सारी मानवता से है और सारे समाज से है और हम लोगों से उतना सम्बन्ध इसका नहीं है जितना बाहर के लोगों से इसका सम्बन्ध है, जितना अध्यापकों से इसका सम्बन्ध है, जितना विद्यार्थियों से इस का सम्बन्ध है। यदि नारायणदत्त जी का संशोधन मान लिया जाय तो इससे उनको भी सांस मिलेगी और वह भी शांति की सांस लेंगे। उनके अन्दर भी ऐसी भावना संचालित होगी और वह यह समझेंगे कि इस विधेयक

के जरिये से उनके वाइस चांसलर के पद की नियुक्ति का प्रश्न किसी विद्वान् आचार्य नरेन्द्र देव जी या राधाकृष्णन जैसे विद्वान् के हाथ में जायगा जो कि सम्पूर्ण समाज के प्रति उत्तरदायी हैं और जिनके ऊपर देश का भरोसा है, छात्रों का भरोसा है और अध्यापकों का भरोसा है और जिनके द्वारा सारे समाज का कल्याण होगा। उनके हाथ में इस पद को देने से किसी के साथ अन्याय नहीं किया जायगा। अगर ऐसे लोगों द्वारा वाइस चांसलर के पद पर नियुक्ति की बात की जाय तो अध्यापक और विद्यार्थी और सारा समाज इस बात को समझेगा कि शिक्षा का विकास होगा। मगर माननीय शिक्षा मंत्री जी पूर्ण असमर्थ रहे हैं, इस प्रकार के विधेयक को यहां पर प्रस्तुत करके उन्होंने विद्वत् समाज को अपने पक्ष में नहीं लिया है। आज चाहे शिक्षा मंत्री जी इस बात को देख लें। मैं उनसे यही कहूंगा कि सारा विद्वत् समाज उनके पक्ष में नहीं जायगा और इस सरकारी मसौदे के पक्ष में वह नहीं होगा। श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने जो संशोधन यहां पर पेश किया है विद्वत् समाज उसके पक्ष में जायगा। दूसरी चीज नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन के महत्व को समझ गये हैं। जब तक सिद्धांत का सफाई के साथ प्रतिपादन नहीं होता और जबतक मस्तिष्क परिष्कृत नहीं होता तब तक वह उलझन किसी न किसी प्रकार से सामने आ जाया करती है। आज जिस बुद्धि विभ्रम जन्य भ्रान्ति में शिक्षा मंत्री जी भ्रमण कर रहे हैं इससे ही प्रभावित होकर वह कहते हैं कि माननीय नारायणदत्त जी ने सामान्य वादविवाद में जनतंत्र की बड़ी दुहाई दी, मगर नारायणदत्त जी का संशोधन तानाशाही की ओर जा रहा है, इसके द्वारा चांसलर के हाथ में सारी ताकत दी जा रही है, यह बात नहीं है। सामान्य नियमों में जो अपवाद होता है उसी प्रकार यह भी है। माननीय नारायणदत्त जी का यह संशोधन इस विधेयक में अपवाद है। इसलिये यह जो विधेयक इस कांग्रेस सरकार की कृपा दृष्टि से इस सदन में लाया गया है, जिसके द्वारा प्रांत की सारी शिक्षा व्यवस्था को सर्वग्रासी मनोवृत्ति से सरकार के हाथ में सौंपा जा रहा है उसके सुधारने के लिये ही माननीय नारायण दत्त जी ने यह संशोधन दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अकारण और बिना अवसर ही आचार्य नरेन्द्र देव जी का नाम लिया। आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने इस्तीफा दिया, क्यों? माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उससे जो निष्कर्ष निकालने की कोशिश की, जिस प्रकार से उसे उन्होंने प्रस्तुत किया, उससे सम्मानित सदस्यों के मस्तिष्क में दूसरे प्रकार की ही भावना पैदा हो गयी होगी। मैं सफाई के साथ कह देना चाहता हूं कि यदि आचार्य नरेन्द्रदेव वाइसचांसलर के पद पर बने रहना चाहते तो कोई ऐसी शक्ति नहीं थी, जो उन्हें हटा सकती। अगर कोई शक्ति होती भी तो वह कुशक्ति, पाप शक्ति होती और समाप्त होती यदि आचार्य नरेन्द्र देव को वाइस चांसलर के पद से हटाने का प्रयत्न करती। काशी विश्वविद्यालय की जो परम्परा है, काशी विश्वविद्यालय के जो अध्यापक और छात्र हैं, वे जिन भावनाओं से ओतप्रोत हैं उन भावनाओं में इन सब बातों की जगह नहीं है।

इस सदन में बार बार डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की चर्चा हुआ करती है। कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी होते हैं। यदि आप हमारे बालिग मताधिकार को लेकर जनतांत्रिक मूल्यों का हनन करना चाहते हैं तो उसको किसी भी हालत में डेमोक्रेटिक नहीं माना जा सकता। बार बार कहा जाता है कि यह सरकार बालिग मताधिकार से चुन कर आयी है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप आज ऐसा कानून बनाते हैं कि किसी गांव के लोगों को कत्ल कर दिया जाय या पुलिस को हुक्म दे दिया जाय वह सब लोगों को मारे तो उसको किसी भी प्रकार से डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। आप चाहे जितना डेमोक्रेसी की दुहाई दें लेकिन जब तक आप डेमोक्रेटिक कामों को नहीं करते हैं तब तक सही मानों में डेमोक्रेसी नहीं कही जा सकती। यह कहा गया कि कोर्ट के जरिये से जब चुनाव होता था तब तो धपला था, गड़बड़ी थी, जांत पांत कुनबा परस्ती आदि तमाम बातें थीं। मैं तो कहना चाहता हूं कि चाहे तो वह कोर्ट हो, चाहे ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल हो, चाहे और कोई व्यवस्था या और कोई संस्था हो, यदि उसके अन्दर जांत-पांत कुनबापरस्ती या अवसरवादिता की मनोवृत्ति पायी जाती है तो वह जनतंत्र नहीं है, वह संस्था जनतांत्रिक प्रणाली को अपनाने वाली नहीं कही जा सकती। इसलिये मेरा

[श्री राजनारायण]

कहना है कि इस सदन में जब कोई माननीय सदस्य जनतांत्रिक प्रणाली पर कुछ कहें तो पूरे तौर पर उसको कहें। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है ? गवर्नमेंट बाई दी पीपुल, फार दी पीपुल, आफ दि पीपुल और यदि कोई गवर्नमेंट केवल बाई दी पीपुल हो तो उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता। जब तक गवर्नमेंट जनता के लिये न हो, जनता की न हो, तब तक उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता। इसीलिये मैं इस सरकार के लिये कहता हूं कि यह डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है क्योंकि न तो यह जनता की है और न जनता के लिये है। हां, यह किसी प्रकार माना जा सकता है कि यह जनता द्वारा चुनी गयी है। श्रीमान् जी इन बातों के साथ मैं यह चाहता था कि माननीय नारायणदत्त जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं और उस संशोधन में हमने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको सदन अपने सामने रक्खे और यदि उसको सदन अपने सामने रखता है तो इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि वह नारायणदत्त जी के संशोधन को मुक्त कंठ से स्वीकार करे और सरकार का मसविदा इस सदन द्वारा ठुकराया जाय और जब सदन के द्वारा सरकारी मसविदा ठुकराया जाय तो मंत्री जी को रागद्वेष नहीं होना चाहिये। उनको केवल यह समझना चाहिये कि उनका जो संशोधन है वह प्रतिक्रियावादी है, इसलिये उसको सदन ने ठुकरा दिया है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मेरा ख्याल है कि अभी एक दो माननीय सदस्यों को और मौका देना चाहिये। उसके बाद मैं इसे ले लूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता साहब के बहुत लम्बे भाषण जिसमें कि उन्होंने सम्भवतः ४० मिनट इस सदन का लिया, उसमें शायद ४० मर्तबा हमको प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी की व्याख्या सुनने को मिली और इसके अतिरिक्त उन्होंने और बहुत सी बातों की व्याख्या की। कई बार कुछ ऐसा भी मालूम हुआ जैसे कि सदन के सामने नये तौर पर उन्होंने प्रजातांत्रिक संसार को प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में कुछ बातें कहने की चेष्टा की। मुझे यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करना है श्रीमन्, कि जहांतक इस संशोधन का प्रश्न है, यह संशोधन ऐसा है जिसके सम्बन्ध में बहुत सरलता से एक बात इधर से उधर कह देने वाली नहीं है। मुझे यह भी स्वीकार करना है कि संशोधन के सम्बन्ध में कुछ लोगों की दो रायें हो सकती हैं लेकिन कुछ मूलभूत सिद्धांतों की तरफ यदि मेरे मित्र देखते तो सम्भवतः यह ४० दफा हमको प्रजातंत्र की व्याख्या इस सदन के सामने न सुननी पड़ती। मूलभूत व्याख्या या मूलभूत सिद्धांत जिनकी ओर माननीय नारायणदत्त जी ने इशारा किया था। जनरल डिस्कशन के समय, दुर्भाग्यवश मैं नहीं था लेकिन आज अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन के सामने वे दो तीन चीजें रखीं और मैं यह भी सदन से आपके द्वारा स्पष्ट करूं कि मूथम कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित दो तीन चीजें इस सदन के सामने स्पष्ट रूप से रखी जा सकती हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि विश्वविद्यालयों की और विशेष रूप से इलाहाबाद युनिवर्सिटी की दशा बहुत समय से खराब रही। माननीय मदनमोहन जी ने उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वहां कास्टिज्म का बोलबाला रहा, पक्षपात रहा और एक प्रकार से शिक्षा संस्था की कमर टूटी हुयी रही इन पिछले वर्षों में। मुझे स्वीकार है, श्रीमन्, और इसीलिये आवश्यकता पड़ी इस लम्बी चौड़ी कमेटी रिपोर्ट की, इसीलिये आवश्यकता पड़ी इस विधेयक की जो आज सदन के सामने है, और इसीलिये आवश्यकता पड़ी इस लम्बे चौड़े बादविवाद की जो आपके सामने और इस सदन के सामने आज हो रहा है। लेकिन उसमें जिन मूलभूत सिद्धांतों का उन्होंने जिक्र किया है, जैसा कि मैंने पत्रों में पढ़ा और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिक्र किया कि एक ऐसा विधेयक हो जिसमें जनतांत्रिक प्रणाली के द्वारा हम विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता या आटोनामी को सुरक्षित रख सकें, मेरे

खयाल से यही उनके भाषण का सार था और मेरे विचार से यही स्पष्ट रूप से सरकार ने स्वीकार किया है कि जनतांत्रिक प्रणाली के द्वारा विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सके और इस विश्वविद्यालय की स्थिति को सुधारा जा सके, यही इस सारे विधेयक का और इलाहाबाद इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का सारांश मैं देख पाया हूं। तो आज मैं माननीय नारायणदत्त जी और माननीय राजनारायण जी दोनों ही से यह निवेदन करूंगा कि आप कृपापूर्वक विधेयक में दिये हुए वाइस चांसलर के चुने जाने या नामांकित किये जाने की प्रणाली पर ध्यान दे लें और फिर स्वयं अपनी उस प्रणाली में दिये हुये जो प्रारम्भ के कुछ मूल्यांकन डेमोक्रेसी के हैं जिसका कि अभी माननीय राजनारायण जी ने जिक्र किया और डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो उनके नजदीक बहुत मूल्यवान हैं और इस सदन के सामने भी, चाहे उनकी व्याख्या को यह सदन स्वीकार करे या न करे, लेकिन जो इस सदन के सामने भी अपने ढंग से मूल्यवान है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपापूर्वक वे अपने संशोधन को उसी कसौटी पर उतारने का प्रयास करें और मेरा निश्चित मत है श्रीमन्, मेरा विश्वास है कि यदि वह इस सारे मतविभ्रम, जिसका उन्होंने जिक्र किया, हालांकि मैं उनको यह शब्द नहीं देना चाहता, मुझे यह बुरा मालूम होता है। लेकिन यह जो मेन्टल कन्फ्यूजन है, बुद्धि इधर उधर ले जाने की बात है उससे हम शायद आगे निकल सकें। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि यह सचमुच एक कठिन समस्या है और यह निश्चय है कि यदि मेरे मित्र उसी बात को न कहें और बार बार वह कहते हैं तो मुझे दुख होता है जब वह सरकार की नियत पर हमला करते हैं, इस तरह से बार बार कहने से सम्भवतः लाबीज के आदमी बुरा भला या अच्छा कुछ हमें कह सकें। जब वह बार बार सरकार की नियत पर हमला करते हैं तो कृपा करके वह इतना याद रखें कि इस तरफ जो लोग हैं और जो सरकार है उसको जनता के बहुत बड़े भाग ने चुनकर भेजा है और वह उधर अपने स्थान पर हैं इसलिये कृपा करके वह उस कसौटी पर उतारने की चेष्टा न करें। यह तो निश्चित ही है कि वाइस चांसलर ही विश्वविद्यालय का एग्जिक्यूटिव और अकेडेमिक हेड होगा जैसा कि आप आगे धाराओं में इस विधेयक की देखेंगे। यह भी सत्य है कि वह शिक्षा शास्त्री, योग्य व्यक्ति और विद्वान् होना चाहिये जिससे वह प्रयाग विश्वविद्यालय जैसे यश सम्पन्न विश्वविद्यालय को सुचारु रूप से चला सके और उसके सामने एग्जिक्यूटिव और अकेडेमिक साइड का बहुत बड़ा काम है। वहां की जो अबतक की प्रथा थी उसमें त्रुटियां रहीं इससे तो कोई इन्कार नहीं कर सकता। मूथम कमेटी की रिपोर्ट का सारांश केवल यह है, और जहां तक मैं समझ पाया हूं उसका सारांश यह है कि किस प्रकार उचित वाइसचांसलर चुना जाय, वह ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिये जिसको प्रत्येक समय अपने चुनने वालों के वोट पर निर्भर रहना पड़े, यही मूथम कमेटी का सारांश है कि अगर वाइसचांसलर को अपने वोटर्स पर निर्भर रहना पड़े तो वह एक व्यर्थ का व्यक्ति है जिसको केवल वोटरों की चिन्ता होगी और उस के सामने युनिवर्सिटी के हित अहित का प्रश्न नहीं आयेगा। फिर हमारे सामने दूसरा कौन सा मार्ग है जिससे यूनिवर्सिटी की डेमोक्रेटिक वेल्यू सुरक्षित रह सके, वहां एक योग्य व्यक्ति नामांकित किया जा सके या उसको मुकर्रर किया जा सके। मेरे मित्र ने अभी जो मार्ग सदन में बतलाया है यदि यह सदन उस मार्ग पर विचार करे और मैंने तो उस मार्ग की जो रूपरेखा उन्होंने सदन के सामने रखी उस पर बहुत गम्भीरता से विचार किया। लेकिन मेरे मित्र विश्वास कर लें कि वह मार्ग मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने मार्ग रखा है कि एग्जिक्यूटिव कौंसिल २ आदमी चुने और एकेडेमिक कौंसिल १ आदमी और फिर यह तीनों आदमी जिनका विश्वविद्यालय से कोई सम्बन्ध न होगा मिलकर ३ व्यक्तियों को नामांकित करें कि इनमें से किसी को वाइस चांसलर बना दिया जाय और वह नामांकन एग्जिक्यूटिव कौंसिल के सामने आयें और फिर वह उसको चांसलर के पास भेजे। अगर मैं ठीक समझा हूं तो यह उस प्रथा के बिलकुल विपरीत है जो प्रथा सरकारी विधेयक में रखी गयी है। वह विधेयक में इस प्रकार है कि इस कार्य के लिये एग्जिक्यूटिव कौंसिल ४० दिन पूर्व मिले और उसमें वह सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को चुन ले और यदि वह न चुन सके तो वह दस दिन के लिये मुल्तवी हो जाय और फिर इतने समय के बाद वह बैठकर किसी एक व्यक्ति को

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

सर्वसम्मति से चुन ले । लेकिन यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहे तो वह अधिक से अधिक ३ व्यक्तियों के नाम चांसलर की सेवा में प्रस्तुत करे कि वह इनमें से किसी एक को चुन लें और फिर भी चांसलर उनमें से एक को न चुने तो वह पुनः एक्जिक्यूटिव कौंसिल के पास भेजेगा और एक मौका और देगा कि वह सर्वसम्मति से एक नाम को चुन लें। यदि वह ऐसा न कर सके तो उन्हीं तीन चुने हुये नामों को वह पुनः भेज दे और कोई नया नाम भी भेज सके तो भेज दे और उनमें से एक व्यक्ति को अन्ततः निश्चित रूप से चांसलर नामांकित कर दे। श्रीमन्, मैं वाकई नहीं समझ पाया हूं और मैं अपने मित्रों का बहुत आभारी हूंगा यदि वे मुझे इसके विपरीत कोई बात समझा सकें या कोई बात मेरी बुद्धि में ला सकें कि आखिर अन्तर क्या है। अन्तर माननीय राजनारायण जी ने बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इसके अन्दर यह होगा कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार चाहेगी वह चुना जा सकता है। उन्होंने तीन नाम लिये, डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, आचार्य नरेन्द्र देव, और डाक्टर भगवानदास। ये तीनों ही व्यक्ति इस सदन के लिये ही नहीं, इस देश के सर्वमान्य विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि मान लीजिये कि तीनों ही व्यक्तियों को एक्जीक्यूटिव कौंसिल चुन लेती है और इन तीनों में से एक का नामांकन होता है तो कौन व्यक्ति हो सकेगा। इससे भी मैं उनकी बात समझ नहीं पाया हूं। उनके मन में एक भावना है और वह यह है कि सरकार यदि किसी न किसी को चुनवा देती है तब ? अब श्रीमन्, इस बात का क्या उत्तर दूं। मैं कहता हूं कि यदि सरकार आखिर में यही निश्चय कर लेती है और चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे इस देश से सम्बन्धित कार्य हो, चाहे इस देश की शिक्षा से सम्बन्धित कार्य हो और चाहे यहां के युवकों के चरित्र निर्माण से सम्बन्धित कार्य हो और चाहे विश्वविद्यालय से संबंधित हो, यदि सभी कार्य में यह सरकार बेईमानी करती है तो यह सरकार खत्म हो, सरकार को जनता स्वयं खत्म कर देगी, इसमें उनको इतनी चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है ? लेकिन यदि उनका यही विचार है तो मैं उनके सामने दूसरी बात रखता हूं और वे कृपा करके उस पर विचार करें कि यदि सरकार की यही नियत हो कि अमुक व्यक्ति को चुनवा ले। एकेडेमिक कौंसिल को वह सरकार की कठपुतली मानते हैं। अब मान लीजिये कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल डाक्टर भगवान दास, आचार्य नरेन्द्र और सर्वपल्ली राधाकृष्णन् को न चुन कर श्री लक्ष्मीरमण और नारायण दत्त जी तिवारी को एकेडेमिक कौंसिल से चुनवा लेते हैं और लक्ष्मीरमण और नारायणदत्त सरकार की कठपुतली होने के नाते आपको चुन लेते हैं तो उसमें फर्क क्या पड़ता है ? और फिर उसके लिये मेरे मित्रों के पास इलाज क्या है ? कौन सा अन्तर उन्होंने इन दोनों में देख लिये और यदि हमको उसी बात पर जाना है जिसका जिक्र मेरे मित्र करते हैं तो मैं कहता हूं कि जो मार्ग वह बताते हैं उससे कोई लाभ नहीं होगा। उससे कौन सा लाभ आप सोचते हैं। माननीय राजनारायण जी ने कहा कि अगर यह तरीका रहेगा जैसा कि विधेयक में है तो निश्चित रूप से उसी आदमी को सरकार चुनवा लेगी जिसको सरकार चुनवाना चाहती है। मैं कहता हूं कि निश्चय रूप से सरकार जिन व्यक्तियों को चुनवाना चाहती है उन्हीं को एकेडेमिक कौंसिल लेगी। तो इससे अन्तर तो कोई पड़ता नहीं है। मैं श्रीमन्, उनकी सेवा में बहुत सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस मार्ग से तो आप का मन्तव्य पूरा नहीं होता। इस मार्ग से दूसरे झंझट पैदा होते हैं और आप के मूलभूत सिद्धान्तों पर इससे आघात पड़ता है। वह इस सदन के भी और इस विधेयक के भी मूलभूत सिद्धांत हैं। वह मूलभूत सिद्धान्त है कि हमारे विश्वविद्यालय की आटोनामी कायम रहे। वह कैसे कायम हो ? इसी सिद्धांत का समर्थन आप ने भी किया। इस सम्बन्ध में जब प्रश्न आया है तो मैंने मूथम कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी कि आखिर इसका मार्ग क्या होगा, उन्होंने क्या कहा है ? इस रिपोर्ट के द्वारा तो हम अन्ततः एक स्थान पर आकर खड़े होते हैं और वह स्थान यह है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को चुन ले और मैं कहता हूं माननीय राजनारायण जी और माननीय नारायण दत्त जी तिवारी तिवारी से कि वह व्यक्ति कभी भी कायस्थ, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य या हरिजन नहीं हो सकता

बल्कि वह व्यक्ति वह होगा जिसको प्रत्येक व्यक्ति सर्वसम्मति से चुन ले और उसमें कास्टी-इज्म और फेवरिटिज्म जिसके लिये वे बराबर कहा करते हैं और जिसके लिये वे बराबर नारा लगाया करते हैं, और उसको कुनबापरस्ती वे कहते हैं वह चीज उससे अलग होगी। आखिर में मुझे एक बात कहनी है जिसको मुझे बार बार कहना पड़ता है और वह तो केवल यह है कि आप इस प्रस्ताव के द्वारा इस संशोधन के द्वारा इस प्रस्तुत विधेयक में दी हुई युनिवर्सिटी की अटोनामी पर आघात करना चाहते हैं, उसको समाप्त करते हैं। युनिवर्सिटी की आटोनामी आप नहीं रहने देते। मैं आप की सेवा में यह भी कहना चाहता हूं कि कृपा कर के जरा यह भी विचारिये कि अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल दो आदमी ऐसे चुन देती है कि जिनका कोई संबंध शिक्षा से नहीं रहता, इसके अलावा मैंने आप के संशोधन में एक चीज को देखने का और प्रयास किया। आप ने यह नहीं कहा कि एकेडेमिक कौंसिल सर्वसम्मति से चुने और मैं तो समझता हूं कि ऐसा कर के आप ने दो बड़ी विरोध करने के काबिल बातें की हैं। एक तो इससे आप ने जो यूनिवर्सिटी की आटोनामी है उसको समाप्त कर देते हैं और दूसरे आप स्वयं कुनबा परस्ती का नारा लगाते हुए उसको प्रोत्साहन देते हैं। आप ने संशोधन में यह कहीं नहीं कहा कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल या एकेडेमिक कौंसिल सर्व-सम्मति से आदमी चुन कर भेजेगी। मैं कहता हूं कि अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल में कायस्थ अधिक हो गये तो वह कायस्थ चुन लेंगे, अगर ब्राह्मण अधिक हो गये तो ब्राह्मण चुन लेंगे और वह ब्राह्मण या कायस्थ किसी अ, ब, य, स, कायस्थ या ब्राह्मण को चुन कर वाइस चांसलर के पद पर बैठा दें, तो इससे जो आप का मूलभूत सिद्धांत है प्रजातंत्र का उस को आप निश्चित रूप से समाप्त करना चाहते हैं। मैं अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि इस तरह के संशोधन को रख कर वह स्वयं ग़लती पर हैं, वह स्वयं अपने सिद्धांतों की हत्या करना चाहते हैं और इस संशोधन के द्वारा जिन मूलभूत सिद्धांतों को इस विधेयक के द्वारा सदन में रखा गया है, अगर यह स्वीकार हुआ तो, वह भी सदा के लिये समाप्त हो जायंगे।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---डिप्टी स्पीकर महोदय, इलाहाबाद युनिवर्सिटी के इस बिल पर तथा इसके संशोधनों पर आज १० रोज से बराबर तकरीरें हो रही हैं और इसके हर पहलू पर इस तरफ से और उस तरफ से रोशनी डाली जाती रही है। जो कि आज अमेंडमेंट मेरे दोस्त ने उस तरफ से पेश किया है और वह एक बहुत ही अहमियत रखने वाला संशोधन है और यह बात कहनी सही होगी कि इस संशोधन पर तमाम युनिवर्सिटी के अन्दर के इन्तजाम का दारोमदार है इसलिये कि वाइसचांसलर की जगह युनिवर्सिटी के अन्दर एक ऐसी जगह है कि जिसके इर्द गिर्द तमाम युनिवर्सिटी की इमारत घूमती है और वह एक ऐसी जुज है कि जो एक्जीक्यूटिव तौर पर हो या एकेडेमी तौर पर हो सब काम करने की जिम्मेदारी रखता है।

माननीय शिक्षा मंत्री की तकरीर के बाद मैं इस बात की जरूरत महसूस नहीं करता था कि इस तरफ से कम से कम कोई और तकरीर हो या मैं खड़ा हो कर या कोई और दूसरे साहब खड़े हो कर कुछ और कहें लेकिन अभी जो तकरीरें हुईं और खास कर राजनारायण जी ने जो तकरीर की उसके बाद मेरा दिल चाहा कि मैं भी खड़ा होऊं और दो एक बातें इस भवन के सामने कहूं। माननीय राजनारायण जी की तकरीर होने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अमेंडमेंट जो इस वक्त पेश हुआ है वह शायद अपोजीशन पार्टी का फाइनल अमेंडमेंट नहीं है इसलिये कि माननीय राजनारायण जी ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने इस अमेंडमेंट की पूरी ताईद की कि जो मेरे दोस्त ने कल पेश किया था लेकिन जब उपाध्याय जी ने अपनी तकरीर की तो उन्होंने अपनी राय का इजहार दूसरे तरीके पर किया। और इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो अमेंडमेंट है वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का फाइनल अमेंडमेंट नहीं है बल्कि यह अमेंडमेंट एक इंडिविजुअल अमेंडमेंट है और उसी हैसियत से अगर हम इस पर गौर करें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर होगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब मैं इस बिल को पढ़ता हूं और

[श्री सुल्तान आलम खां]

इससे मिला कर अपने दोस्त का अमेंडमेंट पढ़ता हूं तो मुझे एक हैरत होती है। जहां तक इस बिल में जो प्राविजन दिया हुआ है वाइस चांसलर की तकर्रुरी का उसमें और जो अमेंडमेंट अभी पेश हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क महसूस करता हूं। जो बातें उसूली हैं कम से कम उन बातों में यह अमेंडमेंट बिल्कुल वही है कि जो बिल के अन्दर प्राविजन है। अगर ऐसा होता कि जो अमेंडमेंट हमारे दोस्त ने पेश किया है वह शायद आफिशियल प्रोविजन होता तो ज्यादा अच्छा था और उसके बजाय जो प्राविजन इस बिल के अन्दर उसको अगर अमेंडमेंट की तरह से पेश किया जाता है तो अच्छा था। और हमारे दोस्त जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अपने आप को एक प्रौग्रेसिव पार्टी कहते हैं, और मैं भी मानता हूं, लेकिन जब मैं इस कसौटी पर इस बिल को देखता हूं और इस अमेंडमेंट को देखता हूं तो मुझे कुछ ताज्जुब होता है कि जिस बात की अभी हमने और आप ने दुहाई दी डेमाक्रेसी की, जम्हूरियत की, इस उसूल से अगर इस अमेंडमेंट को देखें तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सी कमियां रह जाती हैं और वह किसी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता कि जो असली प्रावीजन है उसमें किसी सूरत से भी इम्प्रूवमेंट हो। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस ऐवान का ज्यादा वक्त लेकर इसको पूरे तरीके से एनेलाइज करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस बिल के अन्दर जो प्राविजन वाइसचांसलर की तकर्रुरी का है वह बहुत ही अच्छा है और बड़े गौर के बाद बनाया गया है। और मैं देखता हूं कि जिस वक्त यह सेलेक्ट कमेटी के पास गया उस समय दोनों तरफ के लोग मौजूद थे और उस पर बहुत ज्यादा गौर किया गया। मैं खुद उसका मेम्बर था लेकिन बाज वजूहात की वजह से मैं सेलेक्ट कमेटी में न आ सका। लेकिन बहरहाल मैं यह देखता हूं कि सेलेक्ट कमेटी ने जब इस मसले पर गौर किया तो जो उन्होंने प्राविजन और बढ़ाया है उससे इस बात का अन्दाजा हो सकता है कि वह इस बात के लिये कितने ऐन्क्शंस थे कि इसके अन्दर कोई लूपहोल न रहने पाये और जो सेलेक्ट कमेटी ने बढ़ाया है, मैं तो कहूंगा कि वह जरूरत से ज्यादा है। लेकिन फिर भी जो वाइसचांसलर के सिलसिले में उन्होंने प्राविजन किया है वह इतनी मेहनत से किया है और इतनी एहतियात के साथ किया गया है कि, मैं समझता हूं मुश्किल से कोई लूप होल रह सकता है।

जहां तक वाइसचांसलर की तकर्रुरी के सिलसिले में राजनारायण जी ने अपनी तकरीर के दौरान में नारायणदत्त जी के एक अमेंडमेंट में अमेंडमेंट पेश किया है, मुझे मालूम नहीं कि वह अमेंडमेंट मूव कर दिया या तजकिरा किया, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इसलिये कि अमेंडमेंट फ़ौर्मली मूव तो नहीं किया गया जहां तक मेरा ख्याल है। लेकिन उन्होंने फ़र्माया कि मैं एक ऐसा अमेंडमेंट पेश करता हूं। मुझे मालूम नहीं कि पेश कर दिया या अपनी तरफ से बढ़ा दिया है.....

श्री राजनारायण---पेश कर दिया।

श्री सुल्तान आलम खां---हां। फ़ार्मली आप ने पढ़ा नहीं था इसलिये मैंने यह कहा। तो आप फ़र्माते हैं कि वह अमेंडमेंट आप ने मूव कर दिया। यह चाहते हैं कि वाइसचांसलर की कुछ क्वालिफ़िकेशन्स मुकर्रर कर दी जायं कि हमारे वाइसचांसलर इस क्वालिफ़िकेशन के हों.....

श्री राजनारायण---क्वालिफ़िकेशन्स के बारे में नहीं हैं। तीन ऐमीनेंट आदमियों की पैनल बनाने के लिये कहा है।

श्री सुल्तान आलम खां---मुझे खुशी है राजनारायण जी यह फरमा रहे हैं कि उन्होंने अपने अमेंडमेंट के जरिये क्वालिफ़िकेशन मुक़र्रर नहीं की। मैं ग़लतफहमी में मुब्तला हो गया था। खैर, मुझे खुशी है कि उनका यह मकसद नहीं है। लेकिन वह फरमाते यह हैं कि वह उस अमेंडमेंट के जरिये से यह चाहते हैं कि तीन एमिनेंट परसंस की कमेटी बैठा दी जाय

और वह वाइस चांसलर का चुनाव करे। जनाबवाला, मैं जिन लोगों के नाम इस भवन के सामने उस कमेटी में रखने के लिये आपने पेश किये हैं, उनके सामने सिर झुकाता हूं। और उनके एजुकेशनिस्ट होने और उनके इस मुल्क के बहुत ही बड़े और जिम्मेदार लोग होने का जहां तक ताल्लुक़ है, उसके सिलसिले में दो रायें नहीं हो सकतीं। मगर मैं यह अर्ज जरूर करूंगा कि जहां तक जम्हूरित का तकाजा है, जिसकी इस भवन में बार-बार दुहाई दी जा चुकी है, उसका जहां तक ताल्लुक है, वह चीज किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से मुनासिब और सही नहीं है और मुझे तो हिटलर का यह मकौला याद आता है जो मीनकैम्फ में उसने कहा है। जब तीन आदमियों की ऐसी एक कमेटी मुकर्रर कर दी गई तो वह कमेटी जो चुनाव करेगी वह चुनाव चाहे एकेडेमिक हैसियत है, बेहतर से बेहतर हो सकता है लेकिन एक्जीक्यूटिव हैसियत से वह चुनाव उस चुनाव के बराबर नहीं हो सकता जो कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल करेगी। इस लिये वाइसचांसलर के लिये दो पोजीशन में उसकी काबिलियत को देखने की जरूरत है। एक तो उसकी एकेडेमिक हैसियत और दूसरी उसकी एक्जीक्यूटिव हैसियत। यह सही है कि यह कमेटी एकेडेमिक हैसियत से तो बेहतर से बेहतर सिफ़ारिश कर सकती है लेकिन एक्जीक्यूटिव काम का जहां तक ताल्लुक़ है उसके लिये तो वही सिफ़ारिश बेहतर हो सकती है जो कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल करे क्योंकि वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल वह बाडी है जो कि वाइसचांसलर के साथ कोआपरेशन कर के काम करेगी और अगर उसके साथ वाइस चांसलर का कोआपरेशन नहीं हो सका है तो बेहतर से बेहतर वाइस चांसलर और बेहतर से बेहतर एक्जीक्यूटिव कौंसिल कभी अपने काम में कामयाब नहीं हो सकती। इसलिये इस वजह से मैं यह समझता हूं कि इस उसूल से भी जो कि यहां जम्हूरियत और जनतंत्र का हवाला दिया गया है, उसके मुताबिक भी यह कमेटी जो फैसला करेगी वह उतना सही नहीं हो सकता है जितना कि जो फैसला एक्जीक्यूटिव कौंसिल करेगी वह हो सकता है।

माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैंने इस तमाम बहस के बाद एक चीज महसूस की कि इन तमाम अमेंडमेंट्स के आने की और इतने बड़े बहस मुबाहिसे की सिर्फ एक वजह मालूम होती है और वह है लैक आफ कांफिडेंस। कुछ ऐसी दिक्कत सी पैदा हो गई है हमारी बदकिस्मती से कि इधर के बैठने वाले उधर बैठने वालों का और उधर बैठने वाले इधर बैठने वाले का एतबार और भरोसा नहीं करते। हम जिस सदन के अन्दर आज इस तरह से बैठे हुये हैं, यह कोई मुस्तकिल चीज नहीं है कि यहां हमेशा ही बैठे रहें। हो सकता है कि कल इधर बैठने वाले उधर बैठें और उधर बैठने वाले इधर बैठें और माननीय नारायण दत्त जी को ही यह मौका मिले की वह एजूकेशन मिनिस्टर हों, हो सकता है कि वह यहां के चीफ मिनिस्टर बनें और हम तो बड़े खुश होंगे जब उस दिन को देखेंगे कि वह यहां बैठ कर.....

श्री हरगोविन्द सिंह—चीफ मिनिस्टर तो राजनारायण जी बनेंगे।

श्री सुल्तान आलम खां—ठीक है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने फरमाया कि राजनारायण जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे हमारे नारायण दत्त जी एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे। यह बात मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि किसी मजाक से नहीं कह रहा हूं। जब चर्चिल और एटली की सीट बदलती रह सकती है तो कोई वजह नहीं है कि पन्त जी और माननीय राजनारायण जी की सीट भी न बदलती रहे....

श्री जोरावर वर्मा—प्वाइंट आफ आर्डर। सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने के पश्चात् कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री सुल्तान आलम खां—डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि कुछ लैक आफ कांफिडेंस की वजह से इस किस्म के अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। एक ऐक्ट हमारे सामने आया, उस पर गौर किया गया, कमेटी बैठी, मूथम कमेटी बैठी, राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट आयी जो न सिर्फ इलाहाबाद युनिवर्सिटी के लिये थी बल्कि मुल्क भर के लिये थी और उसके आधार पर बिल बदला, सेलेक्ट कमेटी में गया। जिस दफ़ा पर हम बहस कर रहे हैं यह कोई लास्ट वर्ड नहीं है इस बात पर। हम तजुर्बे की रोशनी में उसे फिर बदल सकते हैं अगर जरूरी हो। इस वक्त तो मैं समझता हूं कि मौजूदा क्लाज मुकम्मल है और वाइस चांसलर का तक़र्रुर ऐसा होना चाहिये जिसमें कम से कम इलेक्शन का मौक़ा हो, कम से कम इलेक्शन की स्प्रिट आ सके और उसके साथ-साथ उसमें कुछ ऐसा लिन्क हो कि चांसलर, एक्जीक्यूटिव कौंसिल और वाइस चांसलर में पूरा-पूरा कोआपरेशन हो सके। हम यह भी नहीं कर सकते कि उसके लिये वोट आफ नोकानफ़ीडेंस रखें क्योंकि दुश्वारियां इलेक्शन ज की वजह से यूनिवर्सिटी में आई हैं। इस ऐक्ट को रिवाइज करने की एक सब से बड़ी वह यह भी थी कि इलेक्शन को जहां तक हो सके दूर किया जाय। लेकिन आज कल इलेक्शन हमारी जिन्दगी की हर बात में इस क़दर हावी हो गया है कि वह हर जगह से नहीं हट सकता है। लेकिन फिर भी उसे जितना कम किया जा सके उतना कम किया जाय। मैं भी चाहता हूं कि हमारे वाइस चांसलर में एकेडमिक क्वालिफिकेशन्स भी हों और एक्जीक्यूटिव क्वालिफिकेशन्स भी हों। वाइसचांसलर २४ घंटे का काम करने वाला होगा और उसके लिये हर जरूरी अहतियात कर लिया गया है। उसमें इसका भी ध्यान रखा गया है कि अगर कोई आदमी यूनानीमसली छांटा जा सके तो उसे मुक़र्रर किया जाय। पहले इसी बात पर जोर दिया गया है कि जहां तक हो सके यूनानीमसली इलेक्ट किया हुआ आदमी मिल सके। लेकिन अगर ऐसा आदमी न मिल सके तो फिर ऐसा आदमी मिले जिसके ऊपर एक्जीक्यूटिव कौंसिल का भरोसा भी हो और चांसलर भी पसन्द करे जिसके इन्तख़ाब में कम से कम इलेक्शन की स्प्रिट आवे। हम सब को इस बात की ख्वाहिश रखनी चाहिये कि यूनिवर्सिटी के अन्दर अब कोई दुश्वारी पैदा न हो। इस बिल से ऐसा इन्तजाम होने की आशा रखना चाहिये कि हमारी पहली दुश्वारियां दूर हों। अगर हम किसी वजह से पूरे तरीक़े से कामयाबी हासिल नहीं कर सके, तो डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी होंगे और यह सदन भी होगा, हम इस ऐक्ट को फिर रिवाइज कर सकते हैं जो कुछ हमारा तजुर्बा हो, उसी की बिना पर। लेकिन सरे-दस्त जो प्राविजन मौजूद है बिल में, वह सही है और बेजा न होगा अगर मैं अपने दोस्त नारायण दत्त जी से दरख्वास्त करूं कि अब वह अपना अमेंडमेंट वापस ले लें। वह एक डिसकशन रेज करना चाहते थे और बहुत सी बातें सामने आ गई हैं और मैं समझता हूं कि उनका मक़सद पूरा हो गया है। अब वह अपने अमेंडमेंट को वापस लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब तो मुझे श्री वर्मा जी के मोशन पर राय ले लेनी जाहिये।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। वर्मा जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया था वह ठीक था मगर वह जो भाषण हुये हैं उनसे पहले था। अब इस प्रकार का कोई प्रश्न चेयरमैन के सामने नहीं उपस्थित किया गया है। इसलिये जब सवाल फ्रेश उपस्थित नहीं किया गया है तो....

श्री उपाध्यक्ष—वर्मा जी के प्रस्ताव उपस्थित करने पर मैंने कहा था कि दो भाषणों के बाद में मैं उसे ले लूंगा। प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की अत्यन्त प्रसन्नता है कि मेरे संशोधन को कई माननीय सदस्यों ने अपने विद्वान्तपूर्ण

भाषणों द्वारा तर्क के चक्रव्यूह में बाधने की कोशिश की। श्रीमन्, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं बहुत संक्षेप में इस चक्रव्यूह का भेदन कर 'जयद्रथ' का बध अवश्य करूंगा। भले ही प्रकरण में मेरे संशोधन का वध ही क्यों न हो जाय लेकिन 'जयद्रथ' का वध जरूर करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य सबसे पहले यह बतला दें कि.....

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं बतला रहा हूं कि जहां तक श्री राजनारायण जी के संशोधन का प्रश्न है मैं इसको पढ़ने ही जा रहा था। मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं और इस लिये स्वीकार करता हूं कि मेरा मतलब यह नहीं था कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें विद्वान् एजूकेशनिस्ट नहीं होंगे बल्कि इसके लिये किसी धारा का बहुत लम्बा अंश न हो जाय क्योंकि यह बात तो मानी हुई है कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें एमीनेंट और एजूकेशनिस्ट व्यक्ति ही होंगे। इसलिये मैंने इसको लम्बा नहीं किया था। लेकिन जब मैंने देखा कि इससे लोगों में काफी गलतफहमी हो रही है तो राज नारायण जी के संशोधन की आवश्यकता पड़ी और इसलिये मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्रीमन्, मुझे पहले ही डर था और हुआ भी वही कि माननीय मंत्री जी ने मूथम कमेटी की रिपोर्ट के एक बहुत बड़े अंश को वेस्ट पेपर बास्कट में डाल दिया है। उनके भाषण के बाद तो जो मेरी शंकायें अधूरी थीं वह पूरी हो गयीं और उनको बुनियाद मिल गई। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के विधेयक की जान वाइस चांसलर के चुनाव का तरीका है, यही इसकी लाइफ है। यह उनका कहना अवश्य है कि अगर यूनिवर्सिटी विधेयक की कोई मुख्य धारा मानी जा सकती है तो वह वाइस चांसलर के चुनाव की है। श्रीमन्, आप देखें कि चुनाव के सम्बन्ध में मूथम कमेटी की जो इतनी मुख्य सिफारिश थी जिसको मैंने अपनाया उसको माननीय मंत्री जी ने 'वेस्ट पेपर बास्केट' में डाल दिया है। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि ऐसा न करके उन्होंने मूथम कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश को ठुकरा कर जो चुनाव का तरीका रखा है उससे तो उस कमेटी की रिपोर्ट को ही 'वेस्ट पेपर बास्केट' में डाल दिया है। 'वेस्ट पेपर बास्केट' से उनको और उनकी सरकार की बहुत मुहब्बत है। कितनी ही अनगिनत जनता की अर्जियां और कमेटियों की रिपोर्ट्स 'वेस्ट पेपर बास्केट' में डाल दी जाती हैं। अगर बास्केट उठा कर देखी जाय तो बड़े अनमोल रत्न मिलेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह कभी-कभी कृपा कर के अपनी बास्केट को उठाकर देख लिया करें।

जहां तक मेरे संशोधन के प्रतिक्रियावादी होने का सवाल है तो मैं कहूंगा कि वह प्रतिक्रियावादी जरूर है लेकिन वह मंत्री जी की क्रिया की प्रतिक्रिया है। मैं मूल अधिनियम की सिर्फ एक लाइन ही पढ़ना चाहूंगा। माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह बिल के पृष्ठ ६ को खोल लें। जहां उपखंड (५) में वाइस चांसलर के चुनाव की व्यवस्था की गयी, है उसको यदि माननीय सदस्य पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि माननीय मंत्री जी का संशोधन कितना प्रगतिशील है। वह इस प्रकार है कि:—

"The Executive Council shall, as far as may be, at least forty days before a vacancy is due to occur in the office of the Vice Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, meet for the purpose of deciding the name of the person to be recommended to fill the vacancy."

यानी अगर वाइस चांसलर का चुनाव हो जाय और वह सरकार की तबियत का न हुआ तो जब चाहे तब, चाहे साल भर हुआ हो, दो महीने हुए हों या तीन महीने हुये हों, चांसलर जब चाहें चुनाव करवा सकते हैं। "Whenever so required by the Chancellor". जो लिखा है। कैसी प्रतिक्रियावादी प्रगति है।

श्री हरगोविन्द सिंह—आप की अक्ल की बलिहारी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---जी हां, बलिहारी है। मैं तो इस प्रकार का अर्थ लगा रहा हूं जिस प्रकार का अर्थ माननीय मंत्री जी हर विधेयक की हर धारा का लगा रहे हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्वाइंट आफ आर्डर। अभी जो माननीय नारायण दत्त जी ने यह कहा कि जब चांसलर चाहें तब मीटिंग बुला लें। इसका अर्थ यह है कि दो महीने के बाद ही उनको निकाल दें। तो मैं यह उनसे कहना चाहता था कि जो विधेयक की आगे की धारायें हैं उनमें स्पष्ट है कि किस समय वाइस चांसलर निकाला जा सकता है। यह नहीं कि जब चांसलर चाहें तब उनको अलग कर दें।

श्री राजनारायण---इसमें प्वाइंट आफ आर्डर क्या है, श्रीमन् ?

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---जो इस विधेयक में दिया हुआ है उसका अर्थ यही है कि जब भी चांसलर चाहेंगे एक्जीक्यूटिव कौंसिल की मीटिंग बुला ली जायगी। जो शब्द मैंने पढ़ कर सुनाये अगर उनका अर्थ लीगल एक्सपर्ट्स कोई दूसरा बतलायें तो मैं अपने आरोप को वापस लेने के लिये तैयार हूं। तो यह है प्रतिक्रियावादिता माननीय मंत्री जी की जिसको वह हम पर थोपना चाहते हैं। अगर हम वाइस चांसलर को "व्हेन-एवर सो रेक्वायर्ड" की पावर नहीं देना चाहते हैं तो वह हमसे कहते हैं कि हम प्रतिक्रियावादी हैं। कुछ मित्रों ने कह दिया कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल जो रेकमेंडेशन करेगी सेलेक्शन कमेटी के तीन नामों पर वह कैसे करेगी, उसमें एक मत की गुंजायश तो है ही नहीं। माननीय मंत्री जी ने यह फरमाया कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल सेलेक्शन कमेटी के नामों को भेजने के लिये लेटरबाक्स बन जायगी। मैं क्या कहूं, मेरे संशोधन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि "दि एक्जीक्यूटिव कौंसिल शैल मेक रेकमेंडेशन आन दि थ्री नेम्स"। यानी जो तीन नाम आयेंगे उनमें रेकमेंडेशन अवश्य करेगी। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के एलेक्शन का सवाल था। तो वहां पर सेलेक्शन कमेटी ने ३-४ नाम भेजे। उनमें ब्रिटेन के फ्लीट के जो सब से बड़े एडमिरल थे उनका भी नाम था और पंडित नेहरू का नाम भी था। अब अगर आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सेलेक्शन कमेटी बिना पंडित नेहरू की राय जाने उनको एलेक्ट कर देती तो वह चान्सलर हो जाते लेकिन यहां पंडित नेहरू को समय नहीं है। तो पंडित नेहरू ने यह कहा कि मुझे समय नहीं है, सेलेक्शन कमेटी के जो दो बाक़ी नाम हैं उनमें से आप किसी को चांसलर बना लीजिये, तो वैसा ही हुआ। इसलिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल को इस बात का मौक़ा मिलना चाहिये कि जो तीन नाम आये हैं उनमें से किसी को अवकाश है या नहीं ? मान लीजिये कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक मत से नाम भेज दे और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को चुना जाय उनकी स्वीकृति न हो। तो मेरे प्रस्ताव में सब से बड़ी बात यह है कि मैं कैंडीडेचर को पसन्द नहीं करता। इस सम्बन्ध में राधाकृष्णन् कमीशन ने पेज ४२३ पर कहा है :

"The whole idea of 'standing as a candidate' for the Vice-Chancellorship must be suppressed. The Executive must in no way be limited to considering the names of would be candidates. On the contrary they should regard a man's declared intention of seeking the Vice-Chancellorship as *prima facie* evidence of his unfitness for the post."

यानी कनवेसिंग नहीं होनी चाहिये और जो व्यक्ति यह कहे कि मैं वाइस चांसलर होना चाहता हूं उसको 'अनफिट' करार दे देना चाहिये कि यह वाइस चांसलर होने के योग्य नहीं है। तो हमारी सिफारिश में सब से बड़ी खूबी यह है कि कोई व्यक्ति यह नहीं कहता कि मुझे आप वाइस चांसलर बनाइये। वह कनवेसिंग नहीं करता बल्कि सेलेक्शन कमेटी निष्पक्ष

दृष्टि कोण से एक ऐसे सेलेक्शन कमेटी के रूप में कार्य करती है जिसमें टीचर्स का विश्वास है, अकेडेमिक कौंसिल और एग्जिक्यूटिव कौंसिल दोनों एलीमेंट्स का जिस पर विश्वास है क्योंकि दोनों श्रेणियों से सेलेक्शन कमेटी में रहेंगी । तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल और अकेडेमिक काउंसिल दोनों का विश्वास सेलेक्शन कमेटी पर है । तो कोई नामिनेशन पेपर तो भरा नहीं जायगा और न कोई कहने जायगा कि मुझ को चुन दो। ऐसा भी नहीं होगा एक्जीक्यूटिव कौंसिल द्वारा कनवेंसिंग का सवाल उठता नहीं। तीन नाम आते हैं उनमें से एक्जीक्यूटिव कौंसिल यह निर्णय करेगी कि इन तीन आदमियों में कौन सब से योग्य है किसके लिये सिफारिश करें। एक मत से भी कर सकती है और राय भी ले सकती है । अगर आचार्य नरेन्द्रदेव जी तैयार न हों तो डाक्टर भगवान दास को बना दें । अगर डाक्टर भगवान दास तैयार न हों तो आचार्य विनोवा भावे को बना दे, किसी भी योग्य पुरुष को बना दें । तो इस प्रकार की गुंजाइश एक्जीक्यूटिव कौंसिल को देनी चाहिये। अगर हम कनवेंसिंग को रोकना चाहते हैं, अगर हम पार्टीबाजी को रोकना चाहते हैं, अगर हम यूनिवर्सिटी का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम टीचर्स का विश्वास भी प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम मूथम कमेटी की रिपोर्ट को भी स्वीकार करना चाहते हैं, अगर हम राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट को भी स्वीकार करना चाहते हैं, तो उस पर माननीय मंत्री जी को एतराज है । इस सरकार का एक प्रतिनिधि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ एजूकेशन में बैठता है। शायद माननीय मंत्री जी उस समय शिक्षा मंत्री नहीं थे। लेकिन उस बोर्ड ने एक मत से यह सिफारिश की थी कि जिस प्रकार की सेलेक्शन कमेटी का हमने प्रस्ताव किया है वही वाइस चांसलर का चुनाव करे। लेकिन केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों में किसी प्रकार का सामंजस्य शिक्षा प्रणाली में नहीं है। कोई तारतम्य नहीं है। क्या यह बात सच नहीं है । माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे कि जिस प्रकार मैंने अपने संशोधन में सेलेक्शन कमेटी की व्यवस्था की है क्या उसी प्रकार का मूथम कमेटी की रिपोर्ट में सुझाव नहीं है ? क्या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जिसमें इस सरकार का भी एक प्रतिनिधि है उसने एक मत से यह नहीं सुझाव दिया था ? अगर ऐसा है तो माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिये इस बात का। इस बात की जिम्मेदारी वह रखते हैं कि वे किस प्रकार की निराधार बात कहना चाहते हैं।

मेरा दोष केवल इतना ही है कि मैंने यूनिवर्सिटी की आटोनामी के सिद्धांत की रक्षा करने के लिये सब से सुन्दर प्रणाली के अनुसार वाइस चांसलर नियुक्त करने की व्यवस्था की है। मैंने पहले ही अपने भाषण में कह दिया था कि किसी ऐसी प्रणाली का आविर्भाव अभी तक नहीं हुआ जो सर्वांगीण सुन्दर और पूर्ण कही जा सकती हो। प्रत्येक प्रणाली में कोई न कोई दोष होता है। यह मैंने पहले ही स्वीकार किया था। मैंने यह कहा कि जो प्रणाली हमने रखी है यह सर्वथा प्रजातान्त्रिक नहीं कही जा सकती। इस बात को मैंने स्वीकार किया था। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की विशेष स्थिति को देखते हुए हमें इस सिफारिश को स्वीकार करना पड़ेगा। इतनी बात मैंने स्वयं कह दी थी । उसके बाद मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि मेरा जो दो घंटे का भाषण था और जो मेरा संशोधन है उनमें दोनों में विरोधाभास है, मैं कहता हूं कि किस प्रकार उस भाषण और मेरे संशोधन में विरोधाभास है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की विश्वासपात्र सेलेक्शन कमेटी रहेगी। तीन नाम आयेंगे एक्जीक्युटिव कौंसिल के सामने। उसमें से एक नाम दो नाम या तीनों नाम वह भेज दे। कोई उसमें रुकावट नहीं है। माननीय सुल्तान आलम खां साहब और माननीय आचार्य जी को ग़लतफहमी हो गयी कि एक्जीक्युटिव कौंसिल को यूनानिमस रेकमेंडेशन करने की गुंजायश नहीं है । अकैडेमिक कौंसिल को एलेक्शन मजबूरन करना पड़ेगा। कहीं भी किसी विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि नामिनेशन किस प्रकार होगा। जब एलेक्शन के लिये एक ही नाम आयेगा तो एलेक्शन कहां होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जब तीन आयेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—जब तीन आयेंगे तो एलेक्शन हो जायगा। उसमें क्या बात है कहने की। आप देखें कि सदन के नियम में यह लिखा हुआ है "दी हाउस शैल इलेक्ट सो मेनी मेम्बर्स"। तो उसका क्या अर्थ है। हर हालत में हमें इलेक्ट करना नहीं होगा। १४ नाम स्टैंडिंग कमेटी के आयेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम इलेक्शन करेंगे। जब सर्वसम्मति से कोई एक नाम आता है तो उसमें वुराइ की कोई बात आती नहीं। अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने दो नाम आयेंगे तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल उनमें मंजूर करके भेज देगी। अगर तीन नाम से ज्यादा नाम आये तो इलेक्शन की गुंजायश आयेगी लेकिन उस वह डिटेल्स की बात है जो इस विधेयक में रखना उचित नहीं है। विश्वविद्यालय में तो आप जानते हैं कि स्टेट्यूट्स, आर्डिनेन्सेज और रेगुलेशंस ये तीन प्रकार के विधान और हैं जिनको हम व्यवस्था करते हैं और वह व्यवस्था ऐक्ट में नहीं करते बल्कि स्टेट्यूट्स, आर्डिनेन्सेज और रेगुलेशन्स में करते हैं। अगर कोई व्यौरे की बात आना आवश्यक है तो स्टेट्यूट्स में आयेंगे। माननीय मंत्री खुद कह रहे थे कि स्टेट्यूट्स का बिल में ले आना ठीक नहीं है। आप सारे विधेयक को तो वेग रखना चाहते हैं, अस्पष्ट रखना चाहते हैं, सुधार की योजना को अस्पष्ट रखना चाहते हैं और कहते हैं कि सब स्टेट्यूट्स में आयेगा और मेरे संशोधन में व्यौरे की बातें अगर स्टेट्यूट्स में आ जायं तो कहा जाता है कि वह वेग है, विधेयक में आना चाहिये। मुझे श्रीमन्, बड़ी खुशी हुई कि माननीय शिक्षा मंत्री को उस बात की कामना होने लगी है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार जल्दी इधर आये और मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश में ऐसी स्थिति आ गयी है कि उन्हें ज्यादा इन्तजार न करना होगा और जल्दी ही देश उनकी आशा को पूरी करेगा। तब वह देखेंगे कि चाहे मैं शिक्षा मंत्री होऊं या नहीं, यूनिवर्सिटी की आटोनामी किस प्रकार से सुरक्षित रक्खी जाती है और बिना किसी इंटरवेंशन के किस प्रकार उसे विकास का अवसर दिया जाता है और किस प्रकार उन्मुक्त रूप से और स्वच्छंदता के साथ विश्वविद्यालय का विधान बनाया जाता है।

श्री हरगोविन्द सिंह—यह बहस सुन कर मुझे एक किस्सा याद आया। जब मैं वकालत करता था तो एक लारी पर मैं और कुछ साथी जा रहे थे। रास्ते में एस० पी० मिल गये। उस लारी में क़रीब ४० सवारियां थीं। उन्होंने रोका। गिना तो ४० सवारी थीं। ड्राइवर से पूछा तो उसने यह कहा कि ३२ सवारियां हैं। उन्होंने कहा कि गिनो। उसने १ से ३२ तक गिना और ३२ तक गिन कर कहा कि ३२ सावरियां बतला दीं। उन्होंने कहा कि ४० सवारियां हैं लेकिन ड्राइवर यही कहता रहा कि हुजूर ३२ हैं। इसी तरह से संशोधन पेश किया गया कुछ और कहा यह जाता है कि उसके मानो यह हैं जो मैं कह रहा हूं। जरा श्रीमन्, यह संशोधन आद्योपान्त पढ़िये। इसमें यह दोष तो जरूर हैं जो राजनारायण जी ने कहा उसे मैं क़बूल करता हूं। सरकार अगर इस स्तर पर उतर आये कि अपने एक मनोनीत सदस्य को कहे कि तुम हर्गिज नहीं मानना, चाहे किसी का नाम आजाय तो ऐसी हालत में तीन नाम भेजने होंगे। तो मैं समझता हूं कि शायद यह तभी संभव हो सकेगा जब उनकी सरकार आ जायगी। इस सरकार से यह कभी नहीं सोचना चाहिये और अगर यह सरकार ऐसा करती तो जो प्राविज़न ऐक्ट में है मूल अधिनियम में कि कोर्ट किसी को भेज दे और चांसलर उसको रिजेक्ट कर दे तो कहीं भी कोई वाइस चांसलर न होता, सब रिजेक्ट होते। तो यह तो जरूर है श्रीमन्। श्री नारायण दत्त जी ने जो प्रश्न पूछा था वे समझते हैं कि मैं उस प्रश्न का उत्तर देने में शर्माऊंगा, मूथम कमेटी में तो उसमें बतलाया है या नहीं, मैं बड़े उंचे स्वर से कहता हूं कि हां बतलाया है। लेकिन उसको तीसरा स्थान दिया है। आपने जो तरीक़े उन्होंने बताये थें,पहला, दूसरा और तीसरा, इसको तीसरे पर बताया था। उन्होंने पहला यह कहा कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वह आपस में मिल कर एक मत से एक वायस चान्सलर को चुनें, यह उन्होंने बताया। श्री नारायण दत्त जी तिवारी इसको पी गये कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल

को कोई पावर न हो। लेकिन वह उसको पी गये और उन्होंने यह नहीं रखा। जब एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक मत की हो जाय तो जब जिस आदमी का चुनाव एक मत से हो जाय वह कोर्ट के सामने जाना चाहिये और कोर्ट में मेजारिटी होनी चाहिये, इसको वह पी गये। इसके तो हम साथ हैं क्योंकि हमने भी इसको नहीं रखा है। उन्होंने तीसरे पर लाकर रखा है कि अगर यह सम्भव न हो तो तीन आदमियों की एक कमेटी बनायी जाय। यह उन्होंने रखा है। हम अपने विधेयक में वही रख रहे हैं जो पहले से वहां पर रखा हुआ है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल को यह अवसर होना चाहिये कि वह एक मत हो कर एक वाइस-चांसलर की नियुक्ति करे। तो अब जरा तिवारी जी से पूंछूं कि आया संशोधन प्रतिक्रियावादी है या हमारा संशोधन। आप चाहे इसको मानें या न मानें लेकिन हमने इसको पहला ही स्थान दिया है जिसको वहां पर पहला स्थान – उस मूथम कमेटी रिपोर्ट में दिया गया है। आप उसको पहला स्थान देना चाहते हैं जिसको वहां पर तीसरा स्थान दिया गया है। पहले को उन्होंने छोड़ दिया है। तो उस पहले को हमने मान लिया कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल को यह अवसर दिया कि एक वाइस चांसलर की नियुक्ति करे और उसी को विधेयक में स्थान दिया। उन्होंने कहा कि कदाचित् मैं इसको नहीं चाहता हूं कि बिला यूनिवर्सिटी की अनुमति के कोई वायस चांसलर उन पर थोपा जाय। इसलिये उन्होंने पहले पर जोर दिया और अगर पहला न किया जाय तो दूसरे पर जोर दिया और फिर कहा कि कमेटी मुकर्रर की जाय। लेकिन आप का जरा संशोधन देखिये जिसमें आप यह कहते हैं कि खंड ८ में प्रस्तावित नयी धारा ११ की उपधाराओं (१), (२), (३), (४), और (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय। इसमें ९ उपधारायें हैं। ९ में ५ का अमेंडमेंट है इनमें ९ में से ५ में संशोधन होगा और चार वैसे ही रहेंगी। अब आप के उस संशोधन पर मेरा आक्षेप यह था कि आप के संशोधन में यूनिवर्सिटी और एक्जीक्यूटिव कौंसिल का कोई हाथ नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वह २ आदमियों की नियुक्ति कर दे। आप यह भी मानते ही हैं कि वह दो आदमी भी एक्जीक्यूटिव के मेम्बर नहीं होंगे, उनका ऐसोशियेटेड कालेजज से भी कोई संबंध नहीं होगा। वे वैसे लोग होंगे जिनका यूनिवर्सिटी से किसी प्रकार का भी कोई सम्बन्ध नहीं होगा। इसी तरीके से एकेडैमिक कौंसिल का जो मेंबर होगा उसका भी कोई सम्बन्ध यूनिवर्सिटी से नहीं होगा। उन लोगों का ऐक्जीक्यूटिव, ऐकेडैमिक कौंसिल तथा कोर्ट से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। इस प्रकार वे तीन व्यक्ति जिनका उस यूनिवर्सिटी से किसी प्रकार भी कोई संबंध नहीं होगा वे तीन नामों को चुनेंगे, कम से कम तीन नामों को चुनेंगे और उन नामों को एक्जीक्यूटिव के पास भेजेंगे और एक्जीक्यूटिव उसके बाद उन नामों को चांसलर के पास भेजेगी। एक्जीक्यूटिव उसके ऊपर क्या करेगी उसके बारे में आप बताते हैं —

"The Executive Council, on receipt of the selection under sub-section (2) shall make its recommendation on the persons so selected to the Chancellor, who shall appoint one of such Vice-Chancellor."

अब इसमें कहीं भी यह बाइंडिंग नहीं है कि चांसलर इन नामों से किसी को मान ही ले। इसके अलावा हमने जो धारा रक्खी है उसमें रक्खा है अगर ३ से अधिक नाम हों तो एक्जीक्यूटिव सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट के द्वारा ३ नामों को चुन लेगी और इस प्रकार से जो तीन नाम चुने जायेंगे उनमें से हरएक को कम से कम एक्जीक्यूटिव के सात सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा। इस प्रकार का तो उनका संशोधन है और जिस पर तुर्रा यह कि उनका संशोधन बहुत प्रोग्रेसिव है और गवर्नमेंट ने जो रखा है वह रिट्रोग्रेसिव है। जरा आप के संशोधन को तो देखिये और फिर इसको देखिये तो जो गवर्नमेंट के संशोधन में रक्खा हुआ है। वह इस प्रकार है —

"The Executive Council shall, so far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office of Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor."

[श्री हरगोविन्द सिंह]

इसका मतलब आपने यह लगाया कि एक वाइस चांसलर एलेक्ट होकर आ गया और तीन रोज के बाद चांसलर ने सोच लिया कि वाइस चांसलर को नहीं रखना है, और उन्होंने निकाल दिया और फिर एक्जीक्यूटिव से कहा कि नया नाम भेजो। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस प्रकार से किसी चीज को तोड़ मरोड़ कर इस भवन में रखना, इससे बढ़ कर दूसरा कोई अपमान इस सदन का नहीं हो सकता है। नं० ३ इस प्रकार से है:—

"The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years but may at any time relinquish office by submitting not less than sixty days in advance of the date on which he wished to be relieved, his resignation to the Chancellor.

५ वर्ष तक तो वह वाइस चांसलर रहेगा, पांच वर्ष के अन्दर उसे कोई नहीं हटा सकता है। पांच वर्ष के अन्दर सिर्फ उसको इस बात की स्वतन्त्रता अवश्य है कि वह त्यागपत्र दे सकता है, चांसलर को। और जब ऐसी स्थिति आ जायगी तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल तो जानती नहीं, क्योंकि उसके पास तो त्यागपत्र जायगा नहीं। त्यागपत्र जायगा चांसलर को वाइस चांसलर का और तब चांसलर एक्जीक्यूटिव कौंसिल से कहेगा कि भाई उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और मैंने उसको मंजूर भी कर लिया है। आगे ८ में दिया हुआ है:—

"Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of the Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause other than resignation in accordance with sub-section (3) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor. If the vacancy is, or is likely, to last for a period exceeding six months, the Chancellor shall call upon the Executive Council to forward its recommendations and the provisions of sub-sections (1) and (5) to (7) shall in so far as may be, apply for the filling of the vacancy, In other cases the Executive Council may subject to the approval of the Chancellor, either appoint the Vice-Chancellor or make such other arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as it may think fit."

तो इसमें चांसलर के पास कोई रिजिगनेशन आया और एक्सेप्ट भी हो गया तो एक्जीक्यूटिव को वाइस चांसलर के एलेक्ट करने में कुछ भ्रम भी हो सकता है। जो प्राविजन मौजूद है उसका मतलब आपने यह निकाल लिया कि जब चाहे चांसलर एक्जीक्यूटिव से कह दे इस तरह से तो यह रोज होता रहेगा। अगर इस तरह से कहीं नारायण दत्त तिवारी जी एलेक्ट हो गये तो हो सकता है कि ऐसा ही करें। यह आपही की बुद्धि की तारीफ है और यह बात उन्हीं की बुद्धि में आयी जब उन्होंने देखा कि उनके संशोधन का यहां इतना खंडन किया गया है तो फिर उन्होंने क्यों नहीं ऐसा अमेंडमेंट दिया अगर वे इस चीज को जानते थे। माननीय राज नारायण जी ने यह कहा कि जो संशोधन यहां दिया हुआ है या जो विधेयक मे है दोनों को एक्जीक्यूटिव कौंसिल का जो संगठन है उसकी पृष्ठभूमि में देखा गया है और आपने यह कहा कि नारायण दत्त जी ने एक्जीक्यूटिव कौंसिल के बारे में अपने डिसेंटिव नोट में बहुत लिखा है। लेकिन मुझे तो नोट आफ डिसेंट में कुछ नहीं मिला। उहोंने केवल यह कहा कि पैरिटी होनी चाहिये टीचर्स और नानटीचर्स में। यदि मैं इस बात को मान लूं कि पैरिटी होगी तो क्या आप अपने संशोधन को वापस ले लेंगे ? और एक्जीक्यूटिव कौंसिल से और इस संशोधन से क्या मतलब है, मेरी समझ में तो यह बात आयी नहीं। तो यह एक भ्रम फैलाने की बात आपने यहां कही इस हाउस में। इस हाउस का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसको इतनी बुनियादी बातें राजनारायण जी द्वारा सुननी पड़ती हैं। इससे तो अपच हो जाना चाहिये लेकिन उनको अपच नहीं होता। तो इस वजह से संशोधन में बुनियादी बातें प्रजातंत्र और लोकतंत्र और अपवाद की बहुत सी

बातें कही गयीं जो मेरी समझ में नहीं आयीं कि उनका इससे क्या मतलब है। इस सम्बन्ध में एक बात जरूर याद आयी कि मैंने किताबों में पढ़ा था कि लेनिन ने कहा है कि वह सोशलिज्म में सबसे डेंजरस आदमी वह होता है जो दो किताबों वाला सोशलिस्ट होता है। तो जो दो किताबों वाले सोशलिस्ट हैं वह सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं और शायद वह भी उसी श्रेणी में हैं और डेमोक्रेसी को बुनियादी बात कहने में एक खतरा पैदा हो गया है। संशोधन उधर से आयें लेकिन अपोजीशन की तरफ से या लीडर आफ दि अपीजीशन की तरफ से जिनको भाग्य से या दुर्भाग्य से यह पद मिल गया है कुछ तो समझना ही चाहिये। मैंने तो पहले भी कहा था कि आप विश्वास मानें कि अगर कोई संशोधन ऐसा आयेगा जिससे मैं समझूंगा कि यूनिवर्सिटी का कल्याण होने वाला है तो मैं उसको मानने में पहला आदमी होऊंगा। हम कोई क्लास के लड़के नहीं हैं कि हमको वह प्रजातन्त्र सिखलाते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि उनका क्या मतलब था लेकिन यह मैंने समझा कि...

श्री राजनारायण—श्रीमन्, वह बोल क्या रहे हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—बोल वही रहे हैं जो आप अभी बोल रहे थे। जो संशोधन था उस पर बोलते तो समझ में आता। अब दूसरी बात सुन लीजिये और वह यह है कि उन्होंने अपने संशोधन में इस बात को बड़ा महत्व दिया है वह ३ व्यक्ति जो होंगे उनमे से दो एक्जीक्यूटिव कौंसिल से इस प्रकार मनोनीत होंगे और एक एकेडेमिक कौंसिल का होगा और वह अल्लामियां खुद बना कर भेजेंगे और उनके ऊपर फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अगर अल्लामियां के बनाये हुए होते तो आपको चाहिये था कि पूरी एक्जीक्यूटिव कौंसिल को कहते कि वह यूनानोमसली चुनें। क्या वह नियुक्ति का अख्तियार चाहते हैं। अगर वह नाम बतलाते कि वह मजबूर होगा उनकी नियुक्ति करने के लिये तब भी ठीक था। १४ आदमियों को रिप्रिजेंटेशन उधर दिया गया है वह जिसको चाहें रख सकते हैं। एकेडेमिक कौंसिल का एक आदमी चाहे मिले या न मिले। तो मैं यह कहूंगा कि इस बिल में....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माइक्रोफोन ठीक करा दिया जाय, पता ही नहीं चलता मंत्री जी क्या कहे जा रहे हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—अगर इस बिल में यह प्रतिबन्ध होता कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल अपनी कोई ऐसी छोटी कमेटी नहीं बना सकती तब तो कुछ बात भी थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस बिल में कहां यह मानी हैं कि पूरी एक्जीक्यूटिव कौंसिल बैठ कर ३ आदमियों को नियुक्त करे। वह चीज तो बिना कहे ही उसमें निहित है। मैं नहीं समझता कि इसमें कौन सी खास बात है। मूथम कमेटी की जो सब से महत्व-पूर्ण सिफारिश थी उसमें कहा गया था कि हम चाहते हैं कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल और यूनिवर्सिटी बाडीज का सम्बन्ध रहे। उसको तो आपने उड़ा दिया और तीन या दो आदमियों को आपने अधिकार दे दिया कि वह जिसको चाहें वाइस चांसलर बना दें। तो मैं यह कहूंगा कि यदि वास्तव में देखा जाय तो इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है और यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल किसी मौके पर इसकी आवश्यकता समझेगी तो वह तीन, दो या पांच जितने चाहे व्यक्ति चुन सकती है। इस सम्बन्ध में मुझे बड़ा दुःख है और खेद है कि आचार्य जी का नाम लिया गया। मैंने तो इस सम्बन्ध में केवल यही कहा था कि आचार्य जी जैसे व्यक्ति के होते हुए, जिन पर हम को गौरव और नाज हो सकता है, चाहे हम उनकी राजनीति से सहमत हों या न हों लेकिन अन्य क्षेत्रों में मैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता हूं और मैं राजनारायण जी को बताना चाहता हूं कि उनके प्रति जो मेरे भाव हैं वह उनसे कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। लेकिन मैं उसके होते हुए भी कहना चाहता हूं कि आचार्य जी जैसे महान् व्यक्ति के लिये भी बनारस विश्वविद्यालय को कोर्ट में नो-कान्फीडेंस का मोशन आया।

श्री राजनारायण---गलत कहते हैं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं।

(ट्रेजरी बेंचेज की ओर से बहुत सी आवाजें---वापस लो, वापस लो यह शब्द।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह कहता हूं कि झूठ कहने से मेरा मतलब है कि यह असत्य कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री बिल्कुल असत्य कह रहे हैं। और मैं इसको तीन बार दोहराऊंगा कि वह असत्य कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह---मैं तो श्रीमन्, अपना रोना रो चुका कि प्रान्त का इससे बढ़ कर दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि ऐसा लीडर आफ आपोजीशन उसको मिल गया।

श्री राजनारायण---और ऐसा शिक्षा मंत्री मिल गया...

श्री हरगोविन्द सिंह---ऐसा लीडर आफ आपोजीशन मिल गया जिसने इस भवन का स्तर इतना नीचे गिरा दिया जो इस भवन के पूरे इतिहास में नहीं मिलेगा।

श्री राजनारायण---और ऐसा शिक्षा मन्त्री इस प्रान्त को मिल गया जो इस सदन का अपमान है।

श्री उपाध्यक्ष---मुझे खेद है कि मैं देख रहा हूं कि सदन के सदस्य यह भूल जाते हैं कि मैं भी यहा उपस्थित हूं। अगर कोई बात कहनी हो तो मेरे द्वारा कहनी चाहिये। इस तरीके से एक दूसरे से ऐसे शब्दों की अदला-बदली मुनासिब नहीं है।

श्री हरगोविन्द सिंह---तो मैं कोर्ट का जिक्र करते हुए यह कह रहा था कि आचार्य जी ऐसे वाइस चांसलर के खिलाफ बनारस यूनिवर्सिटी के कोर्ट में नो कान्फीडेंस मोशन आये।.....

श्री राजनारायण---बिल्कुल झूठ, बिल्कुल ग़लत।

श्री हरगोविन्द सिंह---तो इसीलिये हमने यह समझा कि वाइस चांसलर को कोर्ट से अलग रहना चाहिये, क्योंकि जो गुटबन्दी और पार्टीबन्दी होती है उसमें किसी के व्यक्तित्व का कोई स्तर नहीं रह जाता। जब ऐसे आदमियों के ऊपर भी लांछन और आक्षेप किया जाता है तो क्या किया जाय। ऐसी बातों को भी तोड़-मरोड़ करके उन्होंने इस प्रकार से भवन के सामने रखने का प्रयत्न किया लेकिन जैसा कि मैंने आचार्य जी के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट किया लेकिन जो बात थी वह कही और वह मैंने इसलिये कही थी क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में आचार्य जी का बारहा नाम लिया। अगर उनका नाम न लिया होता तो मैं कह भी नहीं सकता। इसीलिये मैंने उसको कहा था क्योंकि बार-बार आचार्य जी का नाम लिया गया। तो मैं समझता हूं कि माननीय नारायण दत्त जी का जो संशोधन आया है उसमें वह यह जरूर कहेंगे कि यूनिवर्सिटी अटोनामी छिपी हुई है लेकिन अगर उसके भीतर ढुढ़ा जाय तो मैं समझता हूं कि ओटोनॉमी का गला उसमें घोंटा गया है और यह देखा गया है कि कहीं यह छिपने न पाये और बोले नहीं, इसीलिये यह कहा गया है कि यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड न होकर और असोसियेटेड कालेज से कनेक्टेड न हो। आखिर इसके कहने का मतलब तो यही था कि वाइस चांसलर के चुनाव में यूनिवर्सिटी के किसी टीचर की बात तो जाने दीजिये किसी को अधिकार नहीं रहेगा। हमारे एक्जीक्यूटिव में आधे टीचर भी रहेंगे और मैंने उसको इस भाव से किया है कि मैं यह नहीं समझता कि अध्यापकवर्ग हमारे लिये कोई अछूत हो गये। हम यह कदापि नहीं समझते कि यूनिवर्सिटी का उत्थान इनके सहयोग के बिना हो सकता है। मैं तीन बार कह चुका हूं कि बिना अध्यापकों के सहयोग के यूनिवर्सिटी का सुधार हो, उसका कोई स्तर ऊंचा हो, उसका नैतिक स्तर ऊंचा हो, उसकी बुराइयां दूर हों यह नामुमकिन है। इसलिये मैं नहीं चाहता कि अध्यापक वर्ग यह समझें कि हम

तो इस बिल के लिये अछूत समझ लिये गये हैं और इस संशोधन में जो सबसे बड़ा द्रोष है वह यही है कि यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कितना ही ऊंचा क्यों न हो, अगर उदाहरण के लिये मान लीजिये कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के मेम्बर्स बकिया सब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स होते हैं। आचार्य जी भी बराबर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कोर्ट के मेम्बर होते, लेकिन नहीं, अगर यह संशोधन माने लेते हैं तो आचार्य जी उस कमेटी के मेम्बर नही हो सकते, इसलिये कि उनको अनकनेक्टेड होना चाहिये। तो इस कारण मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। हम कम से कम इतना अविश्वास अपने इन महान् आचार्यों और अध्यापकगण के विरुद्ध प्रकट करने को तैयार नहीं हैं। मुझे दुःख है और अगर दुःख न होता तो इस विधेयक को अवश्य न लाता। मैं इस विधेयक को इसी आशा से लाया हूं कि हमारे यह अध्यापकगण या जो लोग यूनिवर्सिटीज से संबंधित हैं, पं० हृदयनाथ कुंजरू ही को ले लीजिये, वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के मेम्बर हैं, वह इस कमेटी के मेम्बर नहीं हो सकते, इसलिये कि वह कोर्ट के मेम्बर हैं, वह अछूत हो गये। तो यह जो इसका एक सबसे बड़ा दोष है और जो सबसे बड़ा अविश्वास प्रकट किया गया है उसके लिये आपने यह तो नहीं किया कि आप उनमें अपनी श्रद्धा बढ़ाते, उनके पैर छूते, बल्कि आपने किया यह है कि आप यह संशोधन लाये हैं कि नजदीक का कोई आदमी भी इसमें आने न पाये। तो इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि हाउस इसको कभी मंजूर नहीं करेगा।

श्री राजनारायण---मैं एक पर्सनल स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---स्पष्टीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती। यह तो बात को बढ़ा देना होगा।

श्री राजनारायण---मैं एक बात में आपकी व्यवस्था चाहता हूं। क्या सदन में आप ऐसी व्यवस्था चलायेंगे कि कोई सम्मानित सदस्य, चाहे वह मंत्री ही क्यों न हों, जितना भी चाहे असत्य कहता चला जाय और उस पर स्पष्टीकरण न हो। मैं उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं अगर नहीं देंगे तो बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष---अगर कोई बात स्पष्ट नहीं है तो मैं उसके लिये जरूर मौका दूंगा लेकिन यहां ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री राजनारायण---बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने दो चार बार इस बात को कहा कि बनारस में आचार्य नरेन्द्र देव के विरुद्ध नो कांफीडेंस मोशन आया मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी बार भी ऐसा मोशन था? बात को इस तरह से। उल्टी घुमा कर कहना मैं समझता हूं कि अशोभनीय है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी कह चुके हैं और मैं समझता हूं कि इसमें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण---आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित नई धारा 11 की उपधाराओं (1),(2),(3),(4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a penal of not less than three persons selected in the manner hereafter appearing.

[श्री उपाध्यक्ष]

(2) A Committee of three persons, not connected with the University or the Associated Colleges, two of whom shall be elected by the Executive Council and one by the Academic Council according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, shall select not less than three persons and shall report such selection to the Executive Council.

(3) The Executive Council, on receipt of the selection under sub-section (2) shall make its recommendation on the persons so selected to the Chancellor, who shall appoint one of such persons as Vice-Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor shall be the whole-time officer of the University. He shall hold office for a period of five years but may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(5) No person who has at any time previously held the office of the Vice-Chancellor of the University otherwise than in a vacancy referred to in sub-section (8) shall be eligible for re-appointment."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :---

"खंड ८ में प्रस्तावित नई धारा ११ की उपधारा (1) की पंक्ति १ में शब्द "shall be" तथा शब्द "a" के बीच में शब्द "an eminent educationist of high academic reputation and be" जोड़ दिये जायं।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्द जुड़ जाने के बाद धारा ११ (१) जो है वह इस प्रकार हो जायगी:---

"11. (1) The Vice-Chancellor shall be an eminent educationist of high acadmic reputation and be a whole time officier of the University and be appointed by the Chancellor in the manner provided in this section."

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम इस वाइस चांसलर वाली धारा को पढ़ें, उसकी जो पावर्स हैं उसको पढ़ें उसमें कहीं भी इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता है कि वाइस-चांसलर के लिये कोई शिक्षा या किसी भी क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता है या नहीं है। अगर सेलेक्शन करने वाले चाहें और हमारे चांसलर महोदय चाहें, तो ऐसे आदमी को भी वाइस-चांसलर बना सकेंगे, जिसको काला अक्षर भैंस बराबर हो और अगर वह चाहें तो ऐसे आदमियों को भी नियुक्त कर सकते हैं जिनमें किसी प्रकार की योग्यता न हो। क्योंकि उपकुलपति की जितनी भी शक्तियां बढ़ा दी गई हैं उनके अनुसार उसकी शिक्षा का, क्वालिफ़िकेशन का, कोई संकेत नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, तिवारी जी के संशोधन पर, मेरे पहले जो भाषण दिये गये थे कुछ लोगों ने इस बात का संकेत किया यद्यपि उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं था । फिर भी उन्होंने वाइस चांसलर के लिये क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है इस पर प्रकाश डाला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके पास ऐसी कौन सी कसौटी होगी, जिसके अनुसार वह किसी को वाइस चांसलर पद के लिये नियुक्त करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस राधाकृष्णन् कमीशन और मूथम कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा जाय तो जहां उन्होंने वाइस चांसलर के सम्बन्ध में डील किया है तो उन्होंने कोई डिग्री नहीं नियत की है, लेकिन कुछ विशेषतायें उसकी अवश्य निर्धारित की हैं कि किस प्रकार का वाइस चांसलर होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राधाकृष्णन् कमीशन के पेज ४२२ पर जो उन्होंने वाइस चांसलर की क्वालिफिकेशन या कसौटी रखी है, उसे पढ़ देना चाहता हूं—

"It is his duty to know the senior members of the staff intimately, and to be known to all members of the staff and students. He must command their confidence both by adequate academic reputation and by strength of personality. He must know his university well enough to be able to foster its points of strength and to foresee possible points of weakness before they become acute. He must be the 'keeper' of the University's conscience', both setting the highest standard by example and dealing promptly and firmly with indiscipline or malpractice of any kind."

(इस समय ४ बजकर १४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता श्री सुल्तान आलम खां पीठासीन हुए।)

अधिष्ठाता महोदय, यह कसौटी राधाकृष्णन् कमीशन ने उपकुलपति के नियुक्ति के लिये रखी है कि जो वाइस चांसलर हो उसको कम से कम इतना योग्य और शिक्षा शास्त्री होना ही चाहिये जिसका आदर यूनीवर्सिटी के अध्यापक और छात्र दोनों कर सकें। अभी तक तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को यह प्रणाली रही है कि उसका एलेक्शन कोर्ट करता था। चूंकि कोर्ट में पहले ही उसको बहुत बदनाम कर दिया गया है कि उसमें अधिक अध्यापक होते थे इसलिये उसके चुनाव में पार्टी पौलिटिक्स आ जाती थी। खैर, जो भी खराबियां रहीं हों लेकिन एक बात इसमें निश्चित थी कि जो वाइस चांसलर होता था वह विद्वान् होता था, योग्य होता था और इसके लिये मैं समझता हूं कि वह यूनिवर्सिटी इसी बात के लिये विख्यात है कि उसने अच्छे वाइस चांसलर दिये। अधिष्ठाता महोदय, इस समय जो यह अमेंडिंग बिल की धारा रखी गई है वह वास्तव में जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की परिपाटी रही है उसी परिपाटी पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लाने के लिए यह रखी गई है, क्योंकि यहां कोई ऐसी परिपाटी नहीं थी। यहां चांसलर, वाइस चांसलर को नियुक्त करता था। अधिष्ठाता महोदय, इन दोनों यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के सेलेक्शन में क्या विशेषता थी इसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। श्री प्रद्युम्न जोशी जिन्होंने राधाकृष्णन् कमीशन के सामने अपनी गवाही दी है उन्होंने इस बात को बिल्कुल प्रत्यक्ष कर दिया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो सेलेक्शन होता था वह एक अच्छे वाइस चांसलर का होता था और विद्वान का होता था और लखनऊ यूनिवर्सिटी में जितने सेलेक्शंस हुए हैं उनमें चक्रवर्ती के बाद कोई भी आदमी इस योग्यता का नहीं आया जिसको हम एजुकेशनिस्ट कह सकते हों बल्कि वह नान ऐकेडेमीशियंस सेलेक्ट हुए। राधाकृष्णन् कमीशन के खंड २ के भाग १ के पेज १८३ पर इस प्रकार से लिखा है —

"It is growingly felt that a Vice-Chancellorship should be the crowning reward of a long academic life and should not become a subject of mere political loyalties. We need not deny that there are and may be public men

[श्री जोरावर वर्मा]

whose association with the Universities might prove of considerable advantage but the invitation should be from the Universities rather than a result of their own ambitions."

अधिष्ठाता महोदय, यह केवल इन्हीं का विचार नहीं है बल्कि और जिन विद्वानों और शिक्षा शास्त्रियों ने उपर्युक्त कमीशन के सामने गवाही दी है, जिन लोगों ने राधाकृष्णन् कमीशन के सामने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है, उन्होंने इस बात पर बहुत ही जोर दिया है कि इन दोनों यूनिवर्सिटीज में बहुत बड़ा फर्क रहा है और वह फर्क यह रहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वाइसचांसलर एक बहुत बड़ा विद्वान और रेपूटेड आदमी रहा है लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी का वाइसचांसलर डा० चक्रवर्ती के बाद कोई ऐसा एजुकेशनिस्ट और शिक्षा शास्त्री नहीं हुआ है, वह सब दूसरे टाइप के आदमी सेलेक्ट हुए हैं जो प्रायः नान-एकेडेमिशियन ही रहे हैं। राधाकृष्णन् कमीशन और मूथम कमेटी दोनों ने यही बताया है कि वाइसचांसलर विद्वान् और शिक्षा शास्त्री ही होना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, ऐसा क्यों है? यह जो प्रद्युम्न जोशी हैं उन्होंने उस खतरे की ओर थोड़ा संकेत कर दिया है कि इस प्रकार के आदमी जो नान-एकेडेमीशियंस हैं पार्टी पालिटिक्स की वजह से या राजनैतिक इन्टरेस्ट की वजह से वह यूनिवर्सिटी के इंटेरेस्ट को खतरे में डाल सकते हैं। वह कहते हैं :—

"To me it is a matter of great regret that in some cases at least it appears that men holding position outside the University life whose association is welcome in other ways,have been actually making a cat's paw of the differences that exist among the body of teachers."

अधिष्ठाता महोदय, यह एक बहुत बड़ा खतरा है जिसकी ओर इन विद्वानों ने संकेत किया है। इसलिये जब तक हम वाइस चांसलर की क्वालिफिकेशन्स को निश्चित नहीं कर देंगे, यद्यपि उन्हें किसी डिग्री से तो नहीं नापा जा सकता, लेकिन उन पर कुछ न कुछ बंधन तो अवश्य ही होना चाहिये, क्योंकि जब तक उन पर कोई इस तरह का शिक्षा सम्बन्धी बंधन नहीं रखेंगे तब तक उपयुक्त व्यक्ति का सेलेक्शन नहीं हो सकता है। आपकी आज्ञा से मैं इस सम्बन्ध में मूथम कमेटी का भी विचार बता देना चाहता हूं। मूथम साहब ने भी यह निर्णय दिया है कि ऐसा आदमी वाइस चांसलर होना चाहिए जो कि विद्वान् हो और जिसकी रेपुटेशन ख्याति हो और जो कम से कम स्टूडेंट्स और टीचर्स को अच्छी तरह अपनी विद्वता के कारण सन्तुष्ट रख सके तथा यूनिवर्सिटी की सेवा कर सके। पेज १५३ पर जहां कि उन्होंने क्वालीफिकेशन्स आफ दी वाइस चांसलर बतलाये हैं, उन्होंने वहीं यह लिखा है—

"It is usually necessary for a University Administrator to have some experience and ability in teaching or research, preferably in both, in order that he may understand the problems with which he will have to deal."

यह मूथम कमेटी की रिपोर्ट का निर्णयसुझाव है। इसमें यह बताया गया है कि इसी प्रकार के आदमी को वाइस चांसलर होना चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, अगर यह मेरा संशोधन न माना जाय और जैसा अमेंडिंग बिल में है, वैसा ही मान लिया जाय तो इससे एक बहुत बड़ा खतरा है जिसकी ओर कि हमारे इन विद्वानों ने संकेत, प्वाइंट आउट, किया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन लाये जाते हैं, वह अच्छे पर्पज के लिए लाये जाते हैं। लेकिन इस सदन में कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं जो इन संशोधनों को काफी दूसरे पहलू की ओर घसीट कर ले जाते हैं जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस प्रकार के संशोधन लाकर गवर्नमेंट पर अविश्वास किया जाता है। अगर इस प्रकार के संशोधन न आवें तो उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही हो जायगा कि जो कुछ हमारी गवर्नमेंट ने रखा है, वही ठीक है। अगर यही दलील दे

दी जाय तो मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई बहस सदन में नहीं हो सकती है और ऐसी दशा में इस विधान सभा की भी आवश्यकता नहीं है ।

अधिष्ठाता महोदय, सभी विद्वानों की ऐसी ही राय है, चाहे उन्हें आप सरकारी कहिये या गैरसरकारी कहिये । हुमायूं कबीर साहब जो केन्द्रीय सरकार के शिक्षा सचिव हैं उन्होंने कहा है कि जहां तक हो सके वाइस चांसलर सीनियर मोस्ट डीन आफ फैकल्टी को नियुक्त करना चाहिये । यद्यपि उन्होंने कुछ थोड़ा सा अन्तर बतला दिया है कि कम से कम वाइस चांसलर के लिये यह आवश्यक है कि उसे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का कुछ अनुभव होना चाहिये । जो टीचिंग से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है तो वह बजाय टीचिंग के कोई दूसरा राजनैतिक कार्य कर सकता है । उनका कहना है कि---

"I strongly hold that nobody should be a Vice-Chancellor who has not been actively engaged in teaching for at least 10 years. I would suggest that he should be either a University professor of 5 year's. standing or a head of a first grade college for 5 years or a teacher in a University for at least 10 years. He must have adequate teaching experience. Some administrative experience would be a very desirable additional qualification."

अगर क्वालिफिकेशन की कोई बाइंडिंग उपकुलपति की नियुक्ति में नहीं रखी गई तो हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी वाइस चांसलर हो जाय जो यूनिवर्सिटी का अहित करे । इस वाल्यूम के पेज २४ पर श्री ए० बी० मिश्रा का कथन है जो इस प्रकार है:---

The Vice-Chancellor should be a high ranking academician who can overawe professors and inspire the students. Politicians make bad Vice-Chancellors; firstly, because they lack academic virtues and, secondly, because they are habituated to the use of foul methods of political strife.

इस अमेंडिंग बिल में कोई इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन (बंधन) ऐसा नहीं है जिससे ऐसा वाइस चांसलर न आ सके जो अपने पोलिटीकल मोटिव को सर्व करे ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री हरगोविन्द सिंह---इस संशोधन का जो अभिप्राय है उसके खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन अगर ये शब्द जोड़ दिये जावें तो इसका निर्णायक कौन होगा कि वह ऐमीनेंट एजुकेशनिस्ट है या नहीं ? इसमें इस बात की आशंका है कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल को तो नाम बतलाने हैं और अगर वहां एकमत नहीं हुआ और नाम प्रोपोज हुये और उस वक्त यह हुआ कि अच्छा पहले यह तय कर लें कि इनमें कौन-कौन एमिनेंट एजूकेशनल और एकेडेमिक क्वालिफिकेशन्स के हैं या नहीं और बाई मैजोरिटी ने यह कह दिया कि यह राधाकृष्णन् एमीनेंट ऐजूकेशनिस्ट नहीं हैं तो कौन इसको देखेगा ? वही एक्जीक्यूटिव कौंसिल ही तो इसको तय करेगी और उसने उनका नाम निकाल दिया तो इस कारण से यह संशोधन मुझे मान्य नहीं हो सकता है । जहां तक इसका सम्बन्ध है कि जब एक्जीक्यूटिव कौंसिल को अधिकार दिया जा रहा है कि वह एकमत से एक नाम पर सहमत हो जायं और एक मत से उसका नाम वाइस चांसलर के लिए चांसलर के पास भेज दें तो यह इसमें निहित ही है कि वह ऐसा आदमी होगा जो सचमुच में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने की योग्यता रखता हो । इसके कहने या न कहने से आप कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं । इसको मान लेने से यह दिक्कत हो सकती है कि आप मुकदमा लड़िये कि आप ऐमीनेंट ऐजूकेशनिस्ट हैं या नहीं ।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

चांसलर यह नहीं कह देगा कि जो नाम प्रोपोज हुआ है उसमें बड़े-बड़े एजूकेशिनस्ट हैं। वह पावर किसी अथौरिटी को नहीं है। एक्जोक्यूटिव कौंसिल हो इसका निर्णय करेगी कि कौन एमीनेंट एजूकेशनिस्ट है या नहीं तो ऐसी सूरत में यह शब्द निरर्थक होंगे और यह वाक्य निरर्थक होगा। इसको अवहेलना हो सकती है। अगर अवहेलना होतो है तो अवहेलना को दूर करने के लिये कोई दूसरा तरीका इस विधेयक में नहीं रखा गया है कि वह किस तरह से दूर किया जाय। इस कारण से मैं समझता हूं कि श्री जोरावर वर्मा अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, कौन इसका निर्णय करेगा? इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात वह है कि जो माननीय जोरावर वर्मा जो को शंका है वह इस अधिनियम के खंड ११ के (५) (बी) से दूर हो जातो है। अगर अधिष्ठाता महोदय, आज्ञा दें तो मैं पढ़ कर सुना दूं। उसमें लिखा हुआ है कि:--

"Is unable to decide unanimously the name of any person it shall in the same meeting decide names not more than three in number of persons suitable for being recommended to the chancellor.

इसमें जो वर्ड सूटेबिल हैं उससे आपको शंका दूर हो सकती है। ५ (बी) में तीन नाम चुने जायंगे। तो वर्ड सूटेबिल रखा गया है। इसमें थोड़ा सा यह चेक है माननीय सदस्य ने मूथम कमेटी को रिपोर्ट का हवाला दिया है। उसको, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि :—

"How important at the present time the Universities in England consider certain unacademic qualifications to be, and how hard it is to find Professors who possess them is shown by the fact that of four recent appointments as Vice-Chancellor or Principal, at Bristol, Southampton, Nottingham and Leeds, two of those appointed have had no experience as teachers in a university, and two have been of . . .

विदेशों को हालत यह है कि ऐसे वाइस चांसलर नियुक्त किये गये जिनको टीचिंग का एक्सपीरियन्स तक नहीं था। तब जब वहां ऐसे वाइस चांसलर हुये हैं तो हमारे यहां तो काफी खयाल रखा गया है कि जो विद्वान् आदमी हों, जो भारतवर्ष में विद्वान् हों, वही वाइस चांसलर बनाये जायंगे। मैं समझता हूं कि माननीय जोरावर जी की जो शंका थी वह इससे दूर हो गई होगी। इसलिये जोरावर जी का जो संशोधन है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस सदन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट हो तो हमें पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठ कर ही इन बातों पर विचार करना चाहिये क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी की शिक्षा दीक्षा कोई पार्टीज के लिये नहीं है, वह सोशलिस्ट के लिये नहीं है, वह कांग्रेस के लिये नहीं है, वह कम्युनिस्ट के लिये नहीं है, वह तो भारतवर्ष के भविष्य के निर्माण के लिये है, भारतवर्ष के नौजवानों को सुन्दर नागरिक बनाने के लिये है। इसलिये हमें पार्टीज के दृष्टिकोण को दूर रख कर ही इन विषयों पर विचार करना चाहिये। मैं इस संशोधन का विरोध इसलिये करता हूं क्योंकि जिन माननीय सदस्य ने इस संशोधन को पेश किया वह इसके मूल मंत्र को नहीं समझे कि क्यों वाइस चांसलर के क्वालिफिकेशंस को प्रेस्क्राइब नहीं किया गया। मैं सिद्धांततः यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बताना चाहता हूं कि डेफीनीशन तो कामन पीपुल के लिये बनायी जाती है और उन्हीं तक वह महदूद होती है। जो लाजिक के स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने कालेज और यूनिवर्सिटीज में इस विद्या को पढ़ा होगा उन्होंने इस बात को सुना होगा कि "एक्सेप्शन प्रूव्ज दि रूल।" हमेशा एक्सेप्शन वही होता है जो रूल को साबित करता है। जो बड़े-बड़े ऐडमिनिस्ट्रेटर या विद्वान् संसार में हुये हैं उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी के दरवाजे को छुआ तक नहीं है। यह प्रकृति का नियम है। अगर आप चाहते हैं लंडन ऐंड को० का प्रोडक्शन, अगर आप चाहते हैं इलाहाबाद ऐंड को० का प्रोडक्शन, अगर आप चाहते हैं लखनऊ ऐंड को० का प्रोडक्शन, उन मशीनों से पैदा हुये यूनिफार्म माडेल्स को अगर आप चाहते हैं तो वे आपके नजर आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी जिन डिग्रीज को देती है या जिन दूसरी आनरेरी डिग्रीज को वह लोगों के ऊपर कन्फर करती है वे माडेल्स को प्रूव करते हैं। वह जीनियस को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकती क्योंकि जीनियस साधारण व्यक्तियों की सीमाओं से घिरे हुये नहीं होते। उनका ज्ञान, फैकल्टीज, लियाकत और उनके दिमाग की कल्पना शक्ति बहुत विस्तृत होती है। अगर आप डेफीनीशन भी मानें, जैसा कि इस संशोधन में दिया हुआ है, फिर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि कोई भी अमेंडमेंट किसी विधेयक में हो वह सेल्फ सफीशेंट होना चाहिये, उसको आब्सक्योर नहीं होना चाहिये, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिये। जब तक कि आपका संशोधन सेल्फ सफीशेंट नहीं है, जब तक कि वह डिस्टिंक्टली एक पिक्चर उस एमीनेन्ट एजुकेशनिस्ट की आपके सामने पेश नहीं करता जो कि आपका मकसद है तब तक आपकी डेफीनीशन इनडेफिनिट है। इसलिये मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेफीनीशन का रखा जाना एक ट्रबुल का सोर्स होगा और जिस रोज डेफीनीशन इसके मुताबिक आपके ऐक्ट के अन्दर आ जायगी तो उसको इंटरप्रेट करने का अधिकार यूनिवर्सिटी कोर्ट को नहीं है, वह तो कानून की अदालत है जिसका इंटरप्रेटेशन उस पर फाइनल माना जायगा और आया उस डेफीनीशन के अन्दर कोई कवर होता है या नहीं इसके लिये हाई कोर्ट में और दूसरे कोर्टों में रिट फाइल होंगे और स्टे आर्डर्स सालिसिट किये जायेंगे और दूसरी-दूसरी खुराफातें वाइस चांसलर की नियुक्ति के मुतालिक आपके सामने आयेंगी। मैं समझता हूं इस प्रकार के विवाद के प्रश्न को अपने पीस आफ लेजिस्लेशन के अन्दर जगह देना अपनी यूनिवर्सिटी के हित में नहीं है।

जब कि हम यूनिवर्सिटी के अन्दर जो भी गड़बड़ी है उस पर काबू पाना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जानबूझ कर इस प्रकार के विवादग्रस्त प्रश्नों को जगह देना यूनिवर्सिटी ऐक्ट में मैं समझता हूंकि यह कोई समझ की बात नहीं है। इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि एक बात से मैं जोरावर वर्मा जी से सहमत हूं और मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूं। यह बात जरूर है कि जो कोई भी व्यक्ति वाइस चांसलर का कैंडीडेट हो उसकी बहुत हाई रेपुटेशन होनी चाहिये और हाई एजूकेशनिस्ट होना चाहिये। इस प्रकार हमारे एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा था :—

"The temple of fame should be seated on an eminence across the vale of tears."

आंसुओं की घाटी के उस पार बहुत ऊंचे पर यह और कीर्ति का मंदिर स्थापित करना है। जो कोई भी हमारी यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर हो वह कोई मामूली पद नहीं है, पिगमीज और जुगनुओं और थर्ड रेट और सेंकेड रेटर के लिये ये मंदिर नहीं है। उसके अन्दर उस व्यक्ति का अधिकार है जो कि उस मंदिर के योग्य हो जो कि इतना ऊंचा व्यक्ति हो जिसकी बुद्धि का इतना विकास हो, जो मानव को मानव समझता हो। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जिस जमाने में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे हमारे वाइसचांसलर इतने काबिल थे, मुझे दुख के साथ कहना पता है कि आज अगर वह होते तो जो कमियां हैं वह समाप्त हो गयी होतीं। एक साहब जो कि बहुत बड़े व्यक्ति के लड़के थे, जिनका यू० पी० के अन्दर बोलबाला था, जो कि हमारे साथ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पांच सब्ज्येक्ट्स में डिस्टिंगुइश्ड हुए थे, वह लड़का बी० ए० के फर्स्ट इयर में डिटेन कर दिया गया क्योंकि फिजिकल कल्चर के

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

क्लास में उसकी एक दिन को अटेंडेंस शार्ट थी। इस ग्राउन्ड पर कि उसने अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं की उसको डिटेन कर दिया । उन साहब ने कुछ अखबार में एक झलक मारी और बताया कि वाइस-चांसलर साहब ज्यादती कर रहेहैं। वाइस-चांसलर साहब ने उसी दम नोटिस भेजा कि आ परिटेन अनकंडीशनल अपालोजी टेंडर कीजिये नहीं तो मैं आपके लड़के को तीन साल के लिए रैस्टीकेटा कर दूंगा। तो मारे-मारे फिरें। अगर गरीब का लड़का होता तो आज वह यूं ही मारा गया हताऔर अगर बड़े आदमी का लड़का होता तो तीन सब्जेक्टस में फेल होता तो भी पास हो गया हो वल मैं बताना चाहता हूं कि आप इन यूनिवर्सिटीज को अगर बनाना चाहते हैं उसकी रेपुटेशन में स्टेटस देना चाहते हैं तो आप को उन सम्मानित ऊंचे व्यक्तियों को उस टेम्पिल आफ लर्निंग में दाखिल करना पड़ेगा जो उसके अधिकारी हैं और जो कि जुगनू और सेंकेंड रेटर है और गनको धक्का दे कर फर्स्ट रेटर बना दिया जाता है, मैं समझता हूं कि यह अनुचित है और इसीलिये ऐलेक्शहन की प्रणाली के हम विरोध में हैं। जहां तक कि हमारी यूनिवर्सिटीज के शासन की पद्धति है, हमारा वाइसचांसलर जो होगा वह केवल एजकेशनिस्ट ही नहीं होगा वह बड़ा भारी एडमिनिस्ट भी होगा। यूनिवर्सिटीज के अन्दर बड़े-बड़े बलवे और धपले हुआ करते हैं। वाइस चांसलर इज दि मास्टर आफ दि सिचुएशन। वह इस प्रकार का व्यक्ति नहीं होगा कि बड़े-बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति इतना नहीं जानते कि बाज वक्त जिनको ऐडमिनिस्ट्रेशन का तजुरबा नहीं है वह नहीं तय कर सकते कि सियुएशन को किस तरह से फेस किया जाय। और तब तक बलवा हो कर सैकड़ों के सर फूट जाते हैं। इसलिये एजूकेशनिस्ट के साथ-साथ उसे एडमिनिस्ट्रेशन का भी तजुरबा होना चाहिये। हमें उस लिहाज से नाम दाखिल करने होंगे। इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह के व्यक्तियों को रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दरअसल आपको युनिवर्सिटीज स्वतंत्रता के साथ कार्य कर सकें, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य उज्वल बनाना चाहते हैं तो मैं के मझता हूं कि हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। हमें पार्टी पोलिटिक्स को दफनाना ही होगा और इस सदन में निष्पक्षतापूर्वक विचार विमर्श करके एक नतीजे पर पहुंचना होगा। और अगर आप व्यवस्था करना ही अपनी सफलता समझें और दोस्तानेपन में आकर पार्टी पोलिटिक्स के शिकार बन कर यूनिवर्सिटीज के अन्दर तांता लगा दें तो मैं समझता हूं कि वह गलत कदम होगा और इस प्रकार के लोगों के लिये हमारी यूनिवर्सिटीज में जगह न होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बड़ी लज्जा की बात होगी कि हमारे विद्यार्थी रट कर और नोट्स प्रिपेयर करके, प्रोफेसर को सिफारिश की चिट्ठी पहुंचा कर हम अपने लड़कों को फर्स्ट डिवीजन में पास करवा लें क्योंकि हम अपने बच्चे के भविष्य को बनाना चाहते हैं, कम्पीटीशन में लड़के के चांसेज को ऊंचा करना चाहते हैं तो यह महान दुख की बात होगी जब कि कांस्टीट्यशन आफ इंडिया में समानता का दवा पेश किया जाता है, हर किसी को ईकुअल आपोर्चुनिटी होगी, हर किसी को उसी दृष्टि और पैमाने से देखा जायगा और कोई भेदभाव जाति, धर्म या पावर का नहीं माना जायगा, तो क्या वजह है कि हम अपनी लर्निंग के टेम्पिल के अन्दर इस प्रकार की बीमारियों को स्थान दें ? मैं समझता हूं कि यह हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिये मैं बतलाना चाहता हूं कि यह छोटी सी बात है और जो बहुत जल्दी हर व्यक्ति की समझ में आ सकती है। जहां कम्पीटीशन होता है उसमें हर व्यक्ति बेहतर से बेहतर एफर्ट करता है और जब तीन आदमियों की लिस्ट बनती है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट का सिस्टम रखता हैं तो मैं यह बतलाना चाहता हूं जब कि यह निर्विवाद है कि यूनिवर्सिटीज के अन्दर पार्टीज हैं और आज नहीं बहुत पहले जमाने से हैं और आज उन पार्टीज ने बहुत उग्र रूप धारण कर लिया है क्योंकि आज हमारे मुल्क की शासन पद्धति डेमोक्रेटिक हो गई है और जैसा कि मैंने पहले भी सबमिट किया था कि डेमोक्रेसी जन्मदात्री होती है पार्टी पोलिटिक्स की और इस कारण यूनिवर्सिटी में पार्टी पोलिटिक्स का पनपना नितान्त आवश्यक है। तो जो सिस्टम रक्खा गया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का उसमें जो मायनारिटी पार्टी है उसका कैंडिडेट अगर जबरदस्त एजुकेशनिस्ट है, एक एबिल एडमिनिस्ट्रेटर है तो अगर यह संशोधन

अमेंडिंग ऐक्ट के अन्दर रख दिया जाता है तो माइनारिटी पार्टी का कैंडिडेट उस लिस्ट में कैसे आ सकता है? लेकिन एमेंडिंग बिल में इस सिस्टम से माइनारिटी पार्टी का कैंडिडेट उस लिस्ट में आ सकता है। इसलिये माइनारिटी पार्टी का जो कोई भी कैंडिडेट हो तो मेजारिटी पार्टी इस डर से कि माइनारिटी पार्टी का कैंडिडेट अगर जबरदस्त है, जोरदार है, तो वह मामूली आदमी को अपना कैंडिडेट कभी नहीं बनायेगी। उसके लिये भी जरूरी हो जाता है कि वह भी चुन कर, छांट कर, बहुत बड़े काबिल एडमिनिस्ट्रेटर को और एजूकेशनिस्ट को अपना कैंडिडेट चुने। क्योंकि तीन आदमी की लिस्ट जो चांसलर के पास जायेगी उसमें चांसलर को अधिकार है कि तीनों में से किसी एक को वह वाइस चांसलर चुन ले, इसलिये हर किसी को यह मौका है कि अपना बेस्ट कैंडिडेट हर कोई पार्टी उस लिस्ट में शामिल करने की कोशिश करे। इसलिये यह चांस है पार्टी पोलिटिक्स में कि बेस्ट मेटोरियल, बेस्ट कैंडिडेट, उस लिस्ट में दाखिल किया जा सकता है। अगर यह पद्धति न रख दी गयी होती और यह संशोधन का प्राविजन न रक्खा गया होता तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मेजारिटी पार्टी का कैंडिडेट काबिल न होते हुये भी उसी के चांसेज थे कि वह सक्सेसफुल हो गया होता। लेकिन इस सिस्टम के फालो करने से यह चुनाव किया गया, अगर मैजारिटी पार्टी किसी बहुत काबिल आदमी को चुनना चाहती है तो इस सिस्टम के मुताबिक उसकी सफलता हो सकती है। इसलिए विरोधी पार्टी जो यह चाहती है कि वह मैजारिटी पार्टी की इच्छा को दबा कर बाहर से किसी ऐमीनेंट आदमी को ढूंढ़कर वाइस-चांसलर बना दें तो उससे हमारी यूनिवर्सिटी का अहित होगा। इस लिये इस प्राविजन के मुताबिक एक लिस्ट होगी और उसमें से किसी भी व्यक्ति को चान्सलर वाइस-चांसलर चुन सकता है और मैं यह समझता हूं कि तब यूनिवर्सिटी की शिक्षा में और उसके ऐडमिनिस्ट्रेशन में उन्नति हो सकती है और सुरक्षित रह सकता है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो तरमीम हमारे सामने वर्मा जी ने पेश की है मैं उसकी ताईद करना चाहता हूं। मुझे शिक्षा मंत्री जी के इस विषय के भाषण को सुन कर आश्चर्य हुआ। चान्सलर के विषय में जिस तरह से जो बात विधेयक में प्रस्तुत की गई है उसी तरह से वह पास हो चुकी है। वाइस चान्सलर के विषय में भी जो तरमीम हम लोगों की तरफ से पहले पेश की गई थी वह अस्वीकृत की जा चुकी है। उसके बाद मेरा खयाल यह था कि इस बेगुनाह तरमीम को शिक्षा मंत्री जी मान लेंगे क्योंकि उसमें कोई विशेष बात नहीं थी सिवाय इसके कि वाइस चान्सलर के विषय में उसकी क्वालिफिकेशन की एक सीमा बांध दी गयी है कि वाइस चान्सलर ऐसा हो जो देश का या प्रदेश का बहुत विशिष्ट शिक्षाविद् हो जिसके शिक्षा-विषयक जीवन के विषय में किसी को कोई भ्रम न हो। मेरा खयाल था कि इसको माननीय शिक्षा मंत्री मान लेंगे लेकिन मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ जब उन्होंने इसका भी विरोध किया। अगर उनकी समझ में इस अमेंडमेंट का यह स्थान उपयुक्त नहीं था तो वाइस चान्सलर के लिये क्वालिफिकेशन को कहीं दूसरी जगह पर रख कर इसको मंजूर कर लेते। लेकिन वाइस चान्सलर के लिये कोई हदबन्दी न होना कि वह शिक्षा के विषय में कोई विशेष जानकारी रखता है या नहीं, शिक्षा के विषय में उनका जीवन कोई विशेष देन कर रहा है या नहीं, मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा के स्टैंडर्ड को नीचे गिराना होगा।

दूसरी बातें मुझे भी वे ही कहनी हैं, जो राधाकृष्णन् कमीशन रिपोर्ट से अभी पढ़कर वर्मा जी ने सुनाया था। उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। सन् १९५३ में जहां तक मुझको याद पड़ता है जनवरी के महीने में वाइस चान्सलरों की एक कान्फ्रेन्स नैनीताल में बुलायी गयी थी जिसका उद्घाटन खुद डाक्टर राधा कृष्णन् ने किया था। उन्होंने वहां अपने भाव प्रगट किये थे और कहा था कि उनको इस बात का डर है कि बहुत से ऐसे लोग जिनकी राजनीति में खास सेवायें रही हैं वाइस चान्सलर के पद पर आ सकते हैं। मैं समझता हूं कि उस चेतावनी की तरफ माननीय मंत्री जी को जरूर ध्यान देना चाहिये और इस तरमीम के न मानने से इस तरह का भाव स्पष्ट होता है कि शिक्षा मंत्री महोदय के मन में या उनकी सरकार के हृदय में जरूर

[श्री झारखंडे राय]

कोई उसी प्रकार का छिपा विचार है। जो शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण आदमी न हों वे भी वाइस चान्सलर बना दिये जा सकते हैं। अगर यह नहीं होता तो कोई वजह नहीं थी कि इसको न मान लिया जाता।

श्री नेकराम शर्मा ने इस विधेयक के पेज ६ पर पढ़कर सुनाया था, जिसमें यह लिखा हुआ है कि "Suitable to hold the office of Vice-Chancellor," इसको नहीं समझाया गया कि सूटेबिल शब्द के क्या माने हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह---इसको निकाल दिया गया है।

श्री झारखंडे राय---और उसके बाद उस जगह पर या और किसी जगह पर जिसको शिक्षा मंत्री उचित समझें इस तरह की सीमाबंदी कर दी जाय, इस तरह की चीज निश्चित कर दी जाय कि कौन से लोग वाइस चान्सलर नियुक्त किये जायेंगे तो ठीक होगा। एक्जीक्यूटिव जहां नामों की सिफारिश करती है उस जगह यह चीज रखी जा सकती है। वहां यह हो सकता है कि वह ऐसे ही तीन नामों को चुने जो ऐमीनेंट एजूकेशनिस्ट हों। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस चीज को मानने में कोई दिक्कत न होगी। माननीय शिक्षा मंत्री ने शुरू में एक बात कही थी कि हमको यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी की शिक्षा को राजनीति से परे और ऊपर रखना है। अभी माननीय रावत जी ने इसी बात को दुहराया, उनकी इस भावना से हमें सहानुभूति है। इसके लिये जरूरत इस बात की है, जब कि चान्सलर वाली चीज पास हो चुकी है, वाइस चान्सलर के चुनाव वाली बात भी अस्वीकृत हो चुकी है, जो तरमीम तिवारी जी ने पेश की थी वह भी अस्वीकृत हो चुकी है, उस समय कम से कम इस चीज को मानने में माननीय शिक्षा मंत्री जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपील करूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को जरूर स्वीकार कर लें विशेषकर जब कि उन्होंने वाइस चान्सलर के पद को यूनिवर्सिटी में केन्द्र बिन्दु माना है। उनका विचार है कि उसके ही द्वारा यूनिवर्सिटी के शासन और उसके जीवन में विकास होता है।

श्री हरगोविन्द सिंह---लेकिन यह तो बताया जाय कि उनका निर्णायक कौन होगा कि वह एजूकेशनिस्ट है या नहीं।

श्री झारखंडेराय---इसका जवाब यह है कि इस तरह की सीमाबन्दी रख दी जाय तो खुद चान्सलर महोदय ही इसका निर्णय कर सकते हैं कि कोई शख्स ऐमीनेंट एजूकेशनिस्ट है या नहीं। मेरा खयाल है कि एक निश्चित क्वालीफिकेशन की सीमा हो जाने के बाद एक आदमी के चुनाव करने में आसानी होगी बजाय उस हालत के जब कि कोई हदबन्दी न रक्खी जाय। इस सीमा-बन्दी से एक्जीक्यूटिव कौंसिल और चान्सलर दोनों ही लाभ उठा सकते हैं और देख सकते हैं। उनके विचार और उनका चुनाव उन्हीं लोगों तक सीमित रहेगा कि जो प्रदेश के महान् शिक्षाविद् होंगे। उन्हीं तीन को एक्जीक्यूटिव रिकमेंड करेगी और उनमें से ही चांसलर चुनेगा। हदबन्दी से जबकि थोड़ी सी ही गलती होने की संभावना है लेकिन बिलकुल हदबन्दी न करना बहुत ही बड़ी गलती होगी। हमारा यह खयाल है कि इससे यू निवर्सिटी की शिक्षा के स्टेंडर्ड के बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय चेयरमैन साहब, मुझे कतई ताज्जुब नहीं हुआ कि माननीय जोरावर जी ने यह संशोधन रखा लेकिन मुझे बेहद ताज्जुब हुआ जब उसका समर्थन माननीय झारखंडेराय जी ने किया। इसके बारे में मुझे एक कहावत याद आ गयी, "खोदा पहाड़, निकली चुहिया"। माननीय जोरावर वर्मा जी ने बड़ा जोर लगाकर इस संशोधन को रक्खा। लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं है। मैं तो यह समझता था कि श्रीमान् जी इसको कृपा करके आउट आफ आर्डर करार दे देंगे। क्योंकि आपका जो संशोधन है वह सिवाय इस बात के कि शब्दों की झंकार हैं मुझे इजाजत हो तो मैं कहूं कि लफ्फाजी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सा संशोधन मालूम होता है। क्योंकि एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट आफ हाई एकेडेमिक रेपुटेशन की बात देखने में तो कितनी ऐडवांस सी लगती है लेकिन कहीं भी उसका यह डेफिनिशन नहीं है कि अगर कोई हाई एजुकेशनिस्ट या एमिनेंट एजुकेशनिस्ट न हो; तो उसकी गैरहाजिरी में फिर यह संशोधन कैसे माना जा सकता है? मैं झारखंडेराय जी की अगर इस बात को मान लूं कि कोई सीमा मुकर्रर कर दी जाय तो सीमा किस प्रकार से मुकर्रर की जाय या तो उसने कहीं रिसर्च का काम किया हो या एम० ए० हो या डबल एम०ए० हो। अगर कोई ऐसी चीज आप रख सकते ज्यादा से ज्यादा तो माननीय चेयरमैन साहब इतना करने के बाद एक डेफिनिशन की जरूरत होती लेकिन आपके सामने मैं एक और पहलू रखता हूं कि मान लीजिये इस समय किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की जरूरत है तो यह उस समय जरूरी होता जब कि श्री सी० वाई० चिन्तामणि इस देश में जीवित होते। अगर आपकी इस सीमाबन्दी को जिसका इशारा श्री झारखंडेराय ने किया है मान लिया जाता तो श्री सी० वाई० चिन्तामणि उसमें पड़ते क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं उनके पास इस प्रकार की कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं था। लेकिन, माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर श्री सी० वाई० चिन्तामणि ऐसे ऊंचे किस्म के इंसान इस वक्त पाये जायें तो हम उनको इसलिये छोड़ने के लिये तैयार हो जायेंगे कि वे श्री झारखंडेराय जी की सीमा के अन्दर नहीं आते? ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं जैसे मान लीजिये कि उस सीमा के अन्दर श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर नहीं आते, श्री चिन्तामणि नहीं आते और बहुत से ऐसे व्यक्ति भविष्य में या वर्तमान में हो सकते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस तरह का संशोधन बिलकुल निरर्थक और बेमानी है। एक बात मेरी समझ में जरूर आयी कि यह प्रेरणा श्री जोरावर जी को मिली है कि कुछ थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, जो स्कूल के अन्दर हेडमास्टर हो या प्रिंसिपल हो। मेरी शिक्षा तो कम से कम ऐसी नहीं है, मुमकिन है मेरे लायक दोस्त की हो। तो वह बात समझ में आ सकती है कि जितने हेडमास्टर या प्रिंसिपल्स हों वे सब क्वालिफाइड हैं वाइस चांसलर होने के लिये अगर कोई हेडमास्टर या प्रिंसिपल नहीं है तो वह वाइस चांसलर नहीं हो सकता। चाहे कोई चिन्तामणि या रवीन्द्रनाथ टैगोर सा ही व्यक्ति क्यों न हो। तो माननीय चेयरमैन साहब मैं अन्त में आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन बिलकुल बेमानी और निरर्थक है, इससे कोई सहायता नहीं पहुंच सकती है। माननीय झारखंडेराय जी सीमाबन्दी करके इसको पीछे ढकेलना चाहते हैं। वे योग्यता को पीछे खींच ले जाते हैं, आगे नहीं ले जाते। कोई भी सीमाबन्दी योग्य आदमियों के लिये बाधक होगी। इसलिये योग्यता के लिये सीमाबन्दी करना उचित नहीं होगा। मैं तो इसे बुद्धि का विभ्रम समझता हूं। मैं समझता हूं कि बुद्धि में कोई भ्रम पैदा हो गया है। तो इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सीमा के रखने से कोई सहायता नहीं पहुंच सकती है बल्कि जैसा कि मैंने कहा कि यह पीछे ढकेल देती है। इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

अधिष्ठाता—अब हम उठते हैं, बुधवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे बुधवार, २० अक्तूबर, १९५४, ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित होगया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१८ अक्तूबर, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

खरीफ १३५९ फसली

छूट			स्थगन	
जिला	लगान	मालगुजारी	लगान	माल-गुजारी
१—आगरा	३,७०१	१,१०१ पानी भरजाने से		
२—बदायूं			३,१७३	१,४७२ बाढ़
३—बनारस	२४,६३५	३२२ सूखा		
४—मिर्जापुर	५१,३७६	७,०२८ ,,		
५—जौनपुर	१,२८,६३०	४२,६०२ ,,		
६—गाजीपुर	१,१४,५०१	३३,५६४ ,,		
७—बलिया	५२,२३७	१३,८५१ ,,		
८—गोरखपुर	१,५३,३८५	५६,०९६ ,,	१९,३२८	६,७३५ सूखा
९—बस्ती	९,९४,१७९	३,३३,३२१ ,,		
१०—आजमगढ़	५,००,७०१	१,७२,७९८ ,,		
११—देवरिया	१,७४,९१९	६५,३६९ ,,		
१२—अलमोड़ा		६१४ सूखा और टिड्डी		
१३—टेहरी-गढ़वाल		६,०६५ ओला		
१४—गोंडा	३,२०,२०७	६६,६०७ सूखा		
१५—सीतापुर	१८,३४४	६,३४२ वर्षा अभाव		
१६—उन्नाव			२,५४,९७९	८०,०५५ सूखा
१७—बहराइच	१,६३,१५६	५०,८८७ बाढ़		
१८—बहराइच	४,७७,४२२	१,३४,१८८ सूखा		
१९—प्रतापगढ़	१,१४,१७३	३९,२३२ सूखा		
२०—मेरठ			८५०	बाढ़
योग.....	३२,९१,५६६	१०,२९,९८७	२,७८,३३०	८८,२६२

प्रश्न संख्या ४० से संबंधित सूची

रबी १३५६ फसली

जिला	छूट लगान	मालगुजारी	स्थगन लगान	मालगुजारी	
१—मेरठ	१,६५,२६६	५६,१८३	ओले से	..	..
२—आगरा	२६७	६७	अग्निकांड		
	१,१६४	४५८	,,		
३—एटा	..	..		२०४	७३अग्निकांड
४—शाहजहांपुर	..	..		२१३	७४ ,,
				२२५	७६ ,,
५—कानपुर	७८,६००	३०,४६४	सूखा		
	२८,०३६	१०,४८३	ओले		
	४०८	१२७	अग्निकांड		
	७६७	२६१	,,		
६—इलाहाबाद	१२,१२८	५,७०२	ओले		
७—बांदा	२५,५६१	७,५३६	..		
	२६०	७८	अग्निकांड		
८—जालौन	३८६	६६	,,		
६—मिर्जापुर	३,३०,३७५	३६,५६६	सूखा तथा ओले		
१०—जौनपुर	१,५६,०६१	६२,८८३	,,		
	४३५	१४२	अग्निकांड		
११—गोरखपुर	५,३६७	३,७०७	सूखा		
१२—बस्ती	११,७३,८४३	३,६३,६८०	वर्षा न होने से		
१३—देवरिया	३५,३७६	१३,६१०	ओले	४६	२१
	४२,६८५	२१,५२२	,,		
१४—लखनऊ	३३७	११६	अग्निकांड		
१५—उन्नाव	४६,५३८	१६,६१७	ओले		
	१२७	४५	अग्निकांड		
	५५	२१	,,		
	३३	१३	,,		
	७०१	२६२	,,		
१६—रायबरेली	१,०६,२०६	४२,६३१	ओले		
१७—सीतापुर	२०,८८८	६,६४०	,,		
	१,७१८	५३१	अग्निकांड		
	४२,०५८	१३,३६३	सूखा		
१८—खीरी	१,१६४	३५३	ओले	२१६	६०
१६—गोंडा	२,८४५	६२३	,,		
२०—सुल्तानपुर	६६,३७६	२६,३६०	,,		
२१—बाराबंकी	११,७६४	३,७२७	,,		
	५३५	१८३	अग्निकांड		
	१,०२४	२६६	,,		
२२—अल्मोड़ा		३,०४८	,,		
		३४७	ओले तथा वर्षा		
योग ..	२४,०७,६६५	७,६५,३८४	६०४	३०७	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

प्रश्न संख्या ६५ से संबंधित सूची

उन जिलों की सूची जहां पर कि जिलाधीशों के लिये सरकारी निवास-स्थान है।

१—सहारनपुर	२—मेरठ	३—अलीगढ़
४—मथुरा	५—आगरा	६—मैनपुरी
७—मुरादाबाद	८—बरेली	९—एटा
१०—बिजनौर	११—पीलीभीत	१२—शाहजहांपुर
१३—रामपुर	१४—कानपुर	१५—इलाहाबाद
१६—फतेहपुर	१७—झांसी	१८—हमीरपुर
१९—बांदा	२०—बलिया	२१—रायबरेली
२२—गोंडा	२३—मिर्जापुर	२४—देवरिया
२५—गढ़वाल	२६—टेहरी गढ़वाल	

उन जिलों की सूची जहां पर निवास-स्थान सरकार की तरफ से पट्टे पर लिये गये हैं।

१—मुजफ्फरनगर	३—गोरखपुर
२—जालौन	४—खीरी

विधान परिषद

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १९८ एल० ए०—१९५४-८५०।